राजस्थान विधान सभा

४०वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २–मई, सन् १९५९ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर ७ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७४४

भूस्वामियों पर विभिन्न स्थानों पर होने वाला लाठी चार्ज

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह ।

श्री जवानसिंह—श्री तनसिंह के बजाय मैं प्रश्न उपस्थित कर दूं, माननीय अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जवानसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भूस्वामी आन्दोलन के दौरान में किस किस स्थानों पर कुल कितनी बार लाठी चार्ज हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—जोधपुर में ४ बार, बाली में २ बार, चितौड़गढ़ में १ बार, नागौर में १ बार, डीडवाना में १ बार, सिरोही में १ बार, गंगार में २ बार, कपासिन में १ बार और जैसलमेर में १ बार । इस प्रकार कुल मिलाकर १४ बार ।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ७४५

तहसील मांडलगढ़ में गोवटा बांध के निर्माण में व्यय तथा उसकी डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा

श्री जयसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[श्री जयसिंह]

(१) तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, के अन्तर्गत गोवटा नामी बांध कितने खर्च से कब तैयार हुआ ?

(२) इस बांध के अन्दर कितने बीघा काबिल काश्त भूमि पानी से भरी हुई है।

(३) जिन परिवारों की काश्त की भूमि पानी में डूबी है उनका मुआवजा कितना हुआ और वह उन्हें चुका दिया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(४) इस बांध के जल से कितने बीघा भूमि की सिंचाई होकर सरकार को अब तक क्या आमदनी हुई ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—(१) तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, के अन्तर्गत गोवटा नामी बान्ध २,१०,०००) रु० के खर्च से सन् १९५५ में तैयार हुआ है।

(२) सूचना रेवेन्यू विभाग से एकत्रित की जा रही है।

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(४) करीब ४० बीघा पर, सरकार की आय मेवाड़ राज्य सिंचाई के दर के मुताबिक वसूल की गई है।

श्री जयसिंह—क्या वहां के स्थानीय अधिकारियों की अव्यवस्था के कारण इतना रुपया लग जाने के बावजूद भी सिंचाई बिल्कुल ही नहीं हुई ?

श्री खेतसिंह—यह बान्ध नवम्बर १९५५ में तैयार हुआ है इसलिए चूंकि यह बहुत बाद में तैयार हुआ है इसलिए सिंचाई कम हुई है। अव्यवस्था की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री जयसिंह—यदि सरकार को यह प्रमाणित कर दिया जाय कि वहां के स्थानीय अधिकारियों की अव्यवस्था के कारण ही सिंचाई नहीं हो सकी है, तो क्या सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ?

श्री खेतसिंह—मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि नवम्बर में वह तैयार हुआ है ६ महीने पहले ही तैयार हुआ था। अभी नहरें ही तैयार हुई हैं। यदि किसी अव्यवस्था की आप लिखित रिपोर्ट देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

Page No 3

श्री तेजपाल बापना—यह बान्ध १९५५ में तैयार हुआ था या १९५३ में तैयार हो गया था ?

श्री खेतसिंह—यह सही नहीं है ।

श्री तेजपाल बापना—ऐसा हो सकता है कि यह नवम्बर १९५३ में तैयार हो गया हो और दो साल तक नहरें नहीं बनने के कारण पानी ऐसे ही भरा रहा हो ।

श्री खेतसिंह—मेरे पास जो रेकार्ड है उसके अनुसार वह सन् १९५५ में तैयार हुआ है ।

श्री तेजपाल बापना—क्या गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री खेतसिंह—अगर आप उसको साबित कर दें तो ।

श्री जयसिंह—पूरा तैयार होने का मतलब यह है कि नहरें भी जब तैयार हो गई हों, तब ?

श्री खेतसिंह—नहरें और बान्ध दोनों से आता है ।

प्रश्न संख्या ७४६

ग्राम पंचायत घाटवा त० नावां के सरपंच का चुनाव एवं श्री घीसालाल की नियुक्ति

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पंचायत घाटवा तहसील नावां के सरपंच का चुनाव किस दिन किस अधिकारी द्वारा कराया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि उस दिन शांति भंग होने के भय से चुनाव नहीं कराया जा सका ?

(ग) क्या यह भी सही है कि चुनाव अधिकारी ने चुनाव के कागजात में यह लिख दिया है कि श्री घीसालाल को सरपंच नियुक्त किया जाता है ?

[श्री भैरूंसिंह]

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नियुक्ति को मान्यता दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग)—(क) ७. १०. ५५ को नायब तहसीलदार नावां द्वारा।

(ख) जी नहीं।

(ग) श्री घीसालाल को सरपंच निर्वाचित होना लिखा गया है।

(घ) जी हां। निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री घीसालाल को विजयी घोषित कर दिया गया था।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि निर्वाचन अधिकारी ने, जिस कागज में वोट्स लिखे जाते हैं उसमें नीचे जाकर यह लिख दिया था कि श्री घीसालाल को नियुक्त किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। जो सूचना मेरे पास आयी है उसमें है कि उनको निर्वाचन अधिकारी ने विजयी घोषित किया है।

श्री भैरूंसिंह—वह कितने वोट्स से जीता ? उसके कितने वोट्स आये और उसके प्रतिद्वन्दी के कितने वोट्स आये ? क्या निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी नहीं दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं और जानकारी करूंगा।

श्री भैरूंसिंह—क्वेश्चन तो यही था ? उसमें निर्वाचित लिखा या नियुक्त लिखा ? यदि निर्वाचित लिखा तो फिर किस किस व्यक्ति के कितने कितने वोट्स आये, यह बता दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सरपंच घोषित किया उसके बारे में यह कहा है कि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होने से, चूंकि चुनाव को छोड़कर चले गये थे इसलिए उनको निर्विरोध घोषित किया गया। मैं इसकी और जानकारी करूंगा।

श्री भैरूंसिंह—आप इसकी और जानकारी करें।

राज श्री हुम्मतसिंह—आप खुद वे कागजात देखने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी अभी फाइल देखी है, मैंने उसको मंगवा रखी है और आप जानकारी दे रहे हैं उसकी दुबारा जांच करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७४७

तिजाराभिवाडी रोड की दसवें मील के ठेकेदार कमलसिंह को बिना मेटीरियल डाले ओवर सीयर द्वारा पेमेन्ट

श्री घासीराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तिजारा भिवाडी रोड की दशवें मील के ठेकेदार कमलसिंह को बगैर मेटीरियल डाले ही ओवर सियर ने पेमेंट कर दिया ? यदि हां; तो ओवरसियर के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इन्ही ओवरसीयर को अलवर नोर्थ सब डिवीजन में सिटी सेक्शन देकर इतना ज्यादा काम दे दिया गया है जिसको वे देख भी नहीं सकते हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—(क) जांच की जा रही है।

(ख) जांच होने पर जरूरी कार्यवाही की जायगी।

(ग) ऐसा नहीं है।

(मूल प्रश्न में भाग 'ग' उल्लेखित नहीं है। सदन में 'ग' भाग का उत्तर दिया गया है)

श्री घासीराम—जांच कब से की जा रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिस वक्त यह मालूम हुआ कि उसको पेमेंट कर दिया गया है पूरे मेटीरियल की उस वक्त से जांच शुरू हो गई। यह जांच असिस्टेन्ट इन्जीनियर कर रहे थे, सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर के पास फैसला जेर गौर है।

श्री घासीराम—पेमेंट कब हुआ ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जब ओवरसियर ने यह गलत रिपोर्ट कर दी, पेमेंट हो गया।

श्री घासीराम—क्या ओवरसियर को मोत्तिल कर दिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी नहीं। उसकी जांच हो रही है, पेपर्स सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर के पास जेर कार्यवाही हैं और असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने जो रिपोर्ट करनी थी कर दी।

श्री घासीराम—गलत रिपोर्ट की तो उसको मोत्तिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—किसी मुल्जिम पर कोई अपराध लगाते हैं जो जब तक उसको पूरी तरह से सुन न लें कैसे फैसला कर सकते हैं ?

श्री घासीराम—जब शुरू में यह मालूम हो गया कि उसने गलत रिपोर्ट कर दी है तो फिर उसको मोत्तिल नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—सरकार कैसे मान सकती है कि जब तक अफसर मुतल्लिक फैसला नहीं कर दे।

श्री घासीराम—रिपोर्ट किसने की आपके सामने ?

(घंटी)

श्री शाह अलीमुद्दीन—रिपोर्ट करने वाले ने ...

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—When one member stands the other should not stand.

(हंसी)

नेक्सट, श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ७४८

भूस्वामी आन्दोलन में बन्दी किये गये भू स्वामी

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह के बदले)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भू स्वामी आन्दोलन में कहां कहां कितने भूस्वामी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) ३७ स्थानों पर गिरफ्तारियां हुईं।

(ख) तारीख १३.३.५६ तक कुल ३६२१ गिरफ्तारियां हुईं।

श्री जवानसिंह—कहां कहां ?

श्री अध्यक्ष—लिस्ट रख दीजियेगा।

श्री रामकिशोर व्यास—टेबल पर रख दूंगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जवानसिंह—क्या गिरफ्तारियां जितनी बतायी गई हैं वे इस वक्त के आन्दोलन की हैं या पहले के आन्दोलन के वक्त की भी मिला कर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस वक्त की।

श्री जवानसिंह—पहले वाले आन्दोलन में कितनी हुई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न तो बहुत साफ है, "भू स्वामी आन्दोलन"......

श्री रामकिशोर व्यास—पास्ट के लिए नहीं, किन्तु चल रहा है उसके लिए है।

श्री जवानसिंह—जितने गिरफ्तार किये गये उनमें से कितने कस्बों के बाहर उसी वक्त छोड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आपके सवाल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ७४६

ग्राम कटसूदा (तहसील अराई) के कुछ तालाबों की टूटी मोरियों के जीर्णोद्धार पर हुए व्यय की जांच

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम कटसूरा तहसील अराई के किन किन तालाबों की मोरियां टूट कर तालाब में मिल गई ?

(२) उक्त मोरियों पर पिछले साल कितना कितना रुपया लगाया गया और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) भवानी सागर और गणेश सागर की।

(२) पिछले साल कोई भी रुपया खर्च नहीं किया गया।

श्री चांदमल मेहता—इन दोनों तालाबों की मोरियों के गिरने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—इन दोनों तालाबों की मोरियों को वहीं के किन्हीं आदमियों ने मिस्चीफ करके तोड़ दिया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां के आदमियों ने नहीं तोड़ीं और चूंकि ठेकेदार ने खराब काम किया, सीमेंट की जगह चूना लगाया और इसलिए ये मोरियें टूट गई ?

श्री खेतसिंह—ये मोरियें सन् ५३ में तैयार हुई थीं, उस वक्त एस. डी. ओ. इरीगेशन गये थे, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ने भी उनको देखा था और रिपोर्ट की थी कि सेटिस्फेक्टरी हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस टाइम पर ये मोरियें बनीं उस वक्त भी गांव वालों ने शिकायत की थी कि काम ठीक नहीं हुआ है, मोरियें टूटेंगीं और मौका आने पर आदमी की जान का खतरा हो सकता है ?

श्री खेतसिंह—मोरियें बनने के बाद दो साल तक सिंचायी हुई है, कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो तो मेरे पास उसकी सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अभी कुछ दिनों पहले पूचेरा गांव के किसानों ने शिकायत की थी कि यह काम खराब होने से मोरियें टूटी हैं और इसकी जांच की मांग की है ?

श्री खेतसिंह—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जानकारी करके जांच करने को तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह—अलग से प्रश्न है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं पूछ नहीं रहा हूँ। जांच करने के लिए तैयार हैं या नहीं कि इस तरह की अर्जी आई या नहीं ?

श्री खेतसिंह—अगर डिटेल्स में आप कोई लिखित देंगे तो उसकी जांच की जावेगी।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—किस तरह मोरियां टूटी हैं ?

श्री खेतसिंह—मोरियें टूटी हैं, एस. डी. ओ. वेस्ट, इरीगेशन, ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया।

श्री चांदमल मेहता—इन मोरियों के टूटने मे कितना नुकसान हुआ ?

श्री खेतसिंह—इरीगेशन सींचने के बाद टूटी इसलिए नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—मोरियों के ऊपर पेच लगाये गये थे और पेचदार मोरियां बनाने की कोशिश की तो क्या सारा का सारा सामान तालाब में गिर गया।

श्री खेतसिंह—जी हां, यह सही है।

श्री चांदमल मेहता—उससे कितना नुकसान हुआ ?

श्री खेतसिंह—कुल कितने रुपयों का नुकसान हुआ, मैं नहीं बता सकता।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों के खिलाफ तोड़ने का माननीय मंत्रीजी ने फरमाया तो उनके विरुद्ध क्या जांच की जा रही है ?

श्री खेतसिंह—मैंने सुना नहीं वापिस कहिये ?

श्री अध्यक्ष—कुछ मिस्चीफ मोन्गर्स ने तोड़ीं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री खेतसिंह—जांच की जा रही है। जांच का नतीजा होगा, जिसने तोडी है उसको सजा दी जायगी।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—मोरियों में कौनसी मशीनें लगयी गईं ?

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब, "कहां से मगाई गई"।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—जांच कब करायी गई ?

श्री खेतसिंह—एस. डी. ओ. वेस्ट इरीगेशन इसकी जांच कर रहे है।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न को भेजे जाने के बाद या उससे पहले ही इसकी जांच करायी गई ?

श्री खेतसिंह—निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्रीं प्रभुदयाल —ये मोरियें किशनगढ़ में ही क्यों ज्यादा टूटती हैं, दूसरी जगह तो नहीं टूटतीं।

(घंटी)

श्रीं खेतसिंह——..........ज़्यादा हैं।

प्रश्न संख्या ७५०

ग्राम पंचायत बडा खेडा (त० पाटन) का चुनाव एवं इसमें चुने गये पंच

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) ग्राम पंचायत बड़ा खेड़ा तहसील पाटण, जिला बूंदी का चुनाव किस किस तारीख को होना निश्चित हुआ था और किन किन कारणों से स्थगित किया गया ?

(ख) अंतिम रूप से इस पंचायत का चुनाव कब हुआ, किस अधिकारी ने कराया और कौन कौन व्यक्ति पंच चुने गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) दिनांक २६–१२–५५ को जैसा निश्चित किया गया था चुनाव करा दिये गये। केवल परपंच का चुनाव शान्तिभंग होने की संभावना से न हो सका।

(ख) २६. १२. ५५ को निर्वाचन अधिकारी श्री पुरुषोत्तमलाल, जिला इन्स्पेक्टर के तत्वावधान में १४ पंच चुने गये। ता० १- ३- ५६ को श्री करणसिंह सरपंच चुने गये।

श्री भैरूं सिंह—शान्ति भंग होने का खतरा किन व्यक्तियों की ओर से था और इन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ब्रीच ओफ एप्रीहेन्शन था, कोई ओफेन्स नहीं बन सकता था इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भैरूं सिंह—जिन व्यक्तियों ने झगड़ा मचाया तो पंचायत एक्ट के माफिक...

श्री अध्यक्ष—Legal question cannot be asked.

श्री भैरूं सिंह—लीगल नहीं है। क्या रिटर्निंग ओफिसर ने शिकायत नहीं की थी ?

[श्री भैरूंसिंह]

कौनसे कारण थे जिनके कारण रिटर्निंग औफिसर ने यह चीज मानली कि शान्ति भंग होगी इसलिये उसने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लोगबाग शोरगुल मचाते हैं, झगडा करने लग जाते हैं इस पर ही पता चल जाता है कि शान्ति भंग होने का अंदेशा है।

प्रश्न संख्या ७५१

नोहर-फेफाना सड़क का निर्माण कार्य एवं उसकी समाप्ति की अवधि

श्री कुंभाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नोहर फेफाना सडक का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक समाप्त हो जायगा ?

(ख) क्या सरकार इस को कार्य मियाद में समाप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(क) १. ८. ५५ को कब तक समाप्त होगा, इसकी तारीख निश्चित नहीं है।

(ख) अवश्य, किन्तु सारी सडक के कार्य को समाप्त करने की तारीख निश्चित नहीं है।

श्री कुंभाराम आर्य—ठेके की मियाद तो इससे पहले नहीं निकल जायगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—ठेके की मियाद पहले निकल गई, यही इसका कारण है ?

श्री कुंभाराम आर्य—इसका क्या कारण है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—कारण यह है कि भट्टा लगाने की इजाजत राजस्व डिपार्टमेंट ने दी थी। नये चेयरमेन के आने पर भट्टा बंद कर दिया गया। दुबारा ओर्डर कलेक्टर का हुआ, इसमें देरी लग गई और इतने में मियाद निकल गई। मियाद और बढ़ाई जायगी।

श्री कुंभाराम आर्य—कितनी मियाद बढ़ाई है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जितने दिनों तक भट्टा बंद रहा उतने दिन की मियाद और दी जायगी।

श्री कुंभाराम आर्य—क्या इस समय में काम पूरा हो जायगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—पूरी आशा है ।

प्रश्न संख्या ७५२

भूस्वामी आन्दोलन में नजरबंद किये गये व्यक्ति

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मंत्रीजी निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भूस्वामी आन्दोलन में इस बार कुल कितने व्यक्ति नजरबन्दी कानून में गिरफ्तार किये गये ?

(ख) उनमें से कितने एडवाइज़री बोर्ड की रिपोर्ट अथवा हाई कोर्ट की आज्ञा से मुक्त किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—*२७ नज़रबंदी तारीख ७. ३. ५६ तक गिरफ्तार किये गये ।

(क) १० नजरबन्दी मुक्त किये गये ।

श्री जवानसिंह—बाकी आदमी नजरबंद हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ हैं, कुछ छोड़ दिये गये हैं ।

श्री जवानसिंह—कितने छोड़ दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—१० आदमी हाई कोर्ट की आज्ञा और इडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के कारण छोड़ दिये गये । उसके बाद शायद एक आध और छोड़ा गया होगा ।

श्री जवानसिंह—बाहर और नहीं निकाले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी ?

श्री जवानसिंह—इनके अलावा और किसी को बाहर नहीं निकाला क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ पेरोल पर गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—माफी मांग कर कितने गये ?

श्री अध्यक्ष—नजरबंदियों की बात है।

प्रश्न संख्या ७५३

सरवाड तहसील में गेहूं की फसल में रोली लगाना

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरवाड तहसील के किन किन गांवों में गेहूँ की फसल को रोली लगाने की वजह से नुकसान हुआ है ?

(२) सरकार द्वारा रोली की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(१) इस विभाग के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि सरवाड तहसील के गांवों में गेहूं की फसल को रोली लगाने की वजह से नुकसान हुआ है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने इस प्रश्न के बाद जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि आया रोली से नुकसान हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके बारे में पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई लेकिन आपका प्रश्न आने के बाद पता लगाने पर भी कोई तथ्य की बात नहीं निकली।

श्री चांदमल मेहता—इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कोई मशीनरी प्रत्येक तहसील में सेट अप की है जिसकी मार्फत पता लग सके ?

श्री भोगी लाल पंड्या—मैं समझा नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसका पता लगाने के लिये कोई मशीनरी लगा रखी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बराबर, क्यों नहीं ? किसान हैं ; पंचायतें है और भी कई हितचिन्तक हैं जो सूचना देते रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—सरकार की तरफ से कोई मशीनरी है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा करना संभव नहीं है। एक एक खेत का पता लगाने के लिये किसी को तैनात किया जाय, यह संभव नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तहसीलदार सरवाड ने रिपोर्ट दी थी कि रोली से नुकसान हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी जानकारी में नहीं आई और जानकारी करने के लिये पूछ लेंगे।

श्री चांदमल मेहता—भविष्य में रोली से नुकसान न हो, क्या इसके लिये माननीय मंत्रीजी व्यवस्था करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये तात्कालिक जानकारी करके व्यवस्था की जाती है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि इसकी सूचना आते ही रोक थाम करने की व्यवस्था करे।

प्रश्न संख्या ७५४

जिलेवार खोले गये आयुर्वेदिक औषधालय

श्री घासीराम—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५५-५६ में आयुर्वेदिक औषधालय कहां कहां खोले गये, कृपया जिलेवार बतलावें ?

(ख) अलवर जिले में कितने औषधालय खोले गये और किस किस ग्राम में और उन ग्रामों की आबादी क्या क्या है ?

(ग) सन् १९५६-५७ में सरकार का कितने नये औषधालय खोलने का विचार है और उनमें से अलवर जिले में कहां कहां खोले जायेंगे ?

(घ) क्या सरकार निम्नलिखित जगहों पर औषधालय खोलने का विचर रखती है।

ग्राम जोड़िया (कोट कासिम)

[श्री घासीराम]

ग्राम सिवाना (टपूकड़ा)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्रश्न संख्या ६ एम. एल. एम. के जरिये दिनांक ६. ३. ५६ को दिया जा चुका है।

श्री घासीराम—क्या अलवर के बारे में भी उसमें उत्तर शामिल था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

प्रश्न संख्या ७५५

गंगधार, पचपहाड़ रोड के लिये स्वीकृत धन-राशि

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गंगधार, पचपहाड़ रोड (जिला झालावाड) प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलत थी और इसके लिये कितना रुपया स्वीकृत था ?

(२) उक्त योजना में यह सड़क कितने माइल बनाई गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि कोटा के एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर द्वारा यह काम इसलिये नहीं करवाया गया कि उन्हें ठेकेदार नहीं मिले ? यदि हां, तो इसके लिये निर्धारित रुपया लेप्स हो जाने की जिम्मेवारी किसकी है ?

(४) क्या गवर्नमेंट संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(१) हां

(२) ५ मील ४ फर्लांग।

(३) हां। किसी की नहीं।

(४) सवाल नहीं उठता।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या यह सही है कि (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—स्विच ऑन करके बोलिये।

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी नहीं।

प्रश्न संख्या ७५६

दांता हाउस स्थित भूस्वामी संघ के दफ्तर की तलाशी

श्री जालनसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूस्वामी आन्दोलन के सिलसिले में दांता हाउस की व वहां पर स्थित भूस्वामी संघ के दफ्तर की कितनी बार तलाशी ली गई ?

(ख) उक्त तलाशी में क्या क्या चीजें पुलिस ने अपनी तहवील में लीं ?

(ग) क्या यह सही है कि तलाशी लेते वक्त रोकड़ की अलमारी का भी ताला तोड़ा गया ?

(घ) यदि हां, तो उसमें कितने रुपये निकले ?

(ङ) क्या रुपयों के मिलने का इन्द्राज तलाशी की फर्द में किया गया था ?

(च) उक्त समय मौतबिर कौन कौन उपस्थित थे ?

(छ) जो रुपया मिला उसका पुलिस ने क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) २ बार।

(ख) (ग) श्री सवाई सिंह धामोरा को दिनांक २२. १२. ५५ को दांता हाउस में गिरफ्तार किया गया।

(ख) ३०. १२. ५५ को पोइन्ट ४२ बोर पिस्तोल नं० ४८ ६४७५ मय १२ कार्टिजेज़ के बरामद हुई।

(ग) १ बार।

(घ) ६ कागज व एक फाइल।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ङ) जी हां।

(च) कुछ नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) श्री श्रीनारायण पुत्र गोविन्दराम अग्रवाल, खेतड़ी।

श्री चन्दालाल पुत्र जमुनालाल सुनार, नीदड़ रावजी का रास्ता।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—यह तलाशी तीन बार किसलिये ली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी ?

श्री जवानसिंह—यह तलाशी किसलिये ली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ व्यक्ति छिपे हुए थे, उनको तलाश करने के लिये।

श्री भैंरु सिंह—जब कि गुप्त व्यक्ति की तलाशी लेनी थी तो रोकड़ की तलाशी दुबारा लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक दफा श्री सवाईसिंह धामोली के लिये तलाशी लेनी पड़ी।

श्री भैंरु सिंह—क्या सवाईसिंह धामोली आलमारी में छिपे थे इसलिये आलमारी का ताला तोड़ना पड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास—आलमारी उस बार नहीं खोली गई। दूसरी बार मेजिस्ट्रेट के आर्डर से खोली गई।

श्री भैंरु सिंह—आलमारी जिस समय तोडी गई उस समय उसे तोड़ने का क्या कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास—सर्च वारन्ट था इसलिये खोली गई।

श्री भैरोंसिंह—जब सर्च वारन्ट से दाता हाउस की तलाशी ली गई थी तब वहां पर रहने वालों को पुलिस ने क्या कहा था ?

श्री रामकिशोर व्यास—ओफिस सर्च करना था।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह भी आवश्यकता थी कि रूपये जब्त किये जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास—रूपये तो कहीं भी उस आलमारी में थे नहीं। उनको कहा गया था कि आलमारी का ताला खोल दो, उन्होंने खोला नहीं तब मोतबिरों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। उसमें कोई रुपये नहीं निकले, कागज़ जरूर निकले।

श्री भैंरूसिंह—ओफिस सर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो मजिस्ट्रेट जाने, How can the government say?

प्रश्न संख्या ७५७

झालावाड़ में काश्तकार फंड के नाम से जमा रकम

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) झालावाड़ जिले में रियासती जमाने से काश्तकार फंड के नाम से कितनी रकम जमा है और वह रकम अभी तक काश्तकारों के काम में क्यों नहीं लाई गई ?

(२) क्या यह सही है कि इस रकम के सदुपयोग की दृष्टि से एक योजना भी बनाई गई थी; यदि हां, तो उसे कार्यान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस किस्म की कोई रकम कृषि विभाग में जमा नहीं है। कलेक्टर झालावाड़ से इस मामले में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सिंह तरंगी—पहले भी इसके बारे में प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर पहले दिया था कि डेढ़ लाख रूपया जमा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले उत्तर दिया कि कृषि विभाग में इस तरह की कोई रकम जमा नहीं है। रेवेन्यू विभाग में हो सकती है। राजस्व विभाग और कलेक्टर को लिखा है कि

Page No 19

[श्री भोगीलाल पंडया]

कितनी रकम जमा है और क्या योजना थी उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। कलेक्टर का जवाब अभी तक नहीं आया।

श्री भगवानसिंह तरंगी—इस नाम से योजना बनी वह कार्यान्वित क्यों नहीं हुई उसके बाबत पहले पूछा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि योजना बनी होगी तो राजस्व विभाग में होगी। कलेक्टर को पूछा है। कृषि विभाग के ऊपर यह प्रश्न आया है, उससे संबंधित यह नहीं है लेकिन जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—अब तक जानकारी क्यों नहीं मिली जब कि पर्याप्त समय था

श्री भोगीलाल पंड्या—कलेक्टर से तार द्वारा सूचना मांगी गई थी लेकिन आज तक सूचना पहुंच नहीं पाई है।

प्रश्न संख्या ७५८

ग्राम दादिया के यूनानी दवाखाने को आयुर्वेदिक औषधालय में परिवर्तित करना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : ग्राम दादिया के यूनानी दवाखाने को आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी में परिवर्तित करने के लिये उक्त ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत की तरफ से कितने आवेदन-पत्र सरकार के समक्ष पेश हुये और उन पर कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा कोई आवेदन पत्र तो लिखित में नहीं आया मालूम होता परन्तु वहां के निवासियों के आग्रह पर यूनानी दवाखाने के बदले में यहां आयुर्वेदिक औषधालय खोला जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—आवेदन-पत्र आने पर कितने रोज में आज्ञा दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आज्ञा दी जा चुकी है और मेरे ख्याल से एक-डेढ़ महीने पहले आपको बता दिया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह हुक्म अभी तक कागजों पर ही है और तामील नहीं हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तामील हो रही है, हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी ही हो जायगी। आज्ञा दी जा चुकी है। व्यवस्था कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या ७५६

भूस्वामी सत्याग्रह में लाठी चार्ज

श्री भैरूंसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देंगे:

(क) भूस्वामी संघ के वर्तमान सत्याग्रह में किस किस दिन व किस किस जगह पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज हुआ। उस दिन सत्याग्रहियों व लाठी चार्ज करने वाली पुलिस वालों की कितनी कितनी संख्या थी ?

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस ने उन सभी सत्याग्रहियों गिरफ्तार नहीं किया जिन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) लाठी चार्ज में आहत भूस्वामियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया या नहीं ? यदि हां, तो किस किस भूस्वामी का किस किस तारीख को किस किस डाक्टर से मुआयना कराया गया और उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस प्रश्न का उत्तर लंबा होने के कारण पूरी सामग्री एकत्रित नहीं हुई, अभी १० दिन और लगेंगे।

प्रश्न संख्या ७६०

राजस्थान में महत्वपूर्ण सड़कें मानने के आधार

श्री हनवन्तसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में महत्वपूर्ण सड़कें किस आधार पर मानी जाती हैं ?

(ख) शेरगढ़ पोकरण सड़क (रूट) किन कारणों से महत्व रखती है

[श्री हनवन्तसिंह]

(ग) उक्त सड़क पर कितनी बसें, लारियां व प्राइवेट कारें रोजाना चलती हैं ?

(घ) समस्त राजस्थान में कुल कितनी और कौनसी महत्वपूर्ण सड़कें (रूट्स) हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिये थोड़ा समय चाहूँगा। नेक्स्ट टर्न तक उत्तर दे दिया जायगा।

श्री जवानसिंह—इम्पोर्टेन्ट सड़कों के लिये भी समय चाहिये क्या ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कब दिया गया था। when was the Question table?

श्री जवानसिंह—इम्पोर्टेन्ट सड़कों के बारे में भी डिस्ट्रिक्ट्स से तय होकर आता है या राजधानी में तय होता है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी नहीं, वह तो डेवलपमेंट डिपार्टमेन्ट में तय होती हैं।

श्री जवानसिंह—इनके हेड क्वाटर्स और कहीं स्थित हैं क्या ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैं।

श्री भैरोंसिंह—कौनसी सड़कों को इम्पोरटेंन्ट माना जाता है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—उत्तर यदि मेरे पास आ गया होता तो मैं उत्तर दे देता।

श्री अध्यक्ष—कब तक देंगे ? नेक्स्ट टर्न पर ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—हां साहब, नेक्स्ट टर्न पर।

प्रश्न संख्या ७६१

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द्र मोहिल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६२

भूस्वामियों के वर्तमान सत्याग्रह में विभिन्न जिलों में हुए लाठी चार्ज एवं गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के पास बरामद हुए हथियार

श्री भैरोंसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरूंसिंह]

भूस्वामियों के वर्तमान सत्याग्रह के संबन्ध में किस किस जिले में किस किस तारीख को कितनी कितनी बार लाठी चार्ज करना पडा ?

(ख) इस लाठी चार्ज में किस किस स्थान पर किस किस दिन कितने कितने और कौन भूस्वामी आहत हुए ?

(ग) प्रत्येक लाठी चार्ज में लाठी चार्ज की आज्ञा देने वाले कोन कौन अधिकारी थे ?

(घ) किस किस जिले में कितने कितने व्यक्तियों को लाठी चार्ज के तुरन्त पश्चात् पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ?

(ङ) क्या इस प्रकार गिरफतार व्यक्तियों के पास कोई हथियार बरामद हुए हैं ? यदि हां, तो किन किन के पास और क्या क्या ?

श्री रामकिशोरव्यास (गृह मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर भी लम्बा होने से सामग्री एकत्रित नहीं हो सकी है, इसके लिये १० दिन का समय लगभग और लगेगा।

प्रश्न संख्या ७६३

ग्राम दूधवा खारा (जिला चुरू) के एक मनिहार की पत्नी का गुन्डों द्वारा उड़ाया जाना एवं उन गुन्डों के खिलाफ कार्यवाही

श्री प्रभुदयाल—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम दूधवा खारा जिला चूरू के एक मनियार की औरत ग्राम के गुन्डों द्वारा उड़ाई गई थी ?

(ख) यदि हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शाहअलीमुद्दीन (उप मंत्री)—इसके लिए एक महीने की मोहलत चाहिये, क्योंकि सवाल बहुत इम्पोटेंन्ट कोम्प्लीकेटेड है और इसका उत्तर तफसील में चाहिये।

श्री अध्यक्ष—एक महीने में ? तो शायद नेक्स्ट सेशन में यह नेक्स्ट असेम्बली में उत्तर दिया जायगा।

श्री शाह अलीमुद्दीन—प्रश्न लंबा चौड़ा है।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह तो एक मामूली प्रश्न है, क्या लम्बा चौड़ा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—sir, 763 is emin.

(हंसी)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार जांच कराने की कोशिश करेगी, वास्तव में यह वाकया हुआ है और उनके पास जो रिपोर्ट आई है वह सही नहीं आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्रीअध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७६४

नेयड़ क्षेत्र (जिला जालोर) में शासकीय एन्टी मलेरिया पार्टी एवं वहां औषधियों का वितरण

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि सरकार ने नेयड क्षेत्र (जिला जालोर) में एन्टी मलेरिया की एक पार्टी लगाई है ?

(ब) क्या यह सही है कि यह पार्टी इस साल नेयड क्षेत्र में बिल्कुल नही गई ? अगर नहीं, तो यह पार्टी नेयड़ इलाकों में कहां कहां गई और कितनी दवाइयां बांटीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अ) जी हां।

(ब) मलेरिया का मौसम होता है। १९५५–५६ के साल में इस यूनिट ने इस क्षेत्र में दो बार १४०९१ पौंड डी. डी. टी स्प्रे किया था। इसके अलावा उस समय मे वहां मलेरिया

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

सम्बन्धित हर प्रकार की चिकित्सा भी इस यूनिट ने उपलब्ध की थी। दो एड पोस्ट्स भी इस क्षेत्र में लगा दिये गये हैं। अब यह यूनिट इस मास से फिर इस क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ७६५

पिछले छः माह में जयपुर किशनगढ़ सड़क मोटर दुर्घटनाएं एवं उनमें आहत व्यक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) पिछले ६ माह में जयपुर किशनगढ़ रोड पर कितनी मोटर दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने व्यक्ति कब कब आहत हुए या मारे गये?

क्या कोई पी॰ डब्लू. डी. का कर्मचारी भी उक्त रोड पर किसी दुर्घटना में मारा गया?

(३) यदि हां, तो कब और किस नम्बर की गाड़ी से और उक्त केस का चालान कब किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—(१) चार।

ता० २८.१२.५५ को एक आदमी मारा गया। ५ आदमी ता० २५.१२.५५ को, १ आदमी ता० ६.२.५६ को तथा दो आदमी ता० २३. २ ५६ को घायल हुए।

(२) जी हां।

(३) यह एक्सीडेन्ट कार नम्बर ए.जे.एम. ४१ से ता० २८.१२.५५ को हुआ। मामले का अभी अनुसन्धान किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—यह एक्सीडेन्ट करने में कौन व्यक्ति था?

श्री रामकिशोर व्यास—अभी इन्वेस्टीगेशन चल रही है, अजमेर की कोई कार थी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अजमेर के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनकी कार से यह एक्सीडेन्ट हुआ?

Page No 25

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने कहा, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह डिस्क्लोज़ करना अभी ठीक नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, यह प्रोसीजर होना चाहिये, पर नहीं कह सकता कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गवाहन को सरकार की ओर से इस बात के लिये परेशान किया जाता है कि वे सही बयान नहीं दें ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी, सही नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस केस को देख कर जल्द कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और क्या कार्यवाही की जाय ?

श्री चांदमल मेहता—इस इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—कितना समय लगेगा, यह मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य।

प्रश्न संख्या ७६६

केसरीसिंहपुर (जिला गंगानगर) में धान मण्डी में डिस्पेन्सरी खोलने की शासकीय योजना

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या स्वास्थ्य मंन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार केसरीसिंहपुर जिला गंगानगर में धान की मण्डी में डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No 26

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता — (१) यह प्रश्न विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय किया जायगा।

(२) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७६८

ग्राम रंगराजपुरा (त० पाटन) में डकैती एवम् लूटे गये माल की बरामदगी इत्यादि

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम रंगराजपुरा, तहसील पाटन, जिला बूंदी, में डकैती कब व किस गिरोह द्वारा की गई थी ?

(ख) उपरोक्त डकैती में किस किस का कितना कितना माल गया ?

(ग) पुलिस की छानबीन किस स्टेज पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास——(क) ग्राम रंगराजपुरा में ता० २३-२-५६ को रात के लगभग ७ बजे एक डकैती हुई।

(ख) उस डकैती में अमरा पटेल के मकान में से ५७३५ रु० की लागत के गहने तथा कपड़े गये।

इस वर्ष बूंदी जिले में केवल यह एक ही डकैती हुई है। इसके होने का क्या कारण है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता।

यह डकैती निम्नलिखित आदमियों के गिरोह द्वारा की गई : बाबू, इस्माइल, जुम्मा, कन्हैयालाल सुनार, मुमताज, इस्माइल ईरानी वाला और रमजानी।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) चोरी गया माल वापिस मिल गया है। एक डाकू मारा गया तथा अन्य गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला तारीख २३-३-५६ को चालान किया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—इस डकैती की इत्तला थाने में किस तारीख को पहुँची?

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख तो मुझे याद नहीं।

श्री अध्यक्ष—सब जुडिस केस है, it is pending in the court.

महाराज श्री केसरीसिंह—यह डकैत किसके द्वारा मारा गया, किसके हाथ से मारा गया?

श्री अध्यक्ष—Await the decision of the court.

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप अलग से पूछें तो बता सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—रामजी के हाथ से मारा गया।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ७६१

जिला गंगानगर में पुलिस द्वारा वसूल की गई सेविंग्स सर्टिफिकेट की रकम

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में पुलिस द्वारा कितनी रकम सेविंग्स सर्टिफिकेट की वसूल की गई?

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा ये सर्टिफिकेट जबरदस्ती लोगों पर थोपे जा रहे हैं?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाने को तैयार है?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) ऐसी कोई रकम पुलिस द्वारा वसूल नहीं की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या सरकार जांच कराने को तैयार है, जिन लोगों से इस प्रकार की रकम वसूल की गई है वे कहने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अगर कहेंगे तो जांच कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७७०

श्री अवनिकुमार मुखर्जी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री नारायण चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७७२

सन् १९५२ के पूर्व सिंचाई होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई दर की वृद्धि हेतु समिति की नियुक्ति

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने १९५२ से पहले से सिंचाई होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की दरें बढ़ाने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस कमेटी में गंगानगर के नहरी क्षेत्र के कुछ गैर सरकारी मेम्बर भी लेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में गंगानगर कोलोनी में सिंचाई की दरें बढ़ाने के लिये कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[श्री खेतसिंह]

(ग) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ५२ के पहले के जो सिंचाई वर्क्स हैं उनमें कोई मामला बढ़ाने की , सिंचाई की दरें बढ़ाने का विचार करती है कि नहीं ?

श्री खेतसिंह—-यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु — क्या सरकार इसके लिए कोई कमेटी बना रही है ?

श्री खेतसिंह—नहीं कोई कमेटी नहीं बना रही हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

श्री खेतसिंह—अब तक यह प्रश्न विचाराधीन है, समय लग सकता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह मामला किस स्टेज पर है, और क्या विचार किया जा रहा है ।

श्री खेतसिंह—इस पर विचार किया जा रहा है., किस स्टेज पर हैं यह तो अभी मैं नहीं कह सकता ।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—तो यह समझा जाना चाहिये कि सरकार सिंचाई की दरें बढ़ाना चाहती है ?

श्री खेतसिंह—नहीं, यह भी नहीं समझा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७७३

टोंक जिले में तीन वर्ष पहले आर्म्स लाइसेंस नवीनकरण हेतु फीस जमा होने पर आर्म्स पुलिस स्थानों में जमा कराना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोंक जिले में तीन तीन वर्ष पहले ही रिन्युअल फीस जमा होने पर भी आर्म्स लाइसेंस नहीं दिये गये ?

[श्री सरदारसिंह]

(ख) क्या यह भी सही है कि उनके आर्म्स फीस जमा करने पर भी लाइसेंस जारी नहीं किये जाकर आर्म्स पुलिस स्टेशन में जमा करवाये जा रहे हैं ?

(ग) यदि हां, तो किसके आदेश पर ऐसा हो रहा है और क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लाइसेंस नहीं दिये जाने का कारण प्रार्थनापत्रों का नियमित नहीं होना, फोर्म्स का प्रोपर तरीके से नहीं भरा जाना व पुलिस द्वारा रिकमेंड नहीं करना आदि है। टोंक के जिलाधीश ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं, इसलिए जिनको लाइसेंस नहीं मिले हैं, उन्हें मिल जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि गांवड़ी के जागीरदार और अन्य चार पांच सरदारों के लाइसेंस रिन्यू भी हुए; लाइसेंस भी थे, रसीदें भी थीं फिर भी उनके आर्म्स-कुछ के मालपुरा और बाकी के टोंक मंगा लिए गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्डिविज्युअल केसेज़ के बारे में तो मैं अर्ज नहीं कर सकता पर उनके फोर्म प्रोपर फोर्म में नहीं भरे गये होंगे इसलिए ऐसा किया गया होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—प्रोपर फोर्म और क्या होता है; लाइसेंस हैं, रिन्यू कराने गए और रिन्यू नहीं किये गये।

श्री रामकिशोर व्यास—फोर्म प्रोपरली नहीं भरे गये हों अथवा पुलिस रिकमन्ड नहीं करती है, तो ऐसा हुआ होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अगर फोर्म प्रोपर नहीं थे तो गये साल रिन्यू क्यों किया गया ? प्रोपर फोर्म में नहीं होने से क्या आर्म्स जब्त किये जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं, नये फार्म भरे जायें।

राज श्री हिम्मतसिंह— तो फिर पुलिस ने मांग क्यों लिये ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—श्री जयचन्द मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी ।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित)

(स्वायत शासन मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए)

पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मामला है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कई बार कह चुका हूं ।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Yes, clause 257; Municipal Bill.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५७ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५७ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खण्ड २५८

श्री **सोहनलाल भटनागर**—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २५८ के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड की एक युनियन सारे राजस्थान में बनाने का प्रोवीजन किया गया है। इसमें सब क्लॉज़ (३) में यह लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट निम्नलिखित मामलों में रूल्स बनाएगी और इसके साथ में सब क्लॉज़ (४) में यूनियन को यह अधिकार दिया गया है कि वह सब सेक्शन (३) में जो रूल्स बनाए जावेंगे उनको एमेन्ड कर सकती है। मेरे यह समझ में नहीं आता कि जब सब सेक्शन (३) में रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो "In sub-clause (4) insert the words, 'with the approval of the State Government' after the words, 'shall have power" होना चाहिए। इसलिए मैंने यह एमेंडमेंट रखा है।

श्री **भैरोंसिंह** (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, श्री सोहनलाल भटनागर ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके विरोध में कुछ शब्द सदन में प्रस्तुत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ के अनुसार राजस्थान की म्युनिसिपेल्टियों को हम एक विशेष प्रकार की सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज तक जितनी भी नगरपालिकाओं का निर्माण हुआ है, उनके कानून बनाने में और उनके कानून बनने के बाद में भी उनको लागू करने में भी सरकार की ओर से स्पष्ट रूप में हस्तक्षेप रहा है। पब्लिक की राय ऐसे मामलों में जानी गई हो, वैसी बात नहीं कही जा सकती है। अब हमारा सौभाग्य है कि हम नगरपालिकाओं के कानून विधान सभा के द्वारा पास करके बनाएंगे और लागू करने की चेष्टा की जा रही है और जब हम इस प्रकार के कानून बना कर उन पर लागू करने जा रहे हैं तो इस संबन्ध में हमें और भी सावधानी और उनको सुविधा देने की बातों की तरफ ध्यान देना होगा, जो हम नगरपालिकाओं को देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष, यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के विधान सभा में जितने भी सदस्य इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से सहयोग दे रहे हैं वे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं और यह भी कहा जा सकता है कि उसमें वे नगरपालिकाएं भी शामिल हैं जिनके लिये हम कानून बनाने जा रहे हैं। हम उनके बड़े रूप में प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं जो कानून को बनाने में सहयोग दे रहे हैं। सीधे संबन्धित व्यक्तियों की राय जानी जावे तो वह भी उचित हो सकता है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बात का इस क्लॉज़ में समावेश करने की चेष्टा की। लेकिन क्लॉज़ की समष्टी के साथ साथ यह संशोधन लाकर उसके शैशव काल पर ही आघात करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस आघात से इस क्लॉज़ को एक तरह से ठुकराने की सी मंशा की सी बात होगी। हम इस क्लॉज़ के द्वारा यह व्यवस्था कर रहे हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड जो सारे राजस्थान में है उसमें से आधे से ज्यादा म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य चाहें तो अपने दस्तखत करेंगे और कहेंगे कि यूनियन बनाई जावे। इस प्रकार वे अपनी यूनियन बना सकते हैं, मगर यह देखना है कि यूनियन के फंक्शन क्या होंगे, वह किस प्रकार से सरकार को सलाह दे सकेगी और किस प्रकार से सरकार उसकी सलाह मानेगी और उसकी सलाह का क्या असर होगा, ये मुख्य बातें ऐसी हैं जिन पर सदन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यूनियन सब प्रकार की बनाई जाती है। लेबर यूनियन बनती है और दूसरी यूनियनें भी बनती हैं, आज-कल छोटे छोटे गांवों में जहां पंचायतें हैं

[श्री भैरोंसिंह]

वहां पर भी दो-दो, तीन-तीन पंचायतें मिल कर अपनी यूनियन बनाती है और जो पंचायतों के काम में बाधाएं आती हैं उन सब को सरकार के समक्ष रखा जाता हैं उनको पहले पंचायतों के समक्ष विचार के लिये रखा जाता है और जिसके द्वारा सारी बातों का हल निकाला जा सकता है। लेकिन उन यूनियनों को हमने सरकारी स्थान पर कोई मान्यता नहीं दी है। सरकार चाहे तो उनकी राय मान ले और नहीं चाहे तो नहीं माने, यह कोई मेन्डेटरी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जहां हम इस बात को एक्ट में रख कर और उसका समावेश करके यूनियन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि हम इसको मान्यता दे रहे हैं। लेकिन हम उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन देंगे, यह तय करने की बात है।

जहां तक यूनियन का प्रश्न है, राजथान में जितनी नगरपालिकाएं कार्य कर रही हैं वे सारी की सारी इस बात से सहमत होकर यूनियन बनाने की चेष्टा करेंगे और इस प्रकार की यूनियन बनाएंगे। इस यूनियन बनाने के लिये आधे मेम्बरों की बात आपने रखी है, वह मैं समझता हूँ कि ज्यादा है क्योंकि सब लोगों को दस्तखत करने में देर हो सकती है, उन लोगों को अपनी सहमति प्रकट करने में देर हो सकती है और इससे जो यूनियन सरकार को नेक सलाह दे सकती है उसमें भी देर होगी। इसलिये यह जो १/२ से ज्यादा लोग चाहें तो यूनियन बना सकेंगे, यह बात नहीं होनी चाहिये थी। संशोधन तो इस प्रकार का होता और आता कि आधे से कम सदस्य चाहें तो इस प्रकार की यूनियन का निर्माण कर सकेंगे। आगे चल कर इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इसके फंक्शन क्या होंगे ? इसके लिये मैं यह कहूंगा कि सरकार ने इसके लिये सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं :

"(3) The following matters shall be regulated and governed by rules made by the State Government, viz,

(a) the constitution and aims and objects of the union; "

जब हमने यूनियन बना ली तो उसका क्या उद्देश्य होगा, वह यूनियन किस काम के लिए होगी, किस प्रकार का रूल बनाएगी। लेकिन जब हम सरकार के हाथ में सारे के सारे मामलों का निर्णय करने का अधिकार देते हैं तो सरकार केवल इस उद्देश्य से ही इसको रखदे कि सरकार जो रूल्स और रेगुलेन्शस बनावेगी उसकी तामील कराने की जिम्मेदारी यूनियन की होगी तो मैं यह कहूंगा कि रूल्स और रेग्यूलेन्शस की तामील कराने के लिए तो नगरपालिका के चुने हुए व्यक्ति मौजूद हैं ही। उनको इस प्रकार के अधिकार देने चाहिये कि वे एम्स और कोन्स्टीट्यूशन सारे के सारे आदमी एकत्रे होकर बनावें और सरकार उसे उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में नगरपालिका की यूनियन स्वीकार करे।

[श्री भैंरूसिंह]

इस पर माननीय अध्यक्ष, म्युनिसिपैलिटी में झगड़ा भी हो सकता है। नगरपालिकाओं की यूनियन की इच्छा है कि अमुक प्रकार का टेक्स लगाना है और उसमें सरकार की इच्छा है कि अमुक प्रकार का टेक्स नहीं लगाया जाय तो ऐसी हालत में हमें उस यूनियन की राय को मानना पड़ेगी इस पर सरकार भी यह कह सकती है कि वह भी तो जनता द्वारा चुनी हुई है, वह भी जनता की प्रतिनिधि है। लेकिन प्रेक्टिकल साइड से देखा जाय तो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि संस्था वह ज्यादा है और प्रेक्टिकल साइड का उसको अनुभव ज्यादा है, उस अनुभव के आधार पर अमुक प्रकार टेक्स नहीं लगना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, नैतिकता की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह आवश्यक है कि उसकी राय को प्रोत्साहन देने के लिए उनके कथन को मान लेना चाहिये और जो टेक्स वे लगाना नहीं चाहते उसको नहीं लगाना चाहिये। अगर हम इस प्रकार की पाबन्दी डाल देते हैं कि यूनियन जो बनेगी उसका कोन्स्टीट्यूशन सरकार बनायेगी उसके एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स सरकार निर्धारित करेगी, मैं समझता हूं यह यूनियन बनाने के मूल सिद्धांत पर उसकी मूल भावना पर आघात है, यह एक प्रकार से यूनियन बनाने की भावना को आघात पहुंचेगा। सरकार कोई भी इस प्रकार का उद्देश्य बनाती है, उसका यह उद्देश्य हो सकता है; जिस प्रकार वह हुक्म दे, उसकी तामील कराये वह यूनियन और जिस प्रकार की सरकार की मरजी हो उस प्रकार की व्यवस्था कराने की चेष्टा वह यूनियन करे, यदि इस प्रकार का उद्देश्य निर्धारित करेगी तो उसका मतलब यह हुआ कि यूनियन बराये नाम होगी।

हमने यू. पी. में भी यूनियन्स देखी हैं और हम अपने इस बिल में उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत हेरफेर करके। इसमें हमें एक नयी चीज की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि आज हम किस ओर जा रहे हैं, आज हमारे यहां हम लोग डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पोवर्स की ओर जा रहे हैं लेकिन जहां हम इस बिल को देखते हैं, हर चीज के बारे में सरकार निर्धारित करे यह सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है। हर चीज के अन्दर हम जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, ज्यादा से ज्यादा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें ताकि हर आदमी को सत्ता तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी का अनुभव न हो, इसलिए यह यूनियन उस ओर बढ़ने वाला एक कदम है। यूनीटरी फोर्म आफ गवर्नमेंट तो स्वीकार नहीं किया गया लेकिन जब हम पंचायतों की मारफत, नगरपालिकाओं की मार्फत सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं लेकिन जब हम इस एक्ट को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि हर धारा के अन्दर बजट बनाने का, मेम्बरों को हटाने का, इलेक्शन को डिस क्वालिफाइ करने का, अपोइन्टमेंटस करने का, टेक्स आदि लगाने का सब अधिकार हम सरकार को दे रहे हैं; इससे यह स्पष्ट मालूम देता है कि सरकार अपने अन्दर ज्यादा से ज्यादा सत्ता को केन्द्रीभूत करना चाहती है, यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सरकार को चाहिये कि वह अपनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करे और लोएस्ट लेवल तक विकेंद्रीकरण करे ताकि पंचायतों को, नगरपालिकाओं को यह आभास होने लगे कि जिस प्रकार की

[श्री भैंरूसिंह]

सरकार की जिम्मेदारी है उसी प्रकार की जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है, उसको उसी तरह निभा सके। लेकिन हम लोगों ने यह अवसर नहीं दिया; किसी प्रकार का भी काम हो और उसमें नगरपालिकाओं और पंचायतों को अवसर दे। आज हम इस बिल में भी सरकार को सब तरह के अधिकार दे रहे हैं। अगर हम यूनियन्स को ज्यादा अधिकार देते है तो वह सत्ता के विकेन्द्रीकरण की और एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा। इसमें यूनीन्स के क्या एम्स होंगे उसके निर्धारण का कार्य भी सरकार ने अपने हाथ में रखा है, वह विकेन्द्रीकरण की बुनियाद के खिलाफ है। जब कि आधे से ज्यादा नगरपालिकाओं के सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं और यह तय करते हैं कि यह हमारा काम है कि हम सरकार को एडवाइस करें, नागरिकों को सलाह दे सकें' वैसी हालत में अगर सरकार ने ऐसे रूल्स बना दिये कि ये यूनीयन्स किसी भी हालत में सरकार को एडवाइज़ नहीं कर सकेगी। तो इससे यह होगा कि आज जहां हम यूनीयन्स को देश में प्रगति की और ले जा रहे हैं वहां हमारा यह कदम यूनियन्स को एक बेकार की संस्था बनाने का होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जहां हम यह व्यवस्था कर रहे हैं यूनीयन्स बने तो हमें यह भी निर्णय कर लेना चाहिये कि वह यूनीयन सरकार को और जनता को एडवाइज करे। इस प्रकार की सलाह से हमें एक विशेष प्रकार का फायदा होगा। अगर हम इस प्रकार का अधिकार नही देते हैं तो नगरपलिकाओं से और यूनीयन्स से जो जनता की सेवा करना चाहते हैं वह सेवा नही हो सकेगी। ऐसी सूरत में यह हो सकता हैं कि सरकार इमरजेन्सी पोवर्स अपने हाथ में रखे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शुरूआत में ही हम यूनीयन्स को कुछ काम करने का मौका नहीं देते है तो हमारी जो भावना है उसके प्रतिकूल कार्यवाही होगी, आगे चलकर। यह लिखा हैं :

" (b) The amount and the method of contribution by the boards to the union; '

इसमें यह है कि यूनियन को कितने पैसे की आवश्यकता होगी, वह भी सरकार निर्धारित करेगी कि वह पैसा कैसे इकट्टा किया जायगा ? यह एक मालूमी सी बात है कि यूनियन का आफिस कैसे मेन्टेन होगा, कौन कौन पदाधिकारी होंगे, उसका क्या खर्चा होगा, इन सब बातों को हमें यूनीयन पर ही छोड देना चाहिये लेकिन यहां ये सब अधिकार सरकार अपने हाथ में रख रही है, सारी चीजें सरकार तय करेगी। अपना बजट बनाना, यूनीयन का क्या बजट होगा आमदनी किस प्रकार से होगीं या हर म्युनिसिपल मेम्बरको १० रुपया माहवार यूनियन को देना पडेगा, ये सब इस प्रकार की बातें है इनको सरकार अपने हाथ में रखती है तो मेरे ख्याल से यूनियन का फंक्शन एक प्रकार से बेकार सा हो जायगा, हमें जितने भी फाइनेन्सेज़ के मामले है वे सब बोर्ड पर छोड देने चाहिये, जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ पर छोड देने चाहिये। बोर्ड अपने मेम्बरों की इच्छानुसार इस प्रकार के तरीके निर्धारित करेगा जिस तरीके से म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा निश्चय कर सकेगा कि म्युनिसिपल बोर्ड को इतना पैसा देना, फी मेम्बर इतने पैसे यूनियन को देना, सरकार को इतनी सहायता देना; ये सब बातें म्युनिसिपल

[श्री भैंरूंसिंह]

बोर्ड पर रख देनी चाहिये। इस धारा से यह स्पष्ट रुप से मलूम पड़ रहा है कि सरकार रुल्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है, यह म्युनिसिपल बोर्ड को ऐसा मौका देना नहीं चाहती क्योंकि सरकार को यह डर है कि म्युनिसिपल बोर्ड अपने कार्य संचालन के लिये सरकार से सहयता मांगेगा तो उस सहायता के डर से सरकार पहले से ही ऐसे और इस प्रकार के रुल्स बनाने का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, यह बहुत बुरी चीज है, इस प्रकार से यूनियन की भावना को प्रोत्साहन देने के प्रतिकूल होगा।

आगे इसमें लिखा है "(c) the management and control of finances of the uuion" इस क्लॉज़ में यह बताया गया है कि रुल्स सरकार बनायेगी। मेनेजमेन्ट और फाइनेन्स का कन्ट्रोल किसका होगा, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें के लिये आप सरकार को अधिकार देते है तो यूनीयन एक तरह से बेकार की चीज होगी। यह तो वैसी चीज होगी जैसे डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के आफिस में जिस प्रकार सुपरिन्टेन्डेन्ट काम करता है उसी प्रकार का रुप उसी यूनीयन का भी होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यूनियन की छोटी मोटी बातो में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आगे यह आता है :

"the holding of the joint sessions of the union with a State district Boards Union to discuss matters pertaining to the joint interest of both the unions and. if required, for the establishment of a joint committee for the discussion and examination of special problems common to such unions".

मानीयन अध्यक्ष, वास्तव में यह क्लॉज़ बहुत अच्छा है। यह उस भावना का द्योतक है जिससे हम यह आभास कर सकते हैं कि आगे चलकर पंचायतों की यूनियन बनेगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की यूनियन बनेगी और नगरपालिकाओं की भी यूनियन बनेगी। इससे यह होगा कि डेवलपमेन्ट के जितने भी काम होगे उनमें यदि नगरपालिका और पंचायतों के बीच में संघर्ष है तो उसका निराकरण हो सकेगा। यदि इस प्रकार का कोई झगड़ा होता है तो इन चीजो को आपस में बैठकर पंचायतों के प्रतिनिधि और नगरपालिका के प्रतिनिधि और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे, वह राज्य सरकार पर लागू होगा? हमने यह तो व्यवस्था कर दी कि तीनों बैठकर निर्णय करेंगे लेकिन जो कुछ निर्णय करेंगे क्या वह सरकार पर लागू होगा, यह इसमें नहीं है। मेरा इस पर यह निवेदन है कि अगर तीनों यूनियन्स किसी एक बात को लेकर निर्णय करती हैं और वह सरकार के समक्ष प्रस्तुत होता है तो उसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। ये तीनों यूनियन्स सारी जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तीनों यूनियन्स से बची हुई कोई जनता नहीं रहेगी। अगर इनकी राय को सरकार नहीं मानती है और उसमें हस्तक्षेप करे तो यह अन्यायपूर्ण होगा।

[श्री भैरूसिंह]

आगे श्री सोहनलाल जी ने प्रस्ताव किया है वह सारे क्लॉज़ को बिगाड़ने वाला है।

इसलिये सोहनलालजी के प्रस्ताव को मन्जूर न किया जावे। इस पर इस कारण से अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया जा सका कि अकोमोडेटिंग स्पिरिट में यहां हम सब काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मेरा यही कहना है कि इसको डेफर कर दें। आप मन्जूर करना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं इतना ही कहकर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस क्लॉज़ के अन्तर्गत नया क्लॉज़ इन्ट्रोड्यूस कीया गया है जो किसी भी अन्य प्रान्त में नहीं है। अब इसमें संशोधन जो पेश किया गया उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन विथड्रा कर लें और इसके बाद जिस तरह से चाहें आपस में बैठकर तय करके मन्जूर कर लेंगे। यूनियन के काम में हस्तक्षेप करने की सरकार की मंशा नहीं है बल्कि सरकार में और म्यूनिसिपेलिटी में कोऑर्डिनेशन हो सके इसके लिये यूनियन बनाई जा रही है। इस तरमीम को वापिस लेने के बाद मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और भी जो सुझाव आपने दिये हैं उनको भी इसमें इन्कोरपोरेट करने का ध्यान रक्खा जावेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या इसकी अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री सोहनलल भटनागर—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५८ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खंड २५८ विधेयक का अंग बना।

Now that the clause has been passed, I would like to express that there was no harmif that amendment had beem accepted. That amendment would have been accepted but for the dilatory attitude which the hon' ble member has adopted. Here in this case the Governmentt's function is only advisory and there must be a check on what the unions do.

श्री भैरू सिंह्—रूल्स भी तो बनेंगे माननीय अध्यक्ष, उनके खुद के ही रूल्स हैं।

श्री अध्यक्ष—But the amendment was only advisory. Any way-

(विराम)

खंड २५६ व २६०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २५६ व २६० स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खंड २५९ और २६० विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड २६१ से २७७

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, एवं २७७ स्वीकार किये जावे।

(स्वीकृत)

खंड २६१ से २७७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ २७८, श्री भैंरू सिंह।

श्री भैरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "Substiute the following for sub-clause (5):—

'(5) The State Government shall either convey its sanction to the board for the budget estimates within a month of its receipt or return it to the board for reconsideration on the points as the State Government may deem proper,

[श्री भैरू सिंह]

Provided that if no such sanction is communicated to the board within the aforsaid period of one month the budget estimates as submitted by the board shall be deemed to have been sanctioned, by the Stat. Government.

(2) Add the following new sub-clause, namely:—

(6) If the budget estimates are rturned the board after having reconsidered shall submit the bndget estimates with or without modification to the State Governme nt and that estimate shall be final and shall be deemed to havebeen sanctioned by the State Government.

माननीय अध्यक्ष, महोदय, क्लॉज़ २७८ में इस बात की व्यवस्था की जा रही है। कि नगरपालिका का बजट इस प्रकार से बनाकर, किसी समय के लिये बनाकर सरकार के समक्ष पेश होकर बाद में किस तरह से लागू होगा। इसके पहले के सब क्लॉजेज़ में यह व्यवस्था की गई है कि बजट जिस समय तैयार हो जावे नगरपालिका उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सरकार यदि उसमें चाहें तो किसी भी प्रकार का रद्दोबदल भी कर सकती है और उसके बाद उस बोर्ड के पास भेजा जावेगा और वह बजट जो सरकार ने किसी भी प्रकार का रद्दोबदल करके भेजा है अन्तिम रूप से स्वीकार होगा।

इसमें मेरा संशोधन यह है कि यदि सरकार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन बजट में करना चाहे तो जिन मुद्दों पर सरकार यह आवश्यक समझती है कि वह परिवर्तन किया जावे उनका संकेत करते हुए वह उस बजट को वापिस नगरपालिका को भेजे और नगरपालिका उस पर जिन मुद्दों की ओर सरकार की ओर से संकेत हुआ है उन पर विचार करे। यदि आवश्यक समझे कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो कर दे और यदि यह आवश्यक समझती है कि परिवर्तन नहीं करना है तो बजट को उसी रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दे और सरकार उसको उसी रूप में स्वीकार करे।

माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप कहिये, कहते जाइये।

श्री भैरू सिंह—तो यह निवेदन कर रहा था कि हमारे सामने नगरपालिका का बजट सम्बन्धी कोई दबाव आया है। इनमें एक यह भी बात है और मैं खास तौर से किशनगढ़ की नगरपालिका का उदाहरण दूंगा। उसका बजट जो सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ था उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में दो-चार बातें अर्ज करूंगा।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय अध्यक्ष, यह कहने को अच्छा सा क्लॉज़ है, यदि सरकार एक महीने में नगरपालिका का बजट स्वीकार करने नहीं भेजती है तो वह स्वीकार किया हुआ समझा जावेगा। मैं समझता हूँ कि बजट स्वीकार करने में ताकीद करने की दृष्टि से जो यह व्यवस्था की गई है उससे और व्यवस्था नहीं हो सकती। पर उसका भी दूसरा रूप है। चाहे जैसा। संशोधन कर दें इसका बजट को बोर्ड उसी रूप में स्वीकार करे। यह बात ऐसी है जिसमें आपत्ति हुए बिना नहीं रह सकती। बोर्ड में और सरकार में कई बार इस बात का झगड़ा होता है। बोर्ड कोई विशेष काम कराना चाहता है और सरकार उसकी इजाजत नहीं देती। बोर्ड कहीं दुकानें, नई बस्ती, और किन्हीं के पुनर्वास के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करना चाहता है और उसके लिये सरकार परमिशन नहीं देना चाहती यह कह कर कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब कि बोर्ड कहता है कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक है। उस सूरत में भी सरकार को कोई बजट देखने में आता है उस समय के चेयरमैन विशेष और मेम्बर विशेष होते हैं उनको परेशान करने की गरज से सरकार मन्जूर करती नहीं और इसलिये मन्जूर नहीं करती कि जो संशोधन सरकार करना चाहती है वह संशोधन म्यूनिसिपल बोर्ड स्वीकार नहीं करना चाहता। माननीय अध्यक्ष, कई बार ऐसा होता है कि नगरपालिका के चुनाव में राजनैतिक पार्टियां भाग लेती हैं, उनके अपने अलग अलग मेनीफेस्टो होते हैं। कोई पार्टी किसी विशेष प्रकार के काम को कराना चाहती है और उसे अपने मैनीफेस्टो में रखती है। दूसरी पार्टी उस प्रकार के दूसरे काम की चेष्टा करती है और इसे अपने मैनीफेस्टो में रखती है। अब यदि कोई पार्टी सरकार के पक्ष की नहीं है और वह जीत कर उस बोर्ड में सत्तारूढ हो जावे और वह अपने मेनीफेस्टो की पूर्ति के लिये बजट में उन चीजों का समावेश करके इस प्रकार का बजट बनाकर सरकार के समक्ष पेश करे तो वे लोग जो हार गये हैं और जिनका सरकारी पक्ष से सीधा सम्बन्ध है वे मिनिस्टरों के पास, सरकार के पास एप्रोच करेंगे और चाहेंगे कि दूसरी पार्टी वाले अपने मैनीफैस्टो में बताये गये काम पूरे नहीं करने पावें। सारे काम पूरे अगर उन्होंने कर दिये तो जनता उनके पक्ष में हो जावेगी और हम सरकार की मदद से नहीं करने देंगे तो फिर जनता उनसे नाराज होजावेगी और पोपूलर नहीं रह सकेंगे, आगे के चुनाव में हम जीत जावेंगे तो इस दृष्टि से इस संशोधन की आड़ में वे इस बजट को कभी मन्जूर नहीं करने देंगे और इस तरह से वह बोर्ड अपने मैनीफेस्टो में बताये काम पूरे नहीं कर सकेगा। ऐसा ही हाल किशनगढ की म्यूनिसिपल का हुआ है। उन्होंने कहा कि हम शरणार्थियों को बसाने के लिये कुछ दुकानें वगैरह बनाना चाहते हैं, सडकें भी टूटी फूटी हैं उन्हें ठीक कराना चाहते हैं और भी हम लेट्रिन, पेशाब-घर तहारत के बारे में सोचते हैं कि वे भी बनाये जावें उनके लिये हमने जनता से वायदा किया था तो उनको पूरा करने की हमें इजाजत होनी चाहिये। वह बजट बनाकर उन्होंने सरकार के पास भेजा, सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ। पर सरकार ने उसे इस कारण से नामन्जूर कर दिया कि इनके लिये नये टैक्स लगावेंगे आप। वह वापिस आया। बोर्ड ने कहा कि नये टैक्स हमें नहीं लगाने हैं, जो आर्थिक स्थिति हमारी है, हम बखूबी ये काम कर लेंगे, एक भी पैसे का टैक्स जनता पर हम नहीं लगावेंगे। हम इसमें कुछ लोगों से कन्ट्रीब्यूट करावेंगे, लोग इसके लिये स्वेच्छा से तैयार

Page No 41

[श्री भैरूंसिंह]

हैं, फन्ड्स लोगों से हम इकट्ठे इस प्रकार से कर लेंगे तो इस तरह से हम इन कामों को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पर बदकिस्मत यह हुई कि वहां जो पार्टी बोर्ड में सत्तारूढ है वह सरकार की विरोधी पार्टी थी और ६ महीने होने आये अभी तक उनको, कोई उत्तर नहीं मिला, न वह बजट स्वीकार करके भेजा गया। कभी सेक्रेटेरियट का चक्कर वह खाती है फाइल, कभी स्वायत्त शासन विभाग का और चैयरमैन के पास उसे ६ महीने तक घुमाया गया। तो इस तरह से बोर्ड जो चीज करना चाह रहा है वह कर नहीं पा रहा है इन कारणों से। सरकार यह चाहती है कि जनता उनसे नाराज हो जावे और आगामी इलेक्शन में हमें मत दे।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि बजट मन्जूर करने में हमारी सरकार एक महीने में लाजिमी तौर से मन्जूर करके भेजे। वह चीज समझ में आ सकती है। सरकार जो संशोधन करना चाहती है और वह संशोधन बोर्ड मन्जूर करे तो मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल ही उनकी स्वतन्त्रता का जो काम है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप होगा। यह सारा काम स्वायत्त शासन का है यानी अपनी अर्जित की हुई धनराशि से किस प्रकार से उस छोटी सी युनिट का शासन चलाया जाय। यह स्वायत्त शासन का मतलब होता है। अपने अधिकारों को पूर्णतया समझते हुए उस नगरपालिका में कितना धन संचित किया जा सकता है और संचित धन को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, इस बारे में वह स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय ले सकती है। सरकार चाहे तो उस निर्णय पर अपनी मोहर लगा दे। मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं कि वह बजट सरकार के सामने प्रस्तुत होगा और सरकार उसमें आपत्ति समझती है तो बोर्ड को वह सलाह दे सकती है। मैं समझता हूं कि कोई बोर्ड ऐसा नहीं होगा जो कि उसकी उचित सलाह को नहीं माने। सरकार यदि नेकनियती से सलाह देगी और उसके मुताबिक जो हेरफेर आवश्यक होगा तो करेंगे लेकिन अगर बदनियती से सरकार हेरफेर कराना चाहे और बोर्ड इसको मन्जूर नहीं करे तो उस सूरत में क्या हालत होगी? सरकार जो चाहेगी वह होगा। बोर्ड से जरूर पूछा जायगा लेकिन बोर्ड से पूछने के बाद भी सरकार यह चाहेगी कि हम इस बजट में यह कमी या यह बढ़ोतरी करना चाहते है तो वह लाजिमी तौर से होगी और उस बोर्ड को लाजमी तौर से तामील करनी पड़ेगी। यह कहना प्रजातान्त्रिक अधिकार नहीं है, बोर्ड की डेमोक्रेसी की मूल भावना नहीं है। जो लोकल बोडीज़ हैं, नगरपालिकाएं हैं, जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं वे अपने स्वायत्तशासन के लिए अपनी स्वतंत्रता से संचित धनराशि के लिए कोई निर्णय ले सकती है। यदि वह निर्णय नहीं ले सकती है तो वह स्वायत्त शासन संस्था नहीं, बल्कि यह कहें कि सरकार के द्वारा बनी हुई एक डुगडुगी है जिसको कि सरकार यदि बजाना चाहे तो बजा दे और बन्द करना चाहे तो बन्द कर दे। सरकार जिस ढंग से उनका उपयोग लेना चाहें उस ढंग से उपयोग ले लें। जो कोई आपत्ति करता है, कोई म्युनिसिपल बोर्ड कहना नहीं मानता है, बोर्ड सरकार के हुक्म की तामील नहीं करता है तो सरकार ने पावर्स लिये हैं कि वह बोर्ड को सुपरसीड कर दे, मेम्बर्स को हटाने के लिए वह अनडेमोक्रेटिक स्टेप ले लें। उसके बाद में हर चीज में हस्तक्षेप करने की चेष्टा क्यों करते हैं। बजट में यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या बजट में अगर कोई असुविधा सी लगती हो तो

[श्री भैरू सिंह]

सरकार चाहे तो उन अनडेमोक्रेटिक पोवर्स के आधार पर म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दे। लेकिन इस सूरत में हम जो कुछ स्वायत्तशासन संबंधी अधिकार दे रहे हैं उसमें उनके हर काम में हस्तक्षेप करते रहें तो मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि अगर बजट पेश होगा और सरकार विचार करेगी कि इसमें कुछ संशोधन कराना है तो दुबारा वह बोर्ड में आयेगा और बोर्ड के मेम्बर उस पर विचार करेंगे और अगर संशोधन मन्जूर नहीं करेंगे सरकार का तो यह समझ लिया जायगा कि सरकार के द्वारा वह स्वीकार कर लिया गया है। यह इस तरह की चीज हमारी पार्लियामेंट और राजसभा में है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसी व्यवस्था हम अपना सकें, अपर हाउस और लोअर हाउस, यदि इस दृष्टि कोण को सामने रखें तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से अन्याय की चीज़ नहीं होगी। सरकार अपर हाउस के रूप में काम करे और म्युनिसिपैलिटीज लोअर हाउस के रूप में काम करें। लोअर हाउस को एडवाइस देने का काम सरकार के हाथ में हो। हम नई चीज को पनपा रहे हैं और उस पनपती हुई चीज के मूल अधिकार में हस्तक्षेप करें तो वह पनपती हुई चीज निश्चित तौर से खत्म होगी। केवल उस तरीके से नहीं होगी जो कि मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं, वह बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक है। नगर-पालिकाओं के साथ में न्याय करने के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष...,

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं कुछ कह दूं।

श्री चांदमल मेहता—आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इसको एक्स्प्लेन कर दूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ २७८ जो रखा गया मैं समझता हूं सिलेक्ट कमेटी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करके कितनी ही लिबरल बनाई जा सकती थी उतनी लिबरल बनाने की कोशिश की है। जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा किसी बोर्ड के बजट के सम्बन्ध में इतना लिबरल व्यू अख्त्यार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में जो मेन दिक्कत थी वह यह थी कि बजट आता है वहां से तो सरकार के पास काफी अरसे तक पड़ा रहता है। तो इस तरह से विशेष तौर से समावेश किया गया है और इस तरह की पाबन्दी की गई है कि बजट जो कुछ म्युनिसिपेलिटी का आयेगा तो गवर्नमेंट एक महीने के अन्तर्गत यदि जो बातें सबक्लाज (३) में दी गई हैं उसके सम्बन्ध में कोई तरमीम करना चाहेंगे तो कर देंगे वर्ना एक महीने के बाद वह बजट पास समझा जायगा। इस तरह की लिबरल बात तो किसी भी म्युनिसिपेलिटी तक कानून में नहीं है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जहां तक सब क्लाज (३) की बात में माननीय सदस्य ने किशनगढ़ की बात कही है वह ऐसा है नहीं। सबक्लॉज़ (३) में जो बजट आयेगा उसके अन्तर्गत गवर्नमेंट को सिर्फ इतना अधिकार दिया गया है कि सरविसेज़ के बारे में, उनकी तनख्वाहें तो आप पास करेंगे वर्ना उनका म्युनिसिपल बोर्ड चलेगा नहीं इसके लिए तथा कहीं से रुपया उधार लेते हैं तो उस सूरत में वह रुपया उसको रुपया उधार वालों को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट से लोन लेती है सबक्लॉज़ (सी) के मुताबिक उसके देने का कान्ट्रेक्ट होगा। यह बहुत ही जरूरी बात है। चौथा इसमें रखना होगा कि साल के अन्त में कितना रुपया होना चाहिए ताकि बोर्ड निश्चिन्त होकर काम करे। यह चार बातें हैं। यदि बोर्ड को पूर्णतया स्वाधीन कर देंगे और किसी तरह की पाबन्दी नहीं हो तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए यह क्लॉज़ जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है वह बहुत उत्तम है। सारी बातों पर विचार करके इसको रखा गया है। मैं समझता हूं कि सारे चेपटर में इस प्रकार की बात है कि मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का यह क्लॉज है उसी प्रकार से इसको पास करने की कोशिश करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं तो यह सोच रहा था कि माननीय मन्त्रि महोदय इसको स्वीकार कर रहे हैं, इस दृष्टि से बोला नहीं। क्या मुझे अब बोलने का अधिकार मिलेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह बात हो गई थी आपसे इसमें सुधार करने की बात है।

श्री अध्यक्ष—There seams no difference.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें कोई डिफरेन्स नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपकी जानकारी के लिए इतना निवेदन करदूं कि आपने यह कहा है कि बजट के सम्बन्ध में इतनी अधिक सुविधा कहीं नहीं है, मगर यू. पी. में म्युनिसिपेलिटी का बजट वह मन्जूर करती है और अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो मैं उसको पेश करने को तैयार हूं। अगर मंत्री महोदय वैसा प्रोवीजन रखने को तैयार नहीं है तो जो संशोधन दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है वह उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये। वहां म्युनिसिपेलिटी अपने तौर से बजट मन्जूर करती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो मैंने निवेदन किया है कि उसमें गवर्नमेंट सेन्क्शन दे देती है एक महीने के अन्दर। एक महीने के अन्दर सेंक्शन दे देगी, वर्ना ओटोमेटिक सेन्क्शन हो जायगी गवर्नमेंट के आर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात देखने के लिए अच्छी होगी और उनको

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

पूरी तौर से छूट दी जाय तो दिक्कत पैदा होती है। गवर्नमेंट से लोन दिया जाता है और सब म्युनिसिपेलिटीज़ ने अपने बजट में ऋण के रूप में प्रोवीजन नहीं किया है, प्रोवाइड किया है तो गवर्नमेंट से लोन लेने में बड़ी दिक्कत आयेगी। इसलिए यह चीज रखी गई है। किसी से कर्जा लिया है, गवर्नमेंट से कर्जा लिया है और सरविसेज के बारे में यह बहुत एसेन्शल सा है। वह बोर्ड लाने नहीं ले सकता है तो बोर्ड की जो प्रोगेस है वह सारी की सारी हेम्पर हो जायगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी ओर से लोन देगी तो वे उसको खतरे में डाल देंगे। वे अगर उस रूप में पास नहीं करेंगे तो बोर्ड की प्रोग्रेस रुक जाने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लाज जिस प्रकार से है उसी प्रकार से स्वीकार कर दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन के विषय में जो आपत्ति की गई है वह आपत्ति में समझता हूँ कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। माननीय मंत्री जी ने केवल एक ही दृष्टिकोण को अपने सामने रख कर कि सेलेरी के बारे में, अगर सरकार की ओर से म्युनिसीपेलिटी को कोई लोन दिया गया उसके बारे में या अन्य व्यक्तियों की ओर से रकम दी गई है उसको वापिस देने के बारे में कोई व्यवस्था की गई है और अगर व्यवस्था नहीं है तो सरकार की मंजूरी कराने में निर्णय ले और सरकार संशोधन करे। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताऊं कि ऐसी धारायें पास की है कि जितनी सरकार की बकाया होगी, उसको म्युनिसिपेलिटी के लोगों की बकाया होगी उसको और बोर्ड के फन्ड में जो खर्चा होगा उसमें उनको प्राथमिकता दी जायगी सेलेरीज़ को, जिनकी बकाया हैं उनको। कोई भी वजह नहीं है, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि एक विशेष क्लॉज़ क्यों कर दी जाय। यह शंका नहीं होनी चाहिए कि म्युनिसिपल बोर्ड में ऐसे गैरजिम्मेदार व्यक्ति आवेंगे, वे उनको भुगतान नहीं करेंगे और जो फन्डस हैं वे और और कामों में खर्च कर देंगे। मैं समझता हूं कि दूसरों को भुगतान करने के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वह अपर्याप्त है। आखिर उनकी को भी डयूटीज़ हैं। मान लीजिये कोई नगरपालिका तामील नहीं करती है तो नगरपालिका को सरकार को हटाने का अधिकार है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब आप मानते हैं तो बजट में प्रोवाइड करना चाहिए।

श्री भैरूंसिंह—ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। प्राथमिकता आपने दी है, वे उसको देंगे। उनको भुगतान करना है। उनकी एक ड्यूटी रख दें कि फन्ड्स में प्राथमिकता किन चीजों को दी जायगी, जब निर्धारण कर दिया तो यह मान कर चलना चहिए कि म्युनिसिपल बोर्ड उसके अनुसार काम करेगा। अगर नही करता है तो दूसरा तरीका है, हटा सकते हैं, मेम्बरशिप से हटा सकते हैं, और सारे म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर सकते हैं।

किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यू. पी. के एक्ट में भी ऐसी व्यवस्था नही है। मैं यह निवेदन कर दूं कि चाहे यह व्यवस्था कहीं हो या न हो, जब हम

[श्री भैरूंसिंह]

राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए कानून बनाने जा रहे हैं तो उसमें ऐसी चीज़ अपनाई जानी चाहिए कि चाहे फिर वह किसी भी भारत के अन्य प्रान्तों में हो या न हो लेकिन यहां के हालात को देखते हुए वह वाजिब हो। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने की कोशिश की है, सर्विसेज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए लोकल बोडीज़ का कमीशन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप यह कहें कि यू. पी. में, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं ऐसा नहीं है, यहां क्यों ऐसा होना चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर नकल ही करनी थी तो कर सकते हैं। इसको विधान सभा में लाने की जरुरत नहीं थी, नकल कर ली है इसको पास कर दें और आप इसको स्वीकार कराले। अगर कोई नई चीज़ हो, वाजिब हो तो रखना आवश्यक है और उसके रखने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए बल्कि इससे नई चीज़ को रख कर दुनियां को स्फूर्ति दे दें। अत: मैंने जो संशोधन रखा है वह वाजिब है। अगर नगरपालिका को अपनी धन राशि का उपयोग करने के लिए खुली छूट देने की मर्जी है, अगर वास्तविक रुप से कोई जनता की राहत के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

यह कहा गया कि एक महीने में स्वीकार नहीं हुआ तो उसको स्वीकार हुआ समझा जायगा। मैंने अपने अमेन्डमेन्ट में उस चीज को दोहराया है, लेकिन जो मोडिफिकेशन करने या सरकार अधिकार लेती है, मैं यह नहीं चाहता कि सरकार के पास इस प्रकार के अधिकार जाने चाहिए, अत: मैं फिर दुबारा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें और उसको सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन क्लॉज़ २७८ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

[अस्वीकृत]

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७८ को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २७९

Page No 46

श्री भैरूसिंह(१३)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २७६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है,

"substitute the foilowing tor the words with the previous' approval of.

eand shall send a copy of such decision. with reasons of doing so, to"

क्लाज २७६ में यह प्रोविजन रखा गया है कि यदि फाईनेन्शियल इयर के बीच में कोई बोर्ड यह चाहे कि जो इसका बजट बना हुआ है, उसके बजट में कोई हेरफेर करना है तो वह हेरफेर हो सकती है लेकिन with the previous appr oval of the State Government"

सरकार से पूछ कर वह हेरफेर हो सकती है। मेरा संशोधन यह है कि सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। म्युनिसिपेल बोर्ड स्वंय कर सकता है और उस हेरफेर की म्युनिसिपल बोर्ड सूचना सरकार को देगा और उसके साथ इस बात का सबूत दिया जायगा कि यह हेरफेर क्यों की गई ?

माननीय अध्यक्ष, अभी हमने एक क्लाज पास किया जिस क्लॉज़ के अनुसार बजट को स्वय सरकार देखेगी, बजट को स्वय सरकार मंजूर करेगी और अगर फिर भी सरकार आवश्यक समझती है तो विशेष प्रकार का हेरफेर करेगी। लेकिन आगे भी है कि बोर्ड चाहे तो संशोधन कर ले। अब दिक्कत यह आती है कि जिस बजट को सरकार ने मंजूर कर दिया, जो उचित समझा वह म्युनिसिपेलिटी के लिए लागू हो गया और लागू होने के पश्चात् कई काम ऐसे हैं कि क्या उनको म्युनिसिपेलिटी नहीं कर सकती है और जिस काम के लिए उस मद में विशेष प्रकार का खर्चा दे रखा है तो वह नहीं कर सकती क्या? कोई बांध बनाने की बात है, कोई टेन्क बनाने की बात है, कोई टेन्क बनाने की बात हैं, कोई सडक बनाने की बात है और वह उनको किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं कर सकेगा। कोई सेक्रेटरी है, हेल्थ ओफिसर है, टेक्निकल एक्सपर्ट है इस प्रकार के अधिकारियों को हमने म्युनिसिपल बोर्ड में एक साल दो साल नौकर रखने की व्यवस्था की और उनकी सेलेरी, टी. ए., डी. ए का खर्चा उस बजट में रखा है लेकिन बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचे कि हेल्थ ओफिसर, सेक्रेटरी या एक्जीक्युटिव इन्जीनियर को नहीं रखना है किन्तु चपरासियों को, स्वीपर्स की आवश्यकता है, और उनका प्रोविजन होना वह आवश्यक समझता है, कि उनको काम करना है, तो बोर्ड को अधिकार होने चाहिए कि सरकार से इजाजत ले या नहीं, किन्तु सरकार को सूचना दे दे कि इस प्रकार से बजट में कमी होगी, बजट में हम इस प्रकार से परिवर्तन ला रहे हैं। इसमें सरकार को पूछने की क्या आवश्कता है इसीलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार से अगर बजट में हेर फेर होता है तो सरकार से इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं, यह तो बोर्ड को ही अधिकार होना चाहिए कि वह इस प्रकार की स्वंय हेर फेर कर दे। मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष कि हर काम में जो हस्तक्षेप करने का जो तरीका है वह अच्छा नहीं है, बेकार काम होते हैं उनमें तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं और जो अच्छे काम होते हैं उनमें हस्तक्षेप करते हैं।

[श्री भैरूंसिंह]

कमी बेशी होती है तो उसमें भी सरकार से पूछने की जो बातें हैं इससे स्पष्ट है कि सरकार हर काम में करना चाहती है। यह तरीका डेमोक्रेटिक नहीं है और यह एक प्रकार से बुरी परम्परा भी कायम करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बजट पास करने में, उसमें संशोधन करने के अधिकार ले लिये हैं किन्तु उसको लागू करने के बाद अगर कोई बोर्ड उसमें कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहे तो वह संशोधन भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे और सरकार उसको मंजूर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसी बात रख देना चाहिए कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड उसमें कोई संशोधन करना उचित समझे तो वह कर सकता है और उसकी सूचना वह सरकार के पास भेज दे, संशोधन बाद में आता है, उसका स्वीकार किया जाना अच्छा होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने जो तरमीम पेश की है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को पोवर्स दी गई हैं, इसलिये रखी गई है, लोन किसी से लिया, गवर्नमेन्ट से लिया, और किसी से लिया, सर्विसेज़ के बारे में प्रोविजन किया और इस तरमीम को यदि मान लिया जाय बोर्ड को यह अनुमति दे दें कि जो कर दिया सो कर दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि टेन्क आदि पर खर्चा कर दिया जाय और बाद में एप्रोप्रियेशन कर लिया जाय।

तो इसमें हस्तक्षेप करने की बात कह रहे है, वह नहीं है। लेकिन दिक्कत आ सकती है, वह यह कि जरुरी खर्चे के लिये उनको मनी मिलनी चाहिये। किसी काम के लिये बोर्ड खर्चा प्रोवाइड नहीं करता हैं और किसी दूसरे मद के रुपयों को दूसरे काम में खर्च करना चाहता है तो एप्रूवल लेने की बात है। एप्रूवल के लिये आवेंगे तो एप्रूवल मिल जायगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनेवाली है। सरकार को इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है कि ख्वामख्वाह रूकावट डाले और बोर्ड को काम नहीं करने दे। तो मैं निवेदन करूंगा कि संशोधन को वापिस ले लें, वरना २७८ में जो प्रोविजन रखा है वह नलीफाइ हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूंसिंह से) प्रश्न रखूं ?

श्री भैरुंसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७९ पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[श्री भैंरूसिंह]

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २७६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २७६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २८० से २९०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २८० से २९० तक स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

खंड २८० से २९० तक विधेयक के अंग बनें।

(विराम)

क्लॉज़ २९१

(विराम)

आज मुक्तिलालजी नहीं आये क्या ?

श्री भैंरूसिंह—अभी तक नहीं आये, साहब।

श्री अध्यक्ष—यदि आते तो आपको सहायता मिलती।

श्री भैंरूसिंह— अध्यक्ष महोदय, मेरासंशोधन है कि क्लॉज़ २९१ को लोप किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, जिस समय यह बिल प्रस्तुत हुआ उस समय लेकर अब तक निरंतर इस बात की मांग की जा रही है कि नगरपालिकाओं में कम से कम सरकार का हस्तक्षेप हो, नगरपालिकाओं को हम ज्यादा से ज्यादा आजादी दें कि वे अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, अपनी इच्छा से काम करने में कोई सरकार की ओर से बाधा आवे तो उसको दूर करने की चेष्टा विरोधी दल ने की

[श्री भैरूंसिंह]

और मैं समझता हूँ कि वे काफी सजग रहे और काफी हद तक उनको फायदा भी मिला है लेकिन क्लॉज़ २६१ को देखकर ऐसा पता चलता है कि सरकार को जो हस्तक्षेप करने की सुविधा दी गई है उससे सरकार को संतोष नहीं हुआ। सरकार अब भी चाहती है कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हो जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहे। म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों का अपोइन्टमेन्ट सरकार की एप्रूवल के बिना नहीं किया जा सकता। नगरपालिका का बजट सरकार की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकता, म्युनिसिपेलिटी यदि कोई स्कीम बनावे तो उसको बिना सरकार की स्वीकृति के लागू नहीं किया जा सकता, म्युनिसिपेलिटी बिना स्वीकृति के कोई कार्य नहीं कर सकती। कोई कार्य-प्रणाली, कोई रूल्स, म्युनिसिपल बाई क्लॉज, म्युनिसिपल यूनियन के फंक्शन्स आदि सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमने सरकार का हस्तक्षेप वाजिब मानकर स्वीकार किया है। लेकिन अब सही धारणा यह है कि सरकार के सारे हस्तक्षेप से हम बिल्कुल उकता से गये है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि नगरपालिका को कहीं तो अधिकार दें जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। यदि सरकार इस प्रकार का हस्तक्षेप करती रही तो सरकार को कभी विश्वास नहीं होगा कि सरकार के बिना हस्तक्षेप के म्युनिसिपल बोर्ड कोई कार्य ठीक तरह से कर सकेगा। यदि किसी में कोई ऐब है तो उस पर अंकुश रखें लेकिन उसको उस ऐब को दूर करने का मौका तो दें। यदि कोई नगरपालिका बिना सरकार के हस्तक्षेप के कोई कार्य नहीं कर सकती तो कुछ व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी जिसके कारण यह कह सकें कि नगरपालिका को खुली छूट दें तो उसका विशेष दुरुपयोग किया जायगा। ऐसा कार्य हुए बिना हस्तक्षेप करना जनता के हित की दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि यह मानकर चलें कि बिना हस्तक्षेप के कार्य नहीं चल सकेगा तब तो हस्तक्षेप करें तो अच्छा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया गया हो और अनहोनी घटना होने से रह गई हो। इस धारा से सरकार अपने हाथ में अधिकार ले रही है। इस में लिखा है: "or is likely to cause injury or annoyance to the public......" जनता को किसी प्रकार का नुकसान या किसी प्रकार का दुःख होने वाला है इन, दो शब्दों की आड़ में सरकार यदि चाहे तो म्युनिसिपेलिटी द्वारा स्वीकृत बजट में एडजस्टेड किसी भी काम को, म्युनिसिपेलिटी की किसी भी आज्ञा को रोक सकती है। हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की जनरल पोवर, खुले अधिकार हम सरकार को दें या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के खुले अधिकार सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये आवश्यक नहीं है कि हम हर जगह सरकार की मन्जूरी लेते हैं। बजट सरकार द्वारा मन्जूर किया जाता है। उसमें भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जो काम जन हित में नहीं है और जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, जब उनका चरित्र चित्रण बजट के समय प्रस्तुत हो जायगा तो हमने सरकार को अधिकार दे दिये कि उस बजट में संशोधन कर सकती है, काट-छांट कर सकती है। यदि सरकार के सम्मुख ऐसी कठिनाई आयगी तो वह काट-छांट करेगी। उसके बाद भी म्युनिसिपल बोर्ड जो काम करवा रहा है उसके बारे में सरकार यदि सोचती है कि यह बन्द किया जाय क्योंकि यह जनता को तकलीफ देने वाला है तो वह उसे रोक सकेगी। ऊपर इस क्लॉज में लिखा है:

[श्री भैंरूसिंह]

"If in the opinion of any such officer as may be appointed or authorised by the State Government in this behalf......"

अब सरकार किसी एसेसर को नियुक्त करेगी, एग्जीक्युटिव ओफिसर को नियुक्त करने वाली है, सेक्रेटरी को नियुक्त करने वाली है, सरकार डाइरेक्टर ओफ लोकल बोडीज को ऐसे पोवर दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को भी पोवर दे सकती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे वालों को जो कि इनके द्वारा मनोनीत किये जाने वाले हैं उनको भी पोवर देती है। अब यह देखना होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड का सेक्रेटरी चाहता है कि अमुक काम नहीं होना चाहिये लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड बहुमत से या सर्व समाति से चाहता है कि यह काम होना चाहिये तो उस समय राय मानी जायगी सेक्रेटरी की। वह कहेगा कि जनता को इस काम से तकलीफ पहुंचेगी, दुःख पहुंचेगा और यह काम जनता के हित में नहीं है। वह रिपोर्ट आयेगी सेक्रेटरी की सरकार के पास और सेक्रेटरी आज्ञा देगा कि इस काम को बन्द किया जाय। ऐसी हालत में एक तरफ तो सेक्रेटरी की आज्ञा है जो सरकार द्वारा मनोनीत किया हुआ है और दूसरी तरफ जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों की आज्ञा है। सेक्रेटरी कहेगा, मेरी आज्ञा मानो और म्युनिसिपेलिटी कहेगी कि हमारी आज्ञा के माफक काम होना चाहिये। लेकिन आज्ञा मानी जायगी सेक्रेटरी की क्योंकि हमने उसको पोवर दिया है कि यदि जनता को तकलीफ पहुँचाने वाला काम होता है तो उसे रोके। लेकिन जनता को किन कारणों से तकलीफ पहुँचती है और किन कारणों से सुख पहुँचता है इस बात को जनता द्वारा चुने हुए जनता के ही लोग अधिक जानते हैं या बाहर से आने वाला अधिकारी ज्यादा जानता है। जनता के लिये लाभदायक चीज वही होगी जो चुने हुए जनता के नुमायन्दे कहते हैं, वे ही अधिक जान सकते हैं कि जनता को किस बात से सुविधा होगी और किस बात से दुःख होगा? यह हो सकता है कि किसी काम को बोर्ड ने स्वीकार किया है और किसी विशेष परिस्थिति के कारण सेक्रेटरी या एग्जीक्युटिव ओफिसर यह समझता है कि वह काम जनता के हित में अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति अपनी रिपोर्ट को म्युनिसिपल बोर्ड के सामने प्रस्तुत करे। यदि बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं करे तो किसी ऐसे अधिकारी के सामने प्रस्तुत करे जिसके सामने जाकर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य भी कह सकते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह अच्छा है; पब्लिक के हित में है, इससे पब्लिक का अहित बिल्कुल नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी जगह एक नाली बन रही है गंदा पानी निकलने के लिये। कोई कहेगा कि यदि नाला बना तो कूडा करकट इकट्ठा होगा और गंदा पानी उसमें होकर बहेगा उससे बदबू आयगी। दूसरी तरफ किसी मकान में गंदगी फैल रही है और उसको फैलने से रोकने के लिये प्रबन्ध करना चाहते हैं। एक तरफ एग्जीक्युटिव ओफिसर कहता है कि सबकी गंदगी को रोकने के लिये नाला बनना चाहिये और म्युनिसिपल बोर्ड कहता है कि पहले मकान ठीक करना है और नाले के द्वारा जो गंदगी फैलेगी उसको रोका जाय।

तो दोनों ही दृष्टिकोण पब्लिक के हित में हैं, पर चलेगी सेक्रेटरी की, एग्जीक्युटिव ओफिसर की या सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए अधिकारी की। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं

[श्री भैंरूंसिंह]

निवेदन करूंगा कि सेक्रेटरी, एग्जीक्युटिव ओफिसर या सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए अधिकारी हैं उनकी एक प्रकार से तौहीन होगी। इसमें एक व्यवस्था हो सकती थी कि यदि सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ अधिकारी चाहे कि पब्लिक के हित में इस काम को तत्काल बन्द करवाना है तो वह म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार के अधिकारी के समक्ष, सरकार के समक्ष ऐसा मौका दे कि वह सरकार के अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कह सके कि जो काम हम कर रहे हैं वह पब्लिक के हित में है और अच्छा है, इसके लिये जो यह कहा गया है कि यह पब्लिक के हित में ठीक नहीं है, यह गलत है।

यदि इस प्रकार का प्रोविजन रखा तो मैं समझूंगा कि हमने उसे खुली छूट दे दी है, जैसा कि इसमें है :

"If in the opinon of any such officer as may be appointed or authorised by the State Govenment in this behalf......"

उनकी इच्छा हो, सरकार के अधिकारी को सरकार जो मनोनीत करे या नियुक्त करे उस अधिकारी की इच्छा में, उसकी निगाह में कोई काम खराब है तो उसे वह सरकारी अधिकारी रोक देगा। यदि म्युनिसिपैलिटी की काम रोकने की चेष्टा है तो ऐसा हमें मौका देना चाहिये कि सरकार के उच्च अधिकारी के पास जाकर उसे रोने पीटने का, अपनी बात कहने का अवसर तो मिले और वह यह कह सके कि सरकारी अधिकारी ने मनमाने ढंग से काम रुकवाने की चेष्टा की है उसे गलत समझा जाय और काम चालू करने की आज्ञा दी जाय। कोई भी अधिकारी सरकार से इस बारे में परामर्श करे और सरकार फिर उसमें उचित आज्ञा दे, पर किसी अधिकारी को इस प्रकार के अधिकार देने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि इस धारा का विलोप कर दिया जाय। १९२ धारा आगे आ रही है, उसमें इमर्जेंसी केसेज़ में हमने कलेक्टर को अधिकार दिये हैं, वे अधिकार आप साथ लेना चाहेंगे तो अच्छा नहीं है। इन दोनों धाराओं का विलोप होना चाहिये, पर अभी धारा २९१ का प्रश्न है इसलिये मैं इसी के बारे में निवेदन करूंगा कि यह खुली छूट अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिये और मैंने इस धारा के विलोप करने का जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २९१, २९२ और २९३, इन तीनों धाराओं के बारे में सीलेक्ट कमेटी ने बहुत गौर से विचार किया और इनमें जो लफ्ज़ रखे गये हैं, वास्तव में तीनों क्लॉजेज़ में इमरजेंसी के प्रोविजन्स रखे गये हैं। २९१ में जो अफसर मुकर्रर होगा, मौजूदा कानून में कलेक्टर को इस तरह के पोवर हैं और वे इस तरह के पोर्वस एक्सर्साइज़ कर रहे हैं और ऐसा कहीं मेरे ध्यान में नहीं आया जैसी कि आशंका प्रकट की गई है उस तरह ये पोवर्स काम में

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

लाये गये हों, इसके विपरीत यह जरूर कुछ जगह हुआ है कि म्युनिसिपेलिटीज़ ने अगर कहीं गलती की है तो उसको जरूर सुधारा है। इसमें यह है : "is causing or is likely to cause injury or annoyance to the general public......"

जनरल पब्लिक के, हिन्दू मुसलमानों के झगड़े की बात हो,"...or to lead to a breach of the peace or is unlawul, he may. by......"

कानून के खिलाफ हो ब्रीच ऑफ पीस होता हो और जनरल पब्लिक को एन्नोयेंस होता हो"....in that emergency" यदि म्युनिसिपैलिटीज़ ने कर दिया हो तो"...the officer who will not be below the rank of Commissioner or Collector" तो कलेक्टर उसको सस्पेन्ड कर देगा और गवर्नमेंट को रेफर कर देगा कि इस मामले में क्या करना चाहिये।

This provision is working quite satisfactorily-

मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी में यह नहीं रखने से गड़बड़ हो सकती है। अभी एक जगह का केस आया, कब्रिस्तानों में काम के सम्बन्ध में शिकायत आई, कलेक्टर ने उसे सस्पेन्ड कर दिया और गवर्नमेंट को रेफर किया और वह मामला अन्डर कन्सीडरेशन ऑफ दी गवर्नमेंट है। इसको इमरजेंसी के मौके पर रखना जरूरी है। This is only for emergency,

इसका कभी मिस्यूज़ नहीं होता, अगर कोई मिस्यूज़ करे तो गवर्नमेंट रोक सकती है। Government will see to it.

इसी तरह की बात २६२ के बारे में है, वह सिर्फ पब्लिक सेफ्टी और हैल्थ के लिये है। मैं चेयरमेन था तब मेरे अनुभव की बात है।

इसी तरह २६३ रखी है वह बीमारियों के लिये रखी है, कोई बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया तो उसके लिये यह रखा है। इन चीजों के लिये इमरजेंसी प्रोविजन रखे हैं और दूसरे प्रान्तों में सभी जगह इस तरह के प्रोविज़न्स हैं, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो तजवीज रखी है उसे वापिस ले लें तो अच्छा है।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के उत्तर में जो बातें कही गईं, उन बातों से मुझे किसी भी प्रकार से सन्तोष नहीं करवा सके। माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ २६१ के पार्ट टू में है ;

"(2) when any such officer makes any order under this section, he shall forthwith forward to the State Government and to the board afected thereby a copy of the orde, with a statement of the reasons for making it, and it shall be..."

[श्री भैंरुंसिंह]

इसमें मैंने पहले भी संकेत किया था कि सरकार ने थोड़ा सा आवश्यक समझा है कि कोई अफसर जो ऐसा काम रोके उसकी सूचना सरकार को दे, अगर सरकार चाहे तो उस चीज को मन्जूर करे और नहीं चाहे तो नामन्जूर करके भेज दे। मैं यह कह रहा था कि सरकार कोई काम रोके तो उसको रोकने से पहले म्युनिसिपेलिटी उसमें क्या कहना चाहती है, उसको कहने का मौका दे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब्रिस्तानों को लेकर कहता है कि अमुक काम होने वाला था, इससे शान्ति भंग होने का आदेश था इसलिये इसे रोका। कब्रिस्तानों को लेकर मन्दिरों को लेकर, ताजियों को लेकर, जलझूलनी ग्यारस के ऊपर, तोरण दरवाजा बनाने का मामला हो सकता है। ये चीजें ऐसी हैं जिनके कारण पब्लिक के सेन्टीमेंट्स उभाड़े जाकर शान्ति को खतरा पैदा हो सकता है। ओन दी स्पोट कलेक्टर वहीं हैं तो कलेक्टर्स को इसके पावर्स दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दूसरे दूसरे कानूनों के मातहत शान्ति भंग करने वाले, दुख पहुंचाने वाले काम जितने काम हैं उनको रोकने के पहले से ही अधिकार दे रखे हैं। यदि कलेक्टर के सामने ऐसी बात आती है कि अमुक २ काम करने से, ढोल बजाने से, कब्रिस्तान में जाने से किसी बात का कोई झगडा होने वाला है तो कलेक्टर को हमने उस काम को रोकने के अधिकार दे रखे हैं, तो ऐसी सूरत में दुबारा इस एक्ट में रख कर उन चीजों को स्पेसीफाई करें तो यह उचित नहीं होगा। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, शान्ति और सुरक्षा का जिम्मेदार है, उसके जिम्मे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या म्युनिसिपेलिटी का काम नहीं। जनता को किसी भी तरह से एन्नोयेंस हो तो उसको वह रोक सकेगा। जनता को दुख पहुंचाने और शान्ति भंग करने वाले कामों को रोकने के नाम से यह धारा रखेंगे तो वह सुपरफ्लुअस चीज होगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा का लोप कर दें तो अच्छा है, क्योंकि यह म्युनिसिपेलिटीज़ के फंक्शन्स में आपत्ति लाने वाली चीज है।

दूसरे प्रोविजन्सेज़ में म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट बन रहे हैं, कई जगह पहले के बने हुए हैं। पहले बने हैं उनकी नकल करने की कोशिश करना अच्छा नहीं क्योंकि उन कानूनों को बनाने वाले ऐसे थे जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे।

इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार करें और सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि सर्व सम्मति से इस प्रश्न को स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ १४४ और १४५ में कलेक्टर को पॉवर हैं।...

श्री भैंरूंसिंह—आपका मतलब execution of any work से है?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूंसिंहजी ने खंड २९१ पर रखा है स्वीकार किया जावे?

[श्री उपाध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २९१ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड २९१ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २९२ और २९३। इन पर एमेन्डमेन्ट्स को साथ ही मूव कर दें।

श्री भैंरूसिंह—नहीं साहब, अलग अलग मूव करूंगा। जब तक मुक्तिलालजी आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Member will keep the value of public time.

श्री भैंरूसिंह— माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २९२ में मेरे तीन-चार संशोधन हैं। पहला संशोधन सब क्लॉज़ (१) में है;

"Delete the words "and may direct........board" from the last three lines.

Sub--Clause (2): It should be deleted.

Sub--Clause (3) : It should be deleted."

क्लॉज़ २९२ में यह व्यवस्था की जा रही है कि एमर्जेन्सी केसेज़ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी काम को करने के लिये या किसी भी काम में हेर फेर करने के लिये या किसी काम को जो वह पब्लिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से उचित समझे, उसके लिये आदेश दे सकता है और उसके पूरा होने में जितना खर्चा होगा वह सारा का सारा म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा इसमें मेरी यह आपत्ति है कि यदि एमरजेन्सी में काम कराने का अधिकार कलेक्टर को देते है जो पब्लिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर हो तो उस काम को कलेक्टर करा सकता हैं। इसका विरोध करना जरूरी है क्योंकि जब आपने धारा २९१ स्वीकार करली है तो फिर इस धारा का रखना उचित नहीं कि जो कोई काम कलेक्टर करायगा जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के

[श्री भैरूसिंह]

हित की दृष्टि से उसका खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा। मैं यह कहूंगा कि यदि कलेक्टर अपनी इच्छा से कोई इस प्रकार का काम करे तो उसके कराने में जितना भी खर्च हो वह सारा का सारा खर्चा सरकार को भुगतना चाहिये। कलेक्टर भुगते। कलेक्टर अपनी जेब से तो क्या भुगतेगा सरकार के खजाने से ही जमा करायेगा लेकिन वह म्युनिसिपल बोर्ड की जिम्मेदारी पर नहीं बनाई जावे।

मैं यह कहूंगा कि कई दफा ऐसे काम होते है, आप कहेंगे, कि यदि ऐसे कामों में अधिकार कलेक्टर को नहीं देंगे तो बहुत गड़बड हो जाएगी। म्युनिसिपेलटी कोई काम नहीं करना चाहती और उससे बीमारी फैलने का या महामारी फैलने का डर हो या बाड़ो में आग लगने या अन्य केलेमिटो की सूरत में म्युनिसिपल बोर्ड कोई काम कराना नहीं चाहता जो अति आवश्यक हैं तो कलेक्टर को पोवर होंगे तो वह करा सकेगा और यदि उसको पोवर नहीं होगा तो नहीं करा सकेगा और इससे लोगों को नुक्सान होगा। लेकिन इसमें मेरा दूसरा दृष्टिकोण है। हो सकता है कि वह महामंत्री महोदय को अच्छा नहीं लगे और वे यह कहें कि यह प्रेक्टीकेबल नहीं है, लेकिन वह हमारे समक्ष आया है और आगे भी किसी भी समय आपके सामने भी आ सकता है। यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड, कोई काम ऐसा है, जिसको चाहता है कि वह नहीं किया जावे और उस काम को करने से हमारा जितना खर्च होगा उससे ज्यादा लाभ या उतना लाभ जनता को होने की कोई गुंजायश नहीं है; इससे नुक्सान होगा। जो रिटर्न फायदे के रूप में मिलने वाली है वह खर्च के मुकाबले में बहुत कम होगी। तो ऐसी सूरत में वह काम नहीं करायेगा और दूसरी पार्टी जो कलेक्टर का सहारा लेकर, यह कह कर कि यह जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, करा लेगी। कलेक्टर ऑर्डर दे देगा क्योंकि यह कलेक्टर के अधिकार में है ही। यदि वह काम म्युनिसिपल बोर्ड नहीं कराता है तो कलेक्टर उस काम को करा देगा और खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड से वसूल कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक तालाब है। म्युनिसिपल बोर्ड यह समझता है कि इसको बन्द करने में फायदा होता है, इसमें गंदा पानी इक्ट्ठा होता है और जिसको लोग पीते हैं या उसमें जर्म पैदा होते हैं और इससे सारे नगर में गंदगी फैलाती है। म्युनिसिपल बोर्ड चाहता है कि इसको बन्द करा दिया जावे। वही तालाब विशेष पार्टी के लोग कलेक्टर का सहारा लेकर खुलवा सकते है। मैं आपको बताऊं की गांव में छोटे छोटे तालाब होते है और उनमें चमड़ा रंगने की बात होती है। उसमें हजारों जानवर पड़े रहते है उसको बन्द कराने का दृष्टिकोण म्युनिसिपल बोर्ड का होता है, मगर कुछ लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, जो इसमें इन्ट्रेस्टेड होते हैं, जो चमडा रंगने का काम करते है, जो उसमें गंदी चीजें डाल कर काम करते हैं, और कहते है कि यह तालाब बन्द नहीं होना चाहिये। अगर म्युनिसिपेलटी ने उसको बन्द कर दिया है तो कलेक्टर कहता है कि अगर इस प्रकार के तालाब म्युनिसिपल बोर्ड नहीं बनाता है तो वह बनवा देगा और खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा।

Page No 56

[श्री भैरोंसिंह]

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि म्युनिसिपल बोर्ड में दलबन्दी भी हुआ करती है एक तो बहुमत के आधार पर काम करा लेगा और दूसरा जो अल्पमत में होगा वह कलेक्टर से सुरक्षा और जनहित की दृष्टि के बहाने प्रार्थना करके काम करा लेगा और कलेक्टर उस काम को कराने की व्यवस्था करेगा और खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा। ये शब्द बहुत अच्छे हैं और इनके आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इनको तोड़-मरोड़ कर जिस तरह से जब कभी इन शब्दों को काम में लेकर काम कराना चाहें कराया जा सकता है।

(१०.५४ बजे श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिये मैं-यह कहूँगा कि इस वेग टर्म पर हमको इस क्लॉज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह चाहे कि अमुक प्रकार का काम जल्दी से जल्दी करवाना है तो उसे चाहिये कि वह सरकार के समक्ष उसके लिए कागजात पेश करे। सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बोर्ड को सुने और दोनों को सुनने के बाद यदि सरकार इस निर्णय पर पहुँचे कि जो बात म्युनिसिपल बोर्ड कहता है वह गलत है और कलेक्टर कहता है वह सही है तो वह काम अवश्य होना चाहिये। यदि ऐसी हालत में वह काम कलेक्टर से कराया जाता है तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर म्युनिसिपल बोर्ड को बगैर मौका दिये हुए और सुने ही आप यह कह कर कि यह जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में है, कराया जाना चाहिये, मैं समझता हूँ कि यह अन्यायसंगत बात होगी। म्युनिसिपल बोर्ड में चुने हुए जिम्मेदार लोग आते हैं। एक तरफ तो आप उनको पोवर देते हैं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह जनहित और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा कर सकता है ? इसलिए मैं यह कहूँगा कि ऐसे अधिकार आपको नहीं देने चाहिए, जो पहले एरोस्ट्रोकेटिक जमाने में दिये जाते थे।

ये जो अधिकार हैं वे उसी प्रकार के अधिकार हैं और इस प्रकार का नक्शा आपके सामने नहीं होना चाहिये। आपको यह देखना चाहिये कि इससे क्या घटनाएं हो सकती हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर कहूंगा कि एक जगह जनसंघ की म्युनिसिपेलिटी मेजोरिटी में काम कर रही है। दूसरे लोग जैसे कांग्रेस के लोग, कोम्युनिस्ट और रामराज्य परिषद के पॉवर में नहीं हैं। यदि उस जगह की म्युनिसिपेलिटी यह चाहती है कि अमुक काम हमको नहीं करना है या कराना है और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि यह काम होना चाहिये, नगरपालिका उनके पक्ष में नहीं होने से वह काम नहीं करा सकते मगर दूसरा दृष्टिकोण वे यह अपनावेंगे कि वे कलेक्टर के पास जावेंगे और उससे कहेंगे कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है और यह काम होना चाहिये। उस पर दबाव डाला जाएगा और जिस तरह का दबाव आज कल डाला जाता है उसको सभी जानते हैं; वह डाला जाएगा।

[श्री भैरोंसिंह]

और कलेक्टर पर गवर्नमेंट का दबाव रहता है और इस प्रकार से उस पर दबाव पहुँच जाता है तो दबाव के कारण वह आज्ञा दे सकता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का काम होना चाहिये। डेमोक्रेसी इसमें कहां रही? चुने हुए लोगों की आवाज जनता के प्रतिनिधियों की आवाज सब कलेक्टर के हाथों से समाप्त हो जायगी। यह क्लॉज़ कोई स्वास्थ्य या जनता की सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया हो, ऐसी बात नहीं। सत्तारूढ़ दल हार जाता है किसी म्युनिसिपल बोर्ड में और वह अपनी इच्छानुसार काम करवाना चाहता है तो उस काम को करवाने के वास्ते सरकारी अधिकारियों की आड में उस काम को करा लेगा। मैं यह नहीं मान सकता कि जनता द्वारा चुनी हुई नगरपालिकायें गैर जिम्मेदार होंगी और वह जो जनता के हित की दृष्टि से आवश्यक है, उनको नहीं करेंगी, यह बात कतई मानी जाने वाली नहीं है। अगर नगरपालिका जनता के हित के काम नहीं करवा सकती तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के अधिकार नगरपालिका को दिये जांय! जब कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि उनके सामने ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है तो फिर इस प्रकार की दिक्कत पैदा करने वाली व्यवस्था क्यों की जाती है? अगर आपके अनुभव में इस प्रकार का मामला आया हो; डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नगरपालिका की इच्छा के विरूद्ध कोई हुक्म देने की बात आई हो तो फिर भी ऐसा सोचा जा सकता है लेकिन जितनी भी बातें हमारे सामने आईं उनके विपरीत दशा में आपको देखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोलिटीकल पार्टीज़ इस क्लॉज़ के अन्तर्गत कलेक्टर का संरक्षण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकती हैं, मैं यह मानता हूँ कि हमें इमर्जेन्सी के समय में कुछ अधिकार देने चाहिये। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि चुनी हुई नगरपालिका यदि अपनी तकलीफ सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है तो उसको सुनना चाहिए, आज जो अधिकार हम इस क्लॉज़ में दे रहे हैं वे एक तरह से चुनी हुई नगरपालिका का कलेक्टर को मालिक बना रहे हैं; इस तरह से नगरपालिका की आवाज तुच्छ मात्र है, जनता की आवाज को तुच्छ मात्र मानते हैं। मान लीजिये स्वास्थ्य की दृष्टि से नगरपालिका सब लोगों को यह पाबन्द करे कि उस कुए से पानी नहीं भरना और वह कुआ भी ऐसा है कि उस पर पानी भरने से कुछ हिस्सा गन्दा होता है और उस गन्दगी के कारण उसका प्रभाव सारी जनता पर नहीं पड़ता, बल्कि एक दो नेताओं पर उसका असर होता है तो क्या होगा? वे कलेक्टर के पास जायेंगे और उस कुए को बन्द करवाने की आज्ञा ले लेंगे और यह भी होगा कि उसकी जगह दूसरी जगह कुआ खुदवाया जाय और कुआ खुदवाने में पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन करे तभी कुआ खुदवाया जा सकता है। कुए को बन्द करना, कुए को खुदवाना ये बातें इलेक्शन के दिनों में वोटर्स को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छी चीजें है। इससे सारे इलेक्शन पर असर हो सकता है। हम तो यह बात मानने के लिए तैयार नहीं कि चुनी हुई म्युनिसिपलिटी पर इमर्जेन्सी के समय में कलेक्टर को अधिकार दे और उसको विशेष प्रकार की सुविधा दे, यह कतई उचित नहीं है। अगर आप चाहें तो वे डेवलपमेन्ट के कामों में, विकास के कामों में, मेडिकल रिलीफ के नाम से काम करना चाहें, डिफेन्स के नाम से सरकारी अलोकेशन का रुपया है तो वे करवा सकते हैं। लेकिन ये सब म्युनिसिपल फंड से नहीं। म्युनिसिपल फंड से काम करने का

[श्री भैंरोंसिंह]

अधिकार चुने हुए म्युनिसिपल बोर्ड को होना चाहिए, अगर वही काम हम कलेक्टर से करवायेंगे तो प्रजातन्त्र में मूलभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा। जगह जगह के काम करने का, उनको हटाने का सब तरह के जो पोवर्स कलेक्टर को दे देते हैं तो फिर म्युनिसिपल बोर्ड एक तरह से निरर्थक हो जायेंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैंने जो पहला संशोधन प्रस्तुत किया है कि उसको हटा दिया जाय, उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

दूसरा संशोधन मेरा इस क्लॉज़ की सब क्लॉज़ में है :

"If the exepenses and remuneration are not paid, the District Magistrate may make an order directing any person, who for the time being, has custody of any moneys on behalf of the board, to pay such expenses and remuneration from such moneys as he may have in his hands or may from time to time receive and such person shall be bound to obey such order."

यह एक ऐसा क्लॉज़ है जिसमें नगरपालिका और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच झगडा हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई काम करवा दिया, जिसको नगरपालिका उचित नहीं समझती अगर उस कार्य को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करवा देते हैं तो उसका सारा का सारा खर्चा झगड़े के कारण म्युनिसिपैलिटी तो देगी नहीं, ऐसी हालत में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि जो व्यक्ति म्युनिसिपल बोर्ड के खजाने पर हो उसको वह आज्ञा दे सकता है कि इतना इतना रुपया इसको दे दिया जाय। बिना म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन की आज्ञा के वह ऐसा काम करवा सकता हैं, वह खजाने का पैसा निकाल कर कलेक्टर को दे दे।

माननीय चेयरमेन, यह कौन सी सभ्यता है कि जिसको म्युनिसिपल बोर्ड नहीं देता हैं पैसा, उसके लिये सरकार के सामने म्युनिसिपल बोर्ड शिकायत करे या डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडिज़ को लिखे या जिस ट्रिब्यूल की हम इसमें व्यवस्था कर रहे हैं उसके सामने वह मामला रखे, यह सब न करके जिस चीज को म्युनिसिपल बोर्ड नहीं चाहता वह कलेक्टर जबरदस्ती से करवा देगा और खजाने से जबरदस्ती पैसा निकाल कर दिलवा देगा। यह कहां का न्याय है ? जिस चीज को म्युनिसिपल बोर्ड नहीं चाहता तो उसके लिये सरकार के सामने शिकायत करे। जहां तक तकलीफों का सवाल है, डिफेन्स का सवाल है स्वास्थ्य का सवाल है वहां जनता के चुने हुए बोर्ड के सदस्य ज्यादा काम करेंगे या वह कलेक्टर ? कलेक्टर कोई काम करता है और म्युनिसिपल बोर्ड उसका विरोध करता है तो यह मामला सरकार के पास आना चाहिये न कि यह हो कि कलेक्टर को खजाना सौंप दिया और वह चाहे जैसे उसको खर्च करे। आप इस खजाने के अधिकार को कलेक्टर के हाथ में मत सौंपिये, म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों के हाथ में ही रहने दीजिए। पैसा जो म्युनिसिपल कोष में आता है वह सरकार से नहीं आता, कलेक्टर की जेब से नहीं आता वह तो गरीब जनता से आता है। हाउस टेक्स के नाम से,

[श्री भैरोंसिंह]

ओक्ट्रोय के नाम से, गाड़ियों के टेक्स से, पशुओं के टेक्स से वह पैसा आता है और म्युनिसिपेलिटी के कोष में जमा होता है। इस प्रकार से जो धनराशि इकट्ठी होती है उसको हम खर्च करने का अधिकार चुने हुए सदस्यों को दे सकते हैं। वह पैसा कलेक्टर अपनी इच्छानुसार खर्च करें, बिना नगरपालिका की मन्जूरी के, यह कतई उचित नहीं है। खजाने से पैसा लेने से पहले नगरपालिका को यह मौका होना चाहिये कि वह आपके पास आकर जो कुछ उनके सुझाव हों वे रखें, उन सुझावों को देखकर जो आप उचित समझें पैसा दिलाने की व्यवस्था करें तो ठीक बात हो सकती है। कलेक्टर को अधिकार देने की बात मानने लायक नहीं है।

तीसरा है "The provisions of sub section (2) of section 291 shall apply so far as may be to any order under this section.'

क्लॉज २९१ के सब क्लॉज़ (२) में रखा गया था :

"When any such order makes. any order under this sectionhe shall forth-with to the State Government and to the board..."

कलेक्टर ऐसी कोई आज्ञा देता है, पैसा इसके लिये लिया जाय तो पैसा न देने की सूरत में वह मामला सरकार के समक्ष जायगा सरकार उस पर रद्दोबदल करना चाहे रद्दोबदल करेगी। मैं समझता हूँ यह बेकार सी चीज है। मान लीजिये कमेटी से पैसा ले लिया और कलेक्टर ने खर्च कर दिया उसके बाद वह मामला सरकार के पास जाता है और सरकार को वह उचित मालूम नहीं होता तो क्या वह पैसा कलेक्टर की जेब से निकाला जायगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैसा खर्च किया है, गलत ढंग से खर्च कर दिया है तो उसकी वसूली का क्या ढंग होगा, क्या कलेक्टर अपनी जेब से देगा या सरकार देगी इसमें यह अनिश्चित व्यवस्था है। सरकार अगर चाहती है कि जिस चीज को मंजूर करने का अधिकार है उसको नामन्जूर करने का भी हमको अधिकार है। काम होने के पहले अगर वह इस प्रकार का अधिकार ले लेती है तो फिर भी माना जा सकता है। काम होने के बाद मकान बन गया, उसके बाद अगर सरकार की ओर से कोई गलती हो गई तो क्या होगा? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस क्लॉज़ को लोप करने के पक्ष में होंगे। मैंने इस धारा में तीन संशोधन रखे हैं और तीनों के मुतल्लिक मैंने अर्ज किया कि म्युनिसिपैलिटी को अपने स्वयं के पैसे खर्च करने का अधिकार हो, उसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, नागरिक फंड का उपयोग कभी प्रीज़म्प्शन के आधार पर, कभी वसूल करने की चेष्टा नहीं होनी चाहिये। मौका देखने के बाद यदि किसी प्रकार का पैसा वसूल करना वाजिब समझा जाय तो किया जाय अन्यथा वाजिब नहीं होगा। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे जितने भी अमेन्डमेन्ट्स हैं प्रजातन्त्र के अनुकूल और डेमोक्रेसी के बेसिक युनिट्स के हित के हैं; अतः सदन उनको अवश्य ग्रहण करेगा।

श्री श्रीदास गोयल—मिस्टर चैयरमैन, यह जो श्री भैरूंसिंह जी ने संशोधन रक्खा है २९२ में, सिद्धांततः जब हम जनतन्त्र की ओर अग्रसर हैं तो यह सोचना होगा कि हम विकेन्द्रीकरण

[श्री श्रीदासगोयल]

की ओर भी जब कदम उठा रहे हैं तो इस तरह का क्लाज़ कन्ट्रोल वाला चैप्टर में उचित रहेगा या अनुसूचित, यह भी देखना होगा। जहां तक 'कन्ट्रोल' शब्द का मतलब निकाला जाता है वहां तक साफ है कि कोई बोर्ड में मतभेद हो गया हो आपस में सदस्यों में और उनके काम करने के बावजूद भी जनहित की दृष्टि से ऐसा गैप हो गया है कि वे इमर्जेन्सी के मौके पर भी सही काम न कर सकें तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह देखना जरूरी हो जाता है कि यदि कोई वर्क्स ऐसे हैं जिन्हें तत्काल किया जाना आवश्यक है तो इसके लिए कोई न कोई तरीका होना चाहिये कि जिससे वह काम चालू रक्खा जाय और ऐसी कोई स्थिति बोर्ड की उच्छृंखलता की वजह से पैदा न हो जाय कि सारा काम काज ठप्प हो जाय। तो ऐसी स्थिति में जो काम करना जरूरी होगा उसका जो पैसा खर्च होगा वह तो नगरपालिका के फण्ड से खर्च होगा।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि कलक्टर को जो पावर दिया जाता है वे कुछ न कुछ डिक्टेटोरियल के तरीके के दिए जा रहे हैं तो इस पर थोड़ा कन्ट्रोल और हो जाना चाहिये। तो मैं निवेदन करूं कि यदि इस क्लाज में कलेक्टर को ऑथोरिटी दिये जाने के साथ साथ यह हो जाता कि "with the previouse section of the Goverment" तो बात बहुत ठीक हो जाती। सरकार की पर्मिशन से वह काम करे। जयपुर, जोधपुर में जहां बोर्ड में अच्छी अच्छी पर्सोनेलिटीज हैं उनके मुकाबले में एक आदमी को इतने अधिकार दे देना ठीक नहीं होगा। यदि कलक्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉवर्स दिए जाते हैं इमर्जेन्सी के कारण से तो यह जरूरी है कि गवर्नमेंट की सेक्शन कलक्टर तत्काल प्राप्त कर ले और इसके बाद में इमर्जेन्सी हो तो काम चला ले और भैंरूसिंहजी को जो शिकायत थी कि इच्छा के विपरीत कुछ व्यक्तियों के कहने से गड़बड़ी कर सकते हैं तो सरकार के पास म्यू० के प्रतिनिधियों को भी मौका मिल सकता है इससे। ऐसी स्थिति में यह मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज तो रहना चाहिये पर इसके रहते हुए थोड़ा कन्ट्रोल कलेक्टर का भी रहना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले ही कहा था कि २९१ (२ ३) इमर्जेन्सी पोवर्स हैं। पब्लिक सेफ्टी में बोर्ड अगर काम नहीं करे तो काम नहीं रुके, चलता रहे। इसलिए कलेक्टर को पोवर्स दिया है कि वह कर सके। अब अमेन्डमेन्ट यह रक्खा है कि पैसा कौन दे? काम करना बोर्ड की ड्यूटी है, वह नहीं करता तो दूसरा जो करता है उसको पैसा तो बोर्ड को देना ही चाहिये। इसमें यह बात नहीं होनी चाहिये कि गवर्नमेंट मदद नहीं करती। इस तरह की शिकायत आप ही बाद में करेंगे तो यह शिकायत का मौका नहीं आना चाहिये। कलेक्टर बेगार करता है और उसे आप पैसा भी नहीं दें, यह कैसे हो सकता है? इसलिए यह प्रोवीजन ठीक है।

इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि सरकार की सैंक्शन लें। तो यह तो इमर्जेन्सी में सम्भव नहीं होगा। आग आज लगी है, अब कलक्टर इसके लिए क्या गवर्नमेंट को लिखेगा। यह

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तो फिर वही बात हो जायगी कि आज आग लगी और छः महीने बाद ऑर्डर सरकार भेजे कि आग बुझा दो तो वह तो इमर्जेन्सी में कलक्टर को अधिकार रहना ही चाहिए।

और अगर पैसा खर्च कर दिया तो वसूली के लिए सब क्लॉज़ (३) रखा गया है। So far as possible है।

श्री भैरूंसिंह—खर्चा वसूल करने से पहले सरकार के समक्ष बोर्ड और रिपोर्ट दोनों जावेंगे, उस पर सरकार जो निर्णय देगी वह खर्चा देंगे। यह कर दें।

श्रीबद्रीप्रसाद—तीन में यह आ जाता है। "The provisions of sub-section (2) of section 291 shall apply so far as may be to any order made under this section"

श्री भैरूंसिंह—इसमें तो सिर्फ सूचना जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद—नहीं, ऐसा नहीं है। "It shall be the discretion of the State Government to rescind the order or to direct that it shall continue to be enforced with, or without modification."

सब क्लॉज़ (२) में 'Government can do it' इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आर्डर कलक्टर ने गलत दिए हैं तो फिर खर्चा देने का सवाल नहीं उठेगा। सब क्लॉज़ (२) के रहते कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भैरूंसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया है और जो विश्वास दिलाया है उसको देखते हुए मैं चाहूँगा कि अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की मुझे अनुमति दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दीं जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री भैरूंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ?

श्री उपाध्यक्ष—बस, अब तो कोई अमेन्डमेन्ड नहीं है। २९३ पर जो है वह भी डिस्कस हो चुका कि होना है। होना है ? २९२ को पास करना है ?

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९२ को स्वीकार किया जावे।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज २९२ विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ २९३

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९३ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Delete the words "and shall meet such......board.' occuring in the last three lines,"

ये शब्द क्लाज़ २९३ से निकाल दिये जावें। २९३ में यह व्यवस्था की जा रही है कि सरकार जब कभी चाहे तो म्यू० बोर्ड के अधिकारियों को या समस्त कर्मचारियों को किसी काम के लिए रिक्विज़िट करके उस काम पर लगा दे। और लगाने के बाद जो खर्चा-सरकार उचित समझे वह खर्चा उस म्यू० बोर्ड से दिलावे। इस क्लॉज़ की ऊपर की लाइन में ;

"On the occurrence of war, famine, scarcity, epidemic, disease of man or beasts, floods or any similar emergency, and to provide for fairs, melas or other occasions, involving a large gathering of people, the board shall immediately comply with any requisition made by the State Government or by an officer of the State Government authorised by general......"

इसमें जो मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उस संशोधन की मन्शा यह है कि यदि कोई काम है जिस काम के लिए हमें म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों को रिक्विज़िट करके लगाया है उसका खर्चा किस म्युनिसिपल बोर्ड को देना चाहिए? यदि किसी एक काम के लिए जिस काम का असर उसी नगरपालिका के क्षेत्र पर होता है और उसी काम के लिए कोई सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी नगरपालिका के कर्मचारियों को उस पर लगाने की व्यवस्था करता है तो उसमें जो खर्चा होगा वह खर्चा उस नगरपालिका को देना चाहिए, जितना भी सरकार उस खर्चे को उचित समझे, मगर उसमें आगे चलकर ऐसी व्यवस्था है कि कहीं मेला हुआ, कहीं पर आदमी ज्यादा इकट्ठे हुए, कहीं पर और विशेष कारण से कोई विशेषप्रकार की परिस्थिति पैदा हुई हो, जानवरों या मनुष्यों की कोई बीमारी आ रही हो, और बीमारी के कारण अक्सर ऐसा होता है कि आसपास की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को रिक्विज़िट करके उस नगरपालिका के क्षेत्र के कार्य को करने के लिए भेजे जाते हैं। जहां तक भेजने का कार्य उसमें आता है मेरा उससे विरोध नहीं है और होना भी नहीं चाहिये, मगर वह खर्चा कौन दे? जहां तक मेलों का प्रश्न आता है, यदि कोई वार छिड़ गई और

[श्री भैरूं सिंह]

बार का खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड भुगते, मैं समझता हूं कि यह कहना ही उचित नहीं है और करना तो और भी अनुचित है। उसके बाद में एपिडेमिक डिसीसेज फैली हैं तो उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोल रखा है। हम यह चाहते हैं कि सरकार अपने खजाने से पैसा खर्च करके इस प्रकार की बीमारियों को दूर करने की चेष्टा करे। उस प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए जितनी भी इमरजेन्सी पॉवर्स और इमरजेन्सी वर्क्स अपने हाथ में लेने का हक हाथमें लेते हैं तो जो खर्चा हो वह खर्चा भी सरकार भुगते। इसके अलावा वार का प्रश्न आता है, एपिडेमिक डिसीसेज का प्रश्न आता है, आगे अकाल का प्रश्न आता है, अकाल के साथ साथ स्केअर्सिटी का प्रश्न आता है, ऐसे केसेज़ हैं जनरल केलेमिटीज के हैं, तो जनरल केलेमिटीज़ से बचाने का सीधा दायित्व सरकार के ऊपर है। उन कामों से बचने के लिए, उन कामों से जनता को राहत देने के लिए इतना खर्चा करना पडेगा तो वह नगरपालिकाओं के लिए संभव नहीं है। यदि थोडा सा भी लगेगा तो संभव नहीं है और अधिक लगेगा तो असंभव है। थोड़ी सी भी धनराशि हम म्युनिसिपेलिटी की लेंगे तो म्युनिसिपल बोर्ड के जो साधारण फन्वशन्स हैं उनको भी हम अपसेट कर देंगे, और अपसेट करने के कारण म्युनिसिपेलिटी के और जो फन्वशन्स वे किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से पूरे नहीं हो सकेंगे। जहां तक मोटी मोटी चीजें हैं बीमारी के कारण से, स्केयर्सिटी के कारण से, के कारण से, और अकाल लडाई के कारण से जो खर्चा म्युनिसिपेलिटी पर उनके रिक्वीजीशन के कारण से आ सकता है तो वह म्युनिसियेलिटी बर्दाश्त नहीं करे, बल्कि सरकार बर्दाश्त करे।

आगे इस प्रकार जो मेले के कारण से जैसा कि इसमें लिखा है कि "fairs, melas or other occasions, involving a large gjathering of people,' अब उसमें भी यह देखना पड़ेगा कि यदि कोई मेला होता है तो उस नगरपालिका के ही क्षेत्र में मेला होता है तो वह नगरपालिका पूरा खर्चा देगी। उस खर्चे के हिस्से किये जा सकते हैं। सरकार के हिस्से में वह कितना खर्चा आयेगा और नगरपालिका के हिस्से में वह कितना, आयेगा दूसरी नगरपालिकाओं से रिक्विजिट करके कर्मचारी वहां भेजते हैं तो उसका खर्चा चाहे थोड़े ही हिस्से के अन्दर आये। वह उस नगरपालिका के अन्दर नहीं है तो इस प्रकार का खर्चा वह नगरपालिका बर्दाश्त करे वह ठीक नहीं करे वह ठीक नहीं होगा। जो काम जिस नगरपालिका में ज्यादा होता है तो वह उसकी जिम्मेदारी है। वह खर्चा उसके जिम्मे है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय, इसमें से, माननीय उपाध्यक्ष, मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे थोड़ी सी एम्बीग्विटी रहेगी। इस एम्बीग्विटी को दूर करने के लिए इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय और डेफर करने के बाद में इस प्रकार का संशोधन इसमें लाकर इस तरह का जो मोटा खर्चा होगा वह सरकार देगी और जो छोटा खर्चा होगा वह प्रोपोर्शनेटली म्युनिसिपेलिटीज़, जिनके क्षेत्र में वह इस प्रकार का काम हो रहा है और जिस म्युनिसिपल बोर्ड के आफिसर रिक्विजिट करके भेजे जा रहे हैं चाहे, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो उनसे पैसा वसूल किया जाना अन्याय सा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को इस समय डेफर कर दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २९३ के सिलसिले में मेरे माननीय मित्र ने अभी अपने सुझाव दिये। मैं उसके संबन्ध में केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का तमाम म्युनिसिपेलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों के तमाम कर्तव्यों को ठीक ढंग से कराने का जिम्मा है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जब यह सेमी गवर्नमेंट बोडीज़ चलतीं हैं तो और भी जिम्मा बढ़ जाता हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि समय समय पर अत्यन्त आवश्यकता के वक्त स्टेट गवर्नमेंट का इसलिए साथ दें कि वह उनका साथ देने से अपनी नगरपालिका के क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिए सहायक होंगे और वैसा करने की दृष्टि से यदि स्टेट गवर्नमेंट को कोई आवश्यकता पड़े तो उन कारणों के मालूम होने का इसमें तरीका हैं जो बहुत साफ है कि : 'On the occurrance of war, famine, scarcity, epidemic disease of men or beasts, floods or any similar emergency......"

जैसा कि सिद्धान्त है कि 'Emergency knows no law.'

यदि ऐसे आवश्यकीय कारणों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट उन मनुष्यों की सर्विसेज़ की आवश्यकता समझे, इधर लगाने के वास्ते और यदि सर्विसेज़ के व्यक्ति उस समय से भी गवर्नमेंट बोडीज़ से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो एक गलतफहमी और मुगालता रहता है इस तमाम बिल और एक्ट में। मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र ने ऐसे कारणों को लेते हुए यह सुझाव दिया है डेफर करने के लिए, तो उनकी भावना हो सकती है चार्जेज़ के मुतल्लिक....

श्री भैरूंसिंह—आप समझ कर बातें करें, बिल्कुल बे सिलसिले की बातें नहीं करें तो अच्छा है।

श्री श्रीदास गोयल—तमाम इमर्जेन्सी पर विचार करते हुए अपने विचार प्रकट किये हैं कि कास्ट कौन बर्दाश्त करे, एक्सपेन्सेज़ किस तरह से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रिब्यूट किये जायंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां डिपार्टमेंट में बहुत से आदमी इस इमर्जेन्सी के काम के लिए लिये जायेंगे तो उसका खर्चा कहीं नगरपालिका पर प्रोपोर्शनेटली अधिक न पड़ जाय, इस डरने की बात से वे चाहते हैं कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय और उसके लिए दो और दो चार होते हैं; इस तरह से अरिथमेटिक के ढंग से कोई सुझाव आ जाय। स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं और जिसमें विश्वास करके हमने दिया है सारे राजस्थान का हित के लिए तो जितना प्रोपोर्शन जिस नगरपालिका के लिए चार्जेज़ के रूप में खर्च करने की जरूरत होगी उतना ही लिया जायगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का सुझाव देने की गुंजाइश नहीं रहती है। जब हम एक तरफ मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पूरे राजस्थान के हित की तमाम जिम्मेदारी है तो इन बातों को निभायेंगे। यह अधिकार कोई कलेक्टर या किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट रिक्विजिट करेगी उन परिस्थितियों में जो इसमें साफ दिखती हैं। ऐसी हालत में जिन व्यक्तियों का उपयोग होगा, जितना खर्चा होगा वह नगरपालिकाओं के जिम्मे जो खर्चा आने वाला है उतना ही लिया जाने वाला है। २९३ में स्पष्टीकरण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे माननीय मित्र ने कोई खास सुझाव

[श्री श्रीदास गोयल]

नहीं दिया है। इस क्लॉज़ को इस शक्ल में न रखकर दूसरे तरीके की क्लॉज के रूप में दे दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट उन आदमियों का उपयोग करते वक्त बिल्कुल अरिथमेटिक के ढंग से निर्णय ले ले जो कि व्यवहारिक नहीं है और संभव भी नहीं है। जितने आदमी आयेंगे और जिस तरह का काम करेंगे, जिस काम को करेंगे और जिस परिस्थिति में वे काम करेंगे वे ही तमाम कारण होंगे कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट निर्णय ले सकेगी कि किसके जिम्मे कितना खर्चा लगाया जाय। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ बहुत जरूरी है। मैं इसको ठीक समझता हूं। अगर इस चेप्टर में इस प्रकार का क्लॉज़ नहीं हो तो बड़ी अनुचित बात होगी। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को जिस हालत में मैं बता रहा हूं रख लेना चाहिये, कोई इसमें बखेड़ा नहीं होगा। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी भी है और सरकार की भी है। सरकार यह कतई नहीं चाहती है कि म्युनिसिपेलिटियां हरी भरी न रहें, उनके बजट में नुकसान हो और वे अपंग बना दी जायं। ऐसी स्थिति में मेरे माननीय मित्र इन तमाम बातों का खयाल रखते हुए इस संशोधन को वापिस ले लें।

शाह श्री अलीमुद्दीन (उपमन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग)—आनरेबल डिप्टी स्पीकार साहब, आनरेबल मेम्बर ने जो क्लॉज़ २९३ पर संशोधन रखा है उसकी आवश्यकता मालूम नहीं होती है। उन्हें इस एमेंडमेंट को रखने से पहले थोड़ा सा यह अगर कारण था कि म्युनिसिपल बोर्ड्स जो अपने यहां मुलाजिम रखते हैं वे एक्स्ट्राओर्डीनरी हालत में बहुत से ओफिसर नहीं रखते हैं, बल्कि वही मुलाजिम रखते हैं कि जो रोज मर्रा और मामूली कारबार को चलायें। इमरजेन्सी या वे एक्स्ट्रा आर्डीनरी हालात में पैदा होने पर यह कोई भी यह नहीं कह सकता है कि क्या क्या चीजें पैदा हो सकेंगी। और ऐसी सूरत में बहुत से वे लोग जो एक्स्पर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज़ यकीनन लेना पड़ता है और उन तमाम एक्स्पर्ट्स को जो टेक्निशियन्स की तारीफ में आते हैं बोर्ड एम्प्लोय कर दे तो बोर्ड का बजट इतना हेवी हो जायगा कि उनका कारोबार चलना मुश्किल हो जायगा। २९३ में प्रोविज़न रखा गया है वहां इन्हीं हालत में रखा गया है कि कोई इमरजेन्सी हो। मसलन ऐसी कोई इपेडेमिक होती है, उससे कोई एरिया इफेक्ट हो जाता है और उसको दूर करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनेरी एम्प्लोयीज़ हैं, हाइली क्वालिफाइड हैं उनकी ऐसे मामलात में जरूरत पड़ती है। उनको म्यूनिसिपल बोर्ड मीट नहीं कर सकता है उस पोज़िशन में फिर गवर्नमेंट ऐसे ओफिसर्स को एम्प्लोय करके वहां की जनता की हर तरह से खिदमात करेगी। और यह आप कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड से खर्चा न लिया जाय, टालने की बात नहीं है, एक म्युनिसिपेलिटी के एरिया में हो बल्कि कई म्युनिसिपेलिटी के एरिया में हो सकते हैं, उन तमाम पर खर्चा पड़ेगा जिसको कि वसूल किया जाना चाहिये, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी है, उनकी शहर की जिम्मेदारी हैं, नगरपालिका की जिम्मेदारी है। उससे यह खर्चा हटाकर दूसरे पर थोप दिया जाय यह ठीक नहीं है, मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि यह निहायत जरूरी है और आप अमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बदकिस्मती है कि मेरे इस संशोधन के पीछे जो खास भावना थी उस भावना को दूर रखकर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो उसकी मूल भावना पर आघात करने की चेष्टा का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। उनकी समझ में यह आया कि मैं यह चाहता हूं कि एक नगरपालिका को दूसरी

[श्री भैरोंसिंह]

नगरपालिका की सर्विसेज़ रिक्वीज़िट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में कह दिया और अब भी कहता हूं कि इमरजेन्सी के टाइम में एक नगरपालिका की तो क्या, और भी कोई विभाग हों सरकार के, अथवा कोई अर्ध सरकारी संस्थायें हैं उनकी सर्विसेज़ को रिक्वीज़िट करके उस धन्धे पर लगा दें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है इस बात की कि कैसी कैसी चीजें हैं जिनकी जिम्मेदारी सीधी सरकार पर है। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, नगरपालिका की नहीं। कहीं कोई इपेडेमिक फैल जाय तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की है, हां यह अवश्य है कि जिस नगरपालिका के क्षेत्र में वह फैले उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह वहां के निवासियों के लिए कार्य करे, कहीं अकाल पड़ गया उसकी जिम्मेदारी सीधी नगरपालिका की नहीं है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूर्णतया आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी है। नगरपालिका के जितने फन्ड्स हैं वे सब लिमिटेड हैं। उनका काम है कि अगर अपने नगर में कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता हो तो उनकी पूर्ति के लिए खर्च करे। उस नगरपालिका में रहने वाले निवासियों से किसी न किसी रूप से धन संचित किया जाय तो वह उन्हीं के कामों में लगाया जाय। अगर उनके ऊपर जनरल टर्म्स में, अगर किसी वार का असर पड़ता है, किसी नगरपालिका पर असर पड़ता है, कोई हमला होता है, नगरपालिका वाले भी तो सरकार पर निर्भर होते हैं, सरकार का नुक्सान होगा तो नगरपालिका का भी होगा, अगर अकाल पड़ता है और उसका असर पड़ता है, सारे राजस्थान पर पड़ता है और किसी विशेष एरिया में पड़ता है तो उसका असर पड़ता है तो उसके असर से नगरपालिका भी नहीं बचेगी, लेकिन विशेष प्रकार की परिस्थिति में कुछ सीमाओं का निर्धारण करना पड़ता है जिसमें म्युनिसिपेलिटी के फंकशन्स रहते है, सरकार के फंकशन्स रहते हैं। वार हो जाने पर यह सोचते हैं कि लडाई के नाम पर कोई खर्चा किया है तो वह म्युनिसिपेलिटी से लेने के हकदार हैं, अकाल पड़ जाय तो वह भी म्युनिसिपेलिटी से लेने के हकदार हैं, कोई इपेडेमिक डिज़ीज़ जानवरों या मनुष्यों में फैल जाय तो उसको दूर करने के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए उस पर खर्चा जो होता है वह नगरपालिका के ऊपर थोप कर उससे वसूल कर लिया जाय, चाहे वसूल करने का हमारा अधिकार हो या नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि ये सारे के सारे खर्च सरकार पर आते हैं उन सारे के सारे खर्चों को नगरपालिका से वसूल करना उचित नहीं होगा।

दूसरी मेरी मांग थी कि ऑफिसर्स को रिक्वीज़िट करते हैं, किसी आफिसर को एक काम के लिए रिक्वीज़िट किया, जिस नगरपालिका में वह काम है उनका खर्चा उस पर होना चाहिए, किन्तु उस नगरपालिका से नहीं लेना चाहिए जिसमें कि वह काम नहीं किया गया। मैं यह मानकर चलता हूँ कि नगरपालिका में टेक्निशियेन्स हों, विशेष कामों के जानकार हों, और विशेष कामों में लगाया जाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन खर्च लेने के विरुद्ध हूँ। जनरल कामों के कारण से खर्चा होता है, ऑफिसर्स रिक्वीज़िट करने के लिए नगरपालिका पर बोझा न डाला जाय। अब भी मेरी

[श्री भैंरोंसिंह]

मांग यही है कि जिस नगरपालिका से रिक्वीज़िट किया जाय उस क्षेत्र से बाहर काम होता है उस नगरपालिका से खर्चा वसूल करने की क्या आवश्यकता है।

उस क्लॉज़ में यह है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे जैसे उसको बांटे और वह खर्चा वसूल किया जावेगा। जब तक कि कोई क्लियर कट पोलिसी नहीं रखते हैं और जिस नगरपालिका में काम नहीं होता है तो उससे क्यों वसूल किया जाय? वह एक पैसा भी देने का हकदार नहीं है। इस गलती का फायदा उठाया जा सकता है और उस नगरपालिका पर भी बोझा डाला जा सकता है। उसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है और यह मांग की है कि समस्या का हल होगा, लेकिन समस्या का हल उसी समय होगा जब कि आप इसको डेफर कर दें और उचित संशोधन लाकर सदन से मांग करें। मैं फिर निवेदन कर दूं कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय। मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ पर विचार किया जाय और इसको फिलहाल डेफर कर दिया जाय और इस पर दुबारा विचार करके कोई उचित संशोधन लाने का प्रयत्न किया जाय। माननीय मन्त्रीजी उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिए उन्हें निवेदन करूंगा कि वे इस क्लॉज़ को डेफर कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्लॉज़ २६३ में जो प्रोविज़न है वह इमर्जेन्सी के बारे में है। इमर्जेन्सी के समय किसी नगरपालिका के हैल्थ आफिसर, व अन्य आफिसरों को रिक्वीज़िट करने के पावर्स दी गई हैं। जो कुछ खर्चा होगा उसको नगरपालिका जहां यह होगा मीट करेगी, लेकिन इसमें दवा वगैरह का खर्चा नहीं है, अगर कहीं इपेडेमिक फैल गई है इसमें लिखा है कि "and shall meet such proportion of the charge connected with the requisitioning as the State Government may decide to be a proper charge on the Board."

उनकी तनख्वाहों के बारे में यह प्रोविज़न है सिर्फ। कुछ हिस्सा तो सरकार देगी और कुछ हिस्सा म्युनिसिपेलिटी देगी। जिस म्युनिसिपेलिटी के एरिया में काम होता है तो उस म्युनिसिपेलिटी को देना चाहिए। गवर्नमेंट का काम मानते हैं तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, दवा वगैरह का खर्च टोली सरकार देगी। वह म्युनिसिपेलिटी के ऊपर नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह—वार का खर्चा है, फेमीन, एपिडेमिक का खर्चा म्युनिसिपेलिटी पर सरकार को थोपने का अधिकार नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वार के बारे में कोई खर्चा होगा तो सरकार देगी। ऑफिसर्स को बुलाने करने में, जो होगा सरकार देगी।

श्री भैंरोंसिंह—इसके कारण से तो अधिकार हो गया सरकार को। सरकार उनको रिक्वीज़िशन करे, और रिक्वीज़िशन पर जो खर्चा होता है उसको विभक्त करके सरकार कह दे किसी नगरपालिका को खर्चा दो, ऊपर साफ लिखा है कि वार हो, फेमीन हो, इपेडेमिक हो, हो उनके सम्बन्ध में ऑफिसर्स को रिक्वीज़िट किया जाता है और उन आफिसर्स पर जो खर्चा होता है वह नगरपालिका न दे किन्तु सरकार ही दे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २९३ में श्री भैंरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २९४, २९५ और २९६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २९४ से २९६ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २९४, २९५ व २९६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ २९७

श्री भैंरूंसिंह (१९)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९७ में मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज़ का लोप कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, कई दिनों से मांग की जा रही थी कि म्युनिसिपेलिटी के हर काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। क्लॉज़ २९७ को देखने से

[श्री भैरूंसिंह]

अब ऐसा पता लगा है कि ज्यों ज्यों इस बात का विरोध किया जाता है कि सरकार का नगरपालिकाओं के काम में कम से कम हस्तक्षेप हो, त्यों त्यों ही आगे के क्लॉज़ेज़ आ रहे हैं वे इस बात को साबित करती हैं कि विरोध करने के कारण से सरकार का हस्तक्षेप नगरपालिका के काम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। इस बात की सूचना क्लॉज़ २९७ से मिली है। क्लॉज़ २९७ में यह व्यवस्था है :

"If in the opinion of the State Government the number of persons who are employed by a board as officers or servants or whom a board proposes to employ, or the remuneration assigned by the board to those persons or to any particular person, is excessive, the board shall, on the requirement of the State Government, reduce the number of the said persons or the remuneration of the said person."

अब तक तो यही देख रहे थे कि नगरपालिका के काम में किस प्रकार का हस्तक्षेप किया जाय, नगरपालिका के काम को किस प्रकार से रोका जाय, नगरपालिका से किस हुक्म के जरिये जबर्दस्ती काम करवाया जाय और उस काम का खर्चा जबरदस्ती नगरपालिका से वसूल किया जाय। अब तक तो यही धाराएं थीं। नगरपालिका को किस प्रकार भंग किया जाय, नगरपालिका के मेम्बर्स को कैसे हटाया जाए, अविश्वास के प्रस्ताव से मेम्बर्स को हटाने के लिये जो सुविधा हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाय। ये बातें अब तक पास करदीं। लेकिन एक थोड़ा सा काम नगरपालिका के हाथ में रहता है, रहेगा, यह नहीं मानता कि रहेगा। यह अनुचित है। लोकल बोडीज़ की जितनी सर्विसेज़ हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिये हीं एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। आगे चलकर सर्विसेज़ के बारे में एक चेप्टर है, उसमें कर्मचारियों के एपोइन्टमेन्ट का तरीका, सजा और उनके बारे में और भी विशेष प्रकार के निर्णय इन सब बातों के लिये आगे के चेप्टर में विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया है। लेकिन इस की शुरूआत इस क्लॉज २९७ से हो रही है। यदि कोई नगरपालिका किसी अधिकारी को रखना चाहता है, किसी कर्मचारी को नियुक्त करना चाहती है और सरकार यदि चाहे कि इस प्रकार विशेष नियुक्ति, विशेष कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी तो सरकार आदेश देगी और नगरपालिका को तामील करनी होगी। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि नगरपालिका के काम में इस प्रकार का हस्तक्षेप वाजिब है या नहीं। मैं एक प्रकार से कहूँगा कि यह वाजिब है और इस सूरत में वाजिब है कि नगरपालिका को हम फुल अधिकार देदें कि वह अपोइन्टमेन्ट, तरक्की और तबादुला कर सकती है, मैं यह मानकर चलता हूं और मंत्रीजी स्वयं यह चाहते हैं, उनकी तरफ से इन्फोर्मल बातों में संकेत मिला है कि वे स्वयं लोकल बोडिज़ की सरविसेज को रेगुलेट करने, प्रोटेक्ट करने के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। यह काम इस प्रकार से भी हो सकता है कि लोकल बोडिज़ की सर्विसेज़ के लिये एक बोर्ड की नियुक्ति की जाय। जिस तरह से पब्लिक सर्विसेज़ के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी तरह का एक बोर्ड लोकल बोडीज़ के लिये भी हो जिसके द्वारा राजस्थान की नगरपालिकाएं, पंचायतें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स-

[श्री भैरूंसिंह]

की सर्विसेज़ को रेगुलेट करने की विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे सबको सहूलियत हो जाय। लेकिन यह सब आगे के चेप्टर में हो सकता है, यहां यह मानकर चलें कि नगरपलिका के चेयरमेन, वाइस चेयरमेन तथा बोर्ड को यह अधिकार दे रहे हैं कि वे किसी को नियुक्त कर के उसको तनख्वा दे सकें। इस धारा को लोप करने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं यह मानकर चलता हूं कि नगरपालिका को ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायतों आदि में जिनको सर्विस में रखा जाता है उनके लिये कोई कम्पिटिशन नहीं है। चेयरमेन चाहे उसको नोकर रख सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन चाहे जितने अध्यापकों को रख सकता है, औषधालयों के संचालकों को रख सकता है। उसी तरह से नगरपालिकाओं में स्क्रिवेन्जर्स को, स्वीपर्स को, चपरासियों को और दूसरे कितने ही आदमियों को चेयरमेन नोकर रख सकता है। चेयरमेन को यह अधिकार देने से इस अधिकार का दुरुपयोग होगा ऐसी मेरी धारणा है। मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना सा कहूंगा कि हम इस चीज को मान कर चलते हैं कि ऐसे अधिकार चेयरमेन को नहीं देने चाहिये। मंत्रीजी भी अब हाउस में आ गये हैं। मैं फिर से यह कहूंगा की यह धारा है जिसका संबंध म्युनिसिपल बोर्ड की सर्विसेज से है। इन सर्विसेज के लिये हमें कमीशन नियुक्त करना चाहिये। यदि हम बोर्ड को अधिकार नहीं दें तो यह कहूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। यदि किसी प्रकार की व्यवस्था करनी है तो आगे चलकर सर्विसेज के लिये जो धारा रखी है उस समय देखेंगे। आगे कंट्रोल का चेप्टर है उसमें यदि समावेश करते हैं तो अच्छा नहीं लेकिन सर्विसेज के बारे में हमें अलग से चेप्टर बनाना है वह इसका अंतिम १३ वां चेप्टर होगा। बोर्ड को ऐसा अधिकार है कि जिस के द्वारा नोकर रख सकता है, तनख्वाएं दे सकता है, और भी बातों की आवश्यकता होगी तो आगे चलकर देखलेंगे। इस समय इस धारा को रखना उचित नहीं है। इसलिये में मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस धारा को डिलीट कर दिया जाय और आगे के चेप्टर में सर्विसेज़ का विशेष प्रकार से उल्लेख होनेवाला है उसमें इसका समावेश किया जा, और इस समय यह क्लॉज लोप कर दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष,...

श्री उपाध्यक्ष—आपका कोई अमेन्डमेन्ट है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उनकी बात तो स्पष्ट है।

श्री हिम्मतसिंह—प्रेक्टिस कर रहे हैं बोलने की।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २९७ इस तरह का क्लॉज़ है जिसके द्वारा सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के मुलाजिमों को हटाना चाहेगी तो उनको हटा सकेगी, जब कि बोर्ड उनको रखना चाहेगा। माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर आजकल म्युनिसिपेलिटी के अंदर, पंचायतों के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अंदर, सर्विसेज़ का बुरा हाल हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को बताया था कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट औषधालय हैं जिनको सरकार की तरफ से काफी एड मिलती है और कहीं कहीं तो ८० परसेन्ट मदद मिलती है उन संस्थाओं की सर्विसेज के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, स्वायत्त शासन संस्थाओं की सर्विसेज के लिये और प्राइवेट स्कूलों के लिये जिनमें सरकार की तरफ से मदद मिलती है उन स्कूलों के अध्यापकों की भरती के लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये। जिस तरह से राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी जो ६० रुपये से ऊपर की तनख्वा पाने वाले हैं उनकी भर्ती के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन है और उस कमीशन की आज्ञा में दूसरा कोई भी मिनिस्टर या ओफिसर रद्दोबदल नहीं कर सकता है, उसी तरह स्वायत्त संस्थाओं को सर्विसेज़ के लिये भी कमीशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान सरकार म्युनिसिपेलिटी एक्ट के अन्दर इस तरह का क्लॉज़ रख कर तय करेगी कि राजस्थान में कोई भी म्युनिसिपेलिटी होगी उसमें इस तरह की बोडी होगी वह सरकार की तरफ से होगी और वह उन छोटे अफसरों को या छोटे कर्मचारियों को या स्वीपर्स को कायम करने के लिये बोर्ड होगा और वह उनकी तनख्वाह और सर्विसेज़ के बारे में पूरा फिक्सेशन करेगा, तो मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात के लिये खुद उत्सुक होंगे कि इस तरह राजस्थान में पी. एस. सी. जैसा बोर्ड हो और इस बारे में तय करेंगे कि जितनी म्युनिसिपेलिटीज़ राजस्थान में चल रही है उनमें जितने क्लिर्क हों, स्वीपर्स और ओफीसर्स हो उनका जिस तरह गवर्नमेंट के दूसरे कर्मचारी हैं उन्हीं की तरह फिक्सेशन करेंगे। गवर्नमेंट के कई ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं, जहां स्वीपर्स नौकर हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, आज उनकी तनख्वाह, सर्विस और दूसरे तरीके हैं उसी तरह इनका भी करें। आज स्वायत्त शासन विभाग में जितने कर्मचारी हैं उन पर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर जो तरीका लागू है वह लागू नहीं हो रहा है। (घन्टी) माननीय उपाध्यक्ष, आज इस तरह का म्युनिसिपल एक्ट पास हो रहा है, उसमें इस तरह की धारा रख दी जायगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर इस धारा में रख दिया जाता है कि १० आदमियों को म्युनिसिपल बोर्ड की सर्विस में रख लेंगे और एक महीने में चाहेंगे तो फिर हटा देंगे, तो इससे तो आज हजारों आदमी बेकार फिर रहे हैं, दो चार महीने के लिये म्युनिसिपेलिटीयों में नौकरियें कर लेंगे और बाद में सरकार उनको हटा देगी, तो फिर वे बेचारे बेकार फिरेंगे तो इस तरह उनको दूसरी जगह परमानेन्ट सर्विस मिलने वाली थी उससे भी वंचित हो जायंगे।

इस लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय या इसे डेफर कर दिया जाय और फिर इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय।

Page No 72

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसे डेफर कर दिया जाय, इस पर फिर विचार कर लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इसे डेफर किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां साहब।

(सदन की स्वीकृत से क्लॉज़ २९७ डेफर किया गया)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ २९८.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २६८ के सब क्लॉज़ (२) में मेरा अमेंडमेंट है: "Insert the words 'after having heard the Board' between the words 'Government' and 'may' in the second line." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २६८ के सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि यदि सरकार के समक्ष कोई शिकायत आये किसी अधिकारी के द्वारा या और किसी तरीके से कि म्युनिसिपेलिटी को अमुक काम कराना चाहिये था, वह काम म्युनिसिपेलिटी नहीं कर रही है तो सरकार इन्क्वायरी करने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड को आदेश देगी कि तुम्हें यह काम करना चाहिये। यदि उस आदेश में सरकार समय निश्चित करती है कि अमुक काम को २ महिनों की अवधि में समाप्त करना है और वह दो महिनों में काम नहीं कर सकती है तो सरकार को अधिकार है कि दूसरे अधिकारी को मुकर्रर कर के काम कराये और इस कार्य में जो भी खर्चा हो वह सरकार म्युनिसिपेलिटी से वसूल करे। यदि सिद्धान्ततः मैं इस क्लॉज़ का विरोध करूं तो कोई ज्यादती नहीं होगी। आज हमने कई ऐसी क्लॉज़ेज़ पास की हैं जिनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिये हैं कि इमरजेंसी की हालत में या सार्वजनिक हित की दृष्टि से किसी काम को करवाना या न करवाना उचित समझता है तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट म्युनिसिपल बोर्ड को इस प्रकार का आदेश देगा और जो कुछ उसके आदेश को पालन करने में खर्चा होगा वह खर्चा अगर राजी खुशी से बोर्ड देता है तो राजी खुशी से या जबरदस्ती भी वसूल कर लिया जायगा। उस समय कहा गया था कि कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनसे कलेक्टर को यह इस प्रकार के अधिकार देने आवश्यक हैं। कलेक्टर को अधिकार दिया इससे संतोष नही हुआ, अब सरकार यह अधिकार अपने हाथ में भी ले रही है कि सरकार को भी यह अधिकार होना चाहिये कि मर्जी आवे जैसा काम करा लेगी, पर दो तीन शब्द पहले ऐसे रख लिये गये हैं कि सुझाव या शिकायत होने पर सरकार इन्क्वायरी कराने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि यह काम सरकार को कराना है, या म्युनिसिपिल बोर्ड को कराना है उस समय आज्ञा प्रदान करे। पर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा अधिकार है तो वैसा का वैसा अधिकार सरकार को भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार होने का मतलब वह अधिकार सरकार में निहित है सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ओर्डर दे सकती है कि अमुक नगरपालिका में यह काम कराया जावे।

[श्री भैंरूंसिंह]

इस अधिकार के होते हुए सरकार अलग से दूसरा अधिकार लेना चाहती है, इसका मतलब मैं तो नहीं समझा, यह एक सुपरफ्लुअस क्लॉज़ होगी, इसके अलावा इससे कोई मतलब हल नहीं होगा।

कोई शिकायतें आती हैं, सार्वजनिक हित की दृष्टि से कोई काम करना आवश्यक हो तो कलेक्टर वह कार्य करा सकता है। सरकार ऐसे अधिकार क्यों लेती है ? यदि इसके लिये सरकार आवश्यक समझती है तो इसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने वह काम क्यों नहीं करवाया इसकी दलील कलेक्टर से पूछ सकती है और वह सरकार के समक्ष दलील पेश करने का अधिकारी है। जहां तक सबक्लॉज़ १ का प्रश्न है इन्क्वायरी करेगी सरकार, जिस बोर्ड के खिलाफ शिकायत है वह म्युनिसिपल बोर्ड इस शिकायत के संबन्ध में तलब किया जायगा, जांच की जायगी और फिर अगर सरकार आवश्यक समझती है कि यह काम अमुक अवधि में होना चाहिये तो ऐसा आदेश देना कि निश्चित अवधि में जो सरकार निश्चित करे उसमें वह काम पूरा किया जाय। यदि उस निश्चित अवधि में वह काम नहीं होता है तो सरकार को अधिकार है कि वह अपने द्वारा नियुक्त किये हुए अधिकारी से वह कार्य कराये।

मेरा संशोधन यह है कि निश्चित अवधि में यदि काम पूरा नहीं होता है और दूसरे अधिकारी के द्वारा काम कराने का आदेश दिया जाता है तो इसके पहले सरकार को चाहिये कि वह म्युनिसिपल बोर्ड से यह पूछे कि वह काम क्यों नहीं किया गया। और अगर म्युनिसिपल बोर्ड की वाजिब कठिनायें हों, जिसके कारण वह पूरा नहीं हो सका, तो उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वह फिर उस काम को पूरा कराए और यदि मौका नहीं देती है तो उसको उस अवधि को बढ़ाना चाहिये और कहना चाहिये कि इस बढ़ी हुई अवधि में वह काम को पूरा कराए। मान लीजिये कि कहीं पर कूए खुदवाने का काम है और वर्षा के कारण से कूए खुदवा नहीं सकी। सरकार ने इसके लिये अवधि निश्चित कर दी कि दो महीने की अवधि में कूए खुद जाने चाहिये। मगर वर्षा के कारण कूए नहीं खुद सके। ऐसी सूरत में सरकार क्या करेगी, सरकार ऑफिसर मुकर्रर करेगी और उस अधिकारी के द्वारा वह काम कराया जावेगा और खर्चा होगा वह म्युनिसिपेलिटी से वसूल करेगी। मैं यह कहूँगा कि आप इस प्रकार की आज्ञा दें मगर इस प्रकार की आज्ञा देने से पहले नगरपालिका से यह तो पूछें कि किन कारणों से, किन कठिनाइयों से वह काम पूरा नहीं करा सकी है और यह देखें कि उसका जो जवाब है वह वाजिब है या नहीं और अगर उसका जवाब वाजिब हो तो आपको समय बढ़ाना चाहिये और वह काम नगरपालिका के द्वारा ही करवाया जाना चाहिये। जो काम आप किसी अधिकारी को मुकर्रर करके कराने जा रहे हैं। हमें इस बात का पता उसी वक्त लग सकता है जब हम म्युनिसिपल बोर्ड को अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करने का मौका दें।

इसलिये मेरा जो संशोधन है वह बिल्कुल साफ है और माननीय मंत्री इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा हो। इस संशोधन के अलावा यदि माननीय मंत्री इस बात

Page No 74

[श्री भैंरूसिंह]

पर रजामन्द हो जावें कि इस क्लॉज़ को लोप कर दिया जावे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने कलेक्टर को एमरजेन्सी के समय और साधारण समय में पोवर दिये हैं। यदि नगरपालिका किसी काम को नहीं करा सकती है तो कलेक्टर करा सकता है। ऐसी सूरत में कलेक्टर को पोवर दिये गये हैं वह सरकार को पोवर हैं। इसलिये यह क्लॉज़ सुपफ्लूयूअस क्लॉज़ है और इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अव्वल तो इस क्लॉज़ को लोप ही कर दिया जावे और लोप नहीं करते हैं तो मेरा संशोधन स्वीकार किया जावे। लोप करना तो बहुत ही अच्छा है और अगर इसको लोप नहीं करते है तो मेरा संशोधन स्वीकार अवश्य करेंगे। और म्युनिसिपेल्टीज़ को डिफेन्स प्रस्तुत करने का मौका देंगे। दोनों बातों में से एक बात तो अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष,....

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—Order! Order!!

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं इसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हम आपका समर्थन मान रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप समर्थन मान रहे हैं या संशोधन मान रहे हैं। अगर संशोधन नहीं मान रहे हैं तो मैं इस क्लॉज़ का विरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप सदन की कार्यवाही में देरी करने का काम कर रहे हैं। आपका यह प्रयोजन नहीं होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरा इस प्रकार का प्रयोजन नहीं है। मैं इसके सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष—order, order!!

(घन्टी)

श्री भैंरूसिंह—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोल चुके हैं।

श्री भैंरूसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सदस्य पर यह इलजाम लगाया गया है कि सदन की कार्यवाही में देरी करने के लिये यह किया जा रहा है यह आपत्ति जनक है। it is an insult of the member.

श्री उपाध्यक्ष—Order! or e r

श्री भैरूंसिंह—सदस्य पर इस प्रकार का इल्जाम, उनको बगैर सुने ही,नहीं लगाया जा सकता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिये और अगर दौरान भाषण में यह पाया जावे कि वह खाली समय वेस्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त उनको रोका जा सकता है । उस व्यक्ति को बोलने के राइट्स हैं, उसके लिये तो उनको नहीं रोका जाना चाहिये, बोलने का मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—वह बराबर दिया जा रहा है और दिया गया है । जो बातें पहले कही जा चुकी हैं वह बार बार कही जाती हैं, इससे क्या फायदा ? कोई नया सुझाव देते हों या किसी बात का स्पष्टिकरण करते हों तो अवश्य समय दिया जाए और बराबर दिया जाता रहा है ।

श्री हिम्मतसिंह—बिना सुने ही कैसे कहा जा सकता है कि समय वेस्ट करने के लिये किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो नये सुझाव देते हों तो दो मिनिट बोल लें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ में इस तरह की बात बताई गई है कि सरकार यदि कोई बोर्ड काम नहीं करता है तो दूसरे ऑफिसर को नियुक्त करके उस काम को करा देगी और उस काम में जो खर्चा होगा सरकार उस म्युनिसिपल बोर्ड से वसूल कर लेगा । तो माननीय उपाध्यक्ष, जब कि इतने क्लॉज़ेज़ पास हुए हैं और उन सभी क्लॉज़ों में सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रखे हैं और उन अधिकारों के लिये कई क्लॉज़ हैं जिनको डेफर की गई है और डेफर करने के लिये माननीय मंत्रीजी ने मान ली है और वे क्लॉज़ अभी तक हाउस में पास नहीं हुई हैं जब वे पेश होंगी और पास होंगी उस समय देख लेना चाहिये । क्लाज २९२ में जब कि कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया गया है तो फिर सरकार इससे ज्यादा अधिकार क्यों चाहती है, इसका मतलब समझ में नहीं आता ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ का मतलब यह होगा कि सरकार कलेक्टर पर भी यानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट पर भी विश्वास नहीं करती और अपने हाथ में सारे अधिकार रखना चाहती है । जब क्लॉज़ २९२ में कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया तो क्लाज़ २९८ में अपने ऊपर यह अधिकार क्यों रखना चाहती है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें या तो इसको

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

डेफर कर दिया जावे या इसको हटा दिया जावे या जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है कि म्युनिसिपेलिटी से एक दफा पूछ लिया जावे और फिर उस काम को पूरा करा लिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि सरकार इस संशोधन को किसी तरह से नहीं मानती है तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो क्लॉज़ेज़ डेफर की गई हैं और अभी तक वे आपिस हाउस में पेश नहीं हुई हैं उसमें अगर कोई संशोधन होगा तो इस बारे में भी संशोधन हो सकता है। आप थोड़ी सी धाराओं को आज जब ५ बजे मीटिंग होगी मान लेंगे कि इनमें यह यह संशोधन कर दिए जावे। यदि आप इसको लोप कर देते हैं या डेफर कर देते हैं तो ठीक होगा। मैं यह कहूंगा कि सरकार ने क्लाज़ २९२ में कलेक्टर को पोवर दिये हैं जो एक आई.ए.एस. ओफिसर होता है, उन पोवर को सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है ? इसलिए मैं यह कहूंगा कि श्री भैरूंसिंह के संशोधन को मान लिया जावे और बोर्ड को पूछा जावे कि यह काम क्यों नहीं हुआ। क्यों कि आखिर सरकार उनसे पैसा वसूल करेगी तो सरकार को चाहिये कि उनसे पूछे तो सही कि यह काम निश्चित अवधि में क्यों नहीं हुआ। जब आपने बोर्ड को अधिकार दिया है कि वह काम करे और लाखों रुपया उसके हाथ में लाखों रुपया खर्च करने का पोवर दिया है तो उसको पूछना चाहिये। अगर सरकार अपनी मनचाही करना चाहती है तो सारी जगह राजस्थान में सरकार ही अपनी म्युनिसिपेलिटीज़ बनाए और चलाए और जो यह म्युनिसिपल एक्ट पास हो रहा है उसकी क्या जरूरत है। क्यों कि सरकार हर क्लॉज़ में अपनी कोई न कोई चीज रखना चाहती है। इसलिये यह म्युनिसिपल एक्ट पास ही नहीं होना चाहिये। यदि पब्लिक को अधिकार देना है तो इस एक्ट को पास करके दिये जावे और इस कानून में ऐसी धाराएं रखनी चाहिये जिससे पब्लिक को सुविधा मिले। जब सब काम सरकार ही सरकार करेगी तो पब्लिक की कोई चीज नहीं होगी, सरकार पब्लिक की है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इसको डेफर कर दिया जावे या इसको हटा दिया जावे या जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है उसको मान लिया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं। सरकार की यह जो नीति है, जनता के चुने हुए आदमियों पर किसी प्रकार का अंकुश रखे, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता। मैं यह समझता हूँ कि म्युनिसिपल बोर्ड उतनी ही जिम्मेवार संस्था है, जितनी कि यह विधान सभा जहां हम कानून बनाने वाले व्यक्ति बैठे हैं। मैं यह मानता हूं कि यदि वास्तविकता से देखा जाय तो म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों की क्वालिफिकेशन बहुत हद तक इस सदन के सदस्यों की योग्यता से ऊंची मिलेगी। मैं यह मानकर चलता हूं कि ऐसी सूरत के अन्दर क्लाज़ २९८ जैसी क्लाज़ को इस कानून के अन्दर रखना और दांता रामगढ से आये हुये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको मानना कतई उचित नहीं। उन्होंने जो दो शब्द जोडने का कहा है उससे होना जाना क्या है, आखिर सरकार जो कुछ करना चाहती है वह कर के रहेगी। दो महिने लग जायेंगे बोर्ड के चुनाव करा लेंगे और कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही की इत्तला मिलेगी तो जैसा कि रोज हम देखते हैं अदालतों में

[श्री मानसिंह महार]

क्या होता है उसी प्रकार यहां भी होगा । अगर आफिसर प्रीजुडिस्ड होता है तो वह किसी की सुनवाई नहीं करेगा जो उसको करना होगा करके रहेगा । आप जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति थोड़े ही बैठे रहेंगे सब जगह जिस प्रकार आप बड़े न्याय के साथ हमारी छोटी सी बात भी मान लेते हैं और बहुत ऊंची उठाकर मन्जूर कर लेते हैं वैसे न्यायप्रिय व्यक्ति सभी जगह मान लें, ऐसी हम आशा नहीं कर सकते । वैसी सूरत के अन्दर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह सरासर गलत है । उससे अधिक गलत यह क्लॉज़ २९८ है, जिसमें, यह इस क्लॉज़ के अन्दर, क्या है यह सोचने की बात है, क्या कारण है कि म्युनिसिपल बोर्ड जो कोई हुक्म देता है यह काम तुम कर दो, फलां आदमी कर दे अगर म्युनिसिपल बोर्ड नहीं करता है तो कौन आदमी कम्प्लेन्ट करे, कम्प्लेन्ट की बात कह कर आप मुझे चक्कर में मत डालिये । मानलिया मैं यह चाहता हूँ कि मेरे घर के सामने नाली खुद जानी चाहिये, लेकिन करेगा कौन, आज जयपुर में हमें यहां तक देखने में आया है जहां मिनिस्टरों के बंगले हैं वहां तो सड़कें बन गईं अगर किसी चौकडी में कोई मिनिस्टर रहता है तो वहां पानी का प्रेशर और चौकडियों से चौगुना रहता है यह मुझे तजुर्बा है । उपाध्यक्ष महोदय, आप चल कर देखिये जिस चौकडी के अन्दर हमारे होम मिनिस्टर साहब रहते हैं वहां चौबीसों घण्टे पानी का प्रेशर एक सा रहता है और मीठा पानी दिया जता है । दूसरी चौकडी में जहां हम उनके पडौस में ही रहते हैं हमारे यहां पर पानी नहीं दिया जाता, दिन में आठ घण्टे खारा पानी दिया जाता है जिसे यदि पीया जाय तो उल्टी हो जाती है । मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, अगर इस बात को मन्जूर कर लेते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सडकों का हिसाब भी देख लीजिये, मन्त्रीगण ज्यादा जिस तरफ रहते हैं वहां पक्की सडकें बनी हुई हैं। आज यह हालत है कि हमारे सामने से गटरलाइन जा रही है फ्लश की तारत के गटर हैं वे जाकर मान्दरी का नासिक में वह गटर मुड गया है उसके पास ही गंगापोल ही की चौकडी है उसको उस गटर लाइन से महरूम रखा जा रहा है, यह मैं आपके सामने जयपुर की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी सूरत के अन्दर अगर हम सरकार को इस प्रकार के अख्त्यारात देते हैं तो यह निश्चित मानिये कि उसका दुरुपयोग होगा यह मैं दावे के साथ कहता हूँ । यहां हम को दुख के साथ कहना पडता है कि यदि न्याय संगत बातें होती तो हम भी स्वागत करते । सरकार को ऐसे अख्त्यारात देने से म्युनिसिपेलिटी पर एक प्रकार का अंकुश रहेगा । देखने की बात यह है कि इस अंकुश की आवश्यकता किसको रहेगी । और जिसको हम इस प्रकार के अधिकार दे रहे हैं वह इस योग्य है कि नहीं, यह देखना है, । अगर कोई पिठ आदमी है उसको इस प्रकार अंकुश देने का अधिकार दिया जाय तो ठीक है , लेकिन हम जिसको अधिकार दे रहे हैं वहां सिवाय पक्षपात, गुट्टबाजी के और दूसरी बात ही नहीं है, इसको मैं कतई वाजिब नहीं समझता । क्लॉज़ २९८ को रखना मेरी समझ में जनतंत्र पर कलंक है । शहर से योग्य व्यक्ति चुन चुन कर म्युनिसिसिपल बोर्ड में आते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने काम किया है और मैं समझता हूँ इस सदन में करीब दस बीस सदस्य ऐसे होंगे जो म्युनसिपेलिटी में मेम्बर की हैसियत से और ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुके हैं । आज वे ही सदस्य इस प्रकार की बात में सहयोग दे रहे हैं कि म्युनिसिपेलिटी को हक न देकर कदम कदम

[श्री मानसिंह महार]

पर उस पर अंकुश रखा गया है इस प्रकार कदम कदम पर अंकुश रखने से म्युनिसिपल बोर्ड सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती। जब मैं इस धारा का विरोध कर रहा था तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसी बात नहीं ओन कम्पलेन्ट करेगा आखिर कौन कम्पलेन्ट किसके द्वारा पेश की जायगी, उनके द्वारा पेश की जायगी जिनको काम कराना होगा और जिनको उम्मीद होगी कि हम करा सकते हैं। आप देखलीजिये बेनी पार्क के सडकों की हालत, बेनी पार्क की बिजली की हालत इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जासकता, दूसरी तरफ आप देखिये जहां एक्स मिनिस्टर्स की कोलोनी बनी हुई है वहां एक से एक आलीशान सुविधायें प्राप्त हैं। बेनी पार्क में तो मिडिल क्लास के व्यक्ति और ऐसे अफसरान रहते हैं जिन बेचारों की तरफ कोई झांकता ही नहीं।

एक माननीय सदस्य—वजह क्या है ?

श्री मानसिंह महार—वजह यही है कि 'सी' स्कीम में तो एक्स मिनिस्टिर्स रहते हैं यही वजह है और क्या वजह हो सकती है। और बेनीपार्क में हम जैसे लोग रहते हैं उनकी कौन कदर करे। उपाध्यक्ष महोदय, आज ही की बात है मेरे घर के नल में दो घंटे तक पानी नही आया और इसी कारण मैं आज दो घंटे लेट आया, आज हालत यह है कि जनता की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। अगर हम सरकार को अधिकार दें, कौनसे अधिकार दें,उसके लिये मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, वह मैं हमारे मंत्रीजी से ताल्लुक रखनेवाली मिसाल दूं। हमारे मंत्रीजी की हालत यह है कि उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं वे उनका कहना तक नहीं मानते। कल ही मैंने उनको किसी मरीज के बारे में निवेदन किया जो बेचारा तीन दिन से अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया जब उसको दाखिल किया गया और जब मैंने यह बात मंत्री महोदय से कही उसके बाद तो उसकी हालत यह होगई कि उस बेचारे को दवाई देना तक बन्द कर दिया और उसको यह कहा गया कि तुम्हारा मंत्री महोदय के पास एप्रोच करने का नतीजा है। जिनके अधिकारी ऐसे होते हैं, जिस सरकार की हालत यह है उसको इस प्रकार के अधिकार दे देना मैं समझता हूँ यह बडा अन्याय है। ऐसे अख्त्यारात कतई नहीं देने चाहिये, इस प्रकार के अधिकार देना बहुत ही जनता के साथ अन्याय होगा। किसी को कम्पलेन्ट करना होगा तो वह म्युनिसिपेलटी को कर सकता है जहां काफी योग्य और न्यायशील व्यक्ति बैठे हुए हैं। मिनिस्टरों को भी यदि काम कराना होगा तो भी वह म्युनिसिपेलिटी को अर्ज करें यह नहीं हो सकता कि बैठे बैठे फोन से कह दिया कि यह काम होना चाहिये और वह काम होगया। उचित तो यह होगा ये अधिकार म्युनिसिपेलिटी के पास ही रहें। ये अधिकार कमिश्नर हो या चाहे कोई सरकारी अफसर हो वहां जनता के चुने हुए आदमियों पर हकूमत करे यह आज के युग में नहीं हो सकता। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार के क्लॉज़ को रखना जनता के साथ और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों पर एक प्रकार से लान्छन होगा। माननीय मंत्रीजी खुद एक म्युनिसिपलिटी के चेयरमेन रह चुके हैं उनसे मुझे यह आशा नहीं थी कि वे भी जनता के हकूकों को इस प्रकार कुचलने की कोशिश करेंगे, मैंने जो नजीरें दी हैं उनके आधार पर कह सकता हूँ और

[श्री मानसिंह महार]

आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस क्लॉज़ २९८ को डिलीट करने के प्रस्ताव को मन्जूर कर लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो अंकुश रहेगा सरकार का तो ऐसा अत्याचार आप न करें। इस प्रकार कोई अंकुश होगा तो आशा यह रख सकते हैं कि जो कम्पलेन्ट किसी सरकारी अधिकारी द्वारा या मिनिस्टर की तरफ से या पब्लिक वर्कस की तरफ से नहीं होगी आम जनता की तरफ से ऐसी बात हो तो हो सकती है। एक व्यक्ति की कम्पलेन्ट पर म्युनिसिपल बोर्ड को हक नहीं दें यह न्यायोचित नहीं। दोसौ या चार सौ आदमियों की बात को माना जा सकता है केवल एक आदमी के कहने से ऐसा करना कहां का न्याय है, कहां का जनतंत्र है? कहां का जनतन्त्र है यह मन्त्रीजी जरा बतावे कि दो सौ आदमी कम्प्लेन्ट करेंगे तो मान भी सकते हैं। पर एक आदमी जाकर कह दे और उसी पर म्यु० बोर्ड के हकों पर कुठाराघात कर दे तो यह कहां का न्याय है? इसलिए मन्त्रीजी से मैं आशा करूंगा कि यह बात छोटी जरूर है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है इसलिए इसको डेफ़र कर दें।

(श्री शम्भुसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—अभी कहने को कुछ रह गया है?

श्री जवानसिंह—संयुक्त दल की तरफ से तो अपना पोइन्ट ऑफ व्यू आप ही रखते हैं।

श्री शम्भुसिंह—वैसे तो यह क्लॉज़ इन्नोसेन्ट सी लगती है पर इसमें जो कुछ कम्पलेन्ट का जिक्र आया है वह कम्पलेन्ट बोर्ड के पास न करके गवर्नमेंट के पास करे और फिर सरकार उस पर एक्शन ले इसी पर सदन में इतनी गरमागरम बहस हुई है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायत पहले बोर्ड में आनी चाहिये। यदि वहां से कोई रिलीफ नहीं मिले तो फिर उसको प्रोपर चेनल बाई वे ऑफ अपील या दूसरा जो चेनल है उसके अनुसार सरकार के पास पहुँचना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि बोर्ड को एप्रोच किया ही नहीं और गवर्नमेंट को एप्रोच हो गये, हालांकि इसमें यह है कि "if satisfied after due emqrny that the Board has been guilty of the alleged default." फिर भी सरकार के पास पास पहुँचने के लिए खुली छूट दी गई है यह अनुचित प्रतीत होता है।

पर श्री भैरोंसिहजी ने पार्ट (२) में "government" और "May" के बीच में "After having hear the board' रखा है। यह भी इन्नोसेन्ट अमेन्डमेंट है।...

जब सरकार "after due enquiry करने के वास्ते तैयार है तो बोर्ड को हियर करने में भी उसे ओब्जेक्शन नहीं होना चाहिये। इस संशोधन को अगर स्वीकार कर लिया जाता

[रावत श्री शम्भुसिंह]

है तो इसमें कोई हानि नहीं है। यह संशोधन सरकार की एन्क्वायरी में ही सहायता पहुँचाने वाला है। और वैसे इस क्लॉज़ से कोई इतनी बड़ी हानि होने वाली हो यह भी प्रकट नहीं होता। यह गवर्नमेंट का काम है कि अगर बोर्ड ठीक काम नहीं करे या करना बन्द कर दे तो सरकार करे या सरकार की ओर से कलेक्टर करे। पर शिकायत कोई हो तो वह थ्रू प्रोपर चेनल होनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने पहले निवेदन किया कि यह इमर्जेन्सी चेप्टर है। बोर्ड डिफाल्ट करता है तो वहां का काम होना तो जरूरी है. इसलिए ये पॉवर्स रक्खे हैं। बोर्ड को हियर करने की बात रक्खी है तो बोर्ड को कैसे हियर किया जायगा, बोर्ड के चेयरमेन को या कि किसी सदस्य को हियर करने की बात तो समझ में आ सकती है पर बोर्ड को कैसे सुने। उससे एक्सप्लेनेशन तो काल कर सकते हैं पर बोर्ड को हियर करना न्याय-संगत नहीं है।

और दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि इस क्लॉज़ में यह प्रोविज़ो रखा गया है कि एन्क्वायरी सरकार करेगी और इसके बाद साबित होगा कि डिफरेन्स या डिफाल्ट क्या है, तो फिर पास करेगी सरकार कोई आर्डर, इसमें बोर्ड का पोइन्ट ऑफ व्यू जानना भी शामिल है। एन्क्वायरी एक तरफा तो नहीं होती है।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने पानी के बारे में कहा तो इसका सम्बन्ध पी. डब्ल्यू. डी. से है। दूसरी बात रोड के बारे में कही। तो अब आप यह भी कह दीजिये कि मिनिस्टरों के मकान के सामने रोड बने ही नहीं। तो यह तो कोई उचित बात नहीं हुई।

अस्पताल के बारे में बात बताई। रिटर्न रिपोर्ट वहां से मेरे पास कल ही आई है कि वह खुद पेशन्ट को देख रही हैं, कोई शिकायत की बात नहीं है। उनकी राय से दवा रोक दी गई है। इसका असर देखकर दुबारा दवा देने की बात कही गई है।

श्री मानसिंह महार—धमकियां दी हैं और न जाने क्या क्या कहा है ! इस की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपके कहने से टेलीफोन किया और उसे भरती कराया गया। सब ठीक देखभाल हो रही है। रिटर्न रिपोर्ट भी मेरे पास आई हैं। I will pursue till the patient recovers.

श्री मानसिंह महार—इसके लिए तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरी बात मैं यह कहूं कि इस धारा का आज तक कोई मिस यूज़ नहीं हुआ और यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि आज तक इसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी । इसलिए निवेदन करूंगा कि इस धारा २९८ को स्वीकार किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने जो बात बताई वे बातें एन्क्वायरी से सम्बन्धित हैं । यदि २९८ की उपधारा (१) और उपधारा (२) और उप धारा (३) इन तीनों को आप पढ़ें तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन्स हैं, पहला सब क्लॉज़ का फंक्शन है कि कोई शिकायत करे तो सरकार उसकी जांच करवा कर आदेश दे म्यू० बोर्ड को कि अमुक काम दो महीने की अवधि में कराया जावे ।

दूसरी का काम है कि यदि इस निश्चित अवधि में वह काम पूरा नहीं हो सका तो सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त करे और उसके द्वारा यह काम कराया जावे । अब इसमें कोई जांच का सवाल नहीं है । एन्क्वायरी शब्द का सम्बन्ध है और वह केवल उपधारा (१) से है । मेरा संशोधन है उपधारा (२) के लिए । और इसलिए कि जहां हमने पहली उपधारा में एन्क्वायरी को आवश्यक समझा है वहां दूसरी में इस बात की जानकारी भी करें कि उस नियत अवधि में वह काम क्यों नहीं करवाया कि जिसके कारण विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाकर उससे वह काम कराया जाना आवश्यक महसूस हुआ । म्यू० बोर्ड के सामने अगर इसके लिए जिनुआइन ग्रीवेन्सेज़ हैं तो इनके होते हुए अगर काम नियत अवधि में पूरा नहीं हो सका तो इसके लिए किसी की नियुक्ति करना यह अच्छा नहीं । अगर जांच आवश्यक समझती है सरकार जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया कि एन्क्वायरी होगी यदि उसका मतलब यह है कि माननीय मन्त्रीजी चाहते हैं कि एन्क्वायरी की जावे पर क्योंकि सब क्लॉज़ (२) में कोई प्रोविज़न इसका नहीं है इसलिए मैंने संशोधन रखा था कि म्यू० को सुनने के बाद आप आज्ञा दें कि जान-बूझकर इस प्रकार की काम में कोताई करवाने में की है इसलिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जावे ।

मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि उनकी मंशा के अनुसार भी एन्क्वायरी आवश्यक है तो मेरा संशोधन स्वीकार करने पर ही यह हो सकेगा । सब क्लॉज़ (२) में स्पष्ट है :

"If that duty is not performed within the period fixed the State Government may appoint some person to perform it, and may direct that the expense of performing it with a reasonable remuneration to the person appointed to perform it, shall be forthwith paid by the board."

इसमें कहीं संकेत नहीं है । एक दफा आपने यह कहा कि निश्चित अवधि में काम नहीं हुआ तो सरकार अलग अधिकारी नियुक्त कर के काम करवाने का आदेश दे दे । एक दफा में ही हमको यह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार डिफेन्स का मौका न दे । वैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी । मैं एक दफा फिर निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन

[श्री भैरोंसिंह]

स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि म्युनिसिपल बोर्ड को अपने ग्रीवान्सेज़ सरकार के सामने पुट अप करने का अवसर देंगे। इसलिए मैं दुबारा निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें तो अच्छा हो, नहीं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष अपने संशोधन को प्रस्तुत कर इस संशोधन को स्वीकार कराने में मतयोग देने की प्रार्थना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड ने डिफॉल्ट किया और एन्क्वायरी हुई तो उसकी सुनवाई में पहले एक दफा टाइम देंगे। उनको अवसर देंगे उस अवसर में बोर्ड कहेगा कि इस वजह से नहीं कर सके। एन्क्वायरी के बाद में दुबारा बोर्ड को टाइम दिया जाय, यह ठीक नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—अगर जिनुआइन ग्रीवान्सेज़ हों तो अवश्य मौका दिया जाय और अगर जान-बूझकर कोई ऐसा कारण बताते हैं कि जिस कारण से म्युनिसिपल बोर्ड नहीं कर सकी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट की एन्क्वायरी हो जायगी कि डिफॉल्ट हुआ या नहीं। डिफॉल्ट हुआ तो आगे बढ़ें वर्ना आगे बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है।

यह कहा गया कि बोर्ड को हियर किया जाय तो there is no such provision in any law, चेयरमेन को हियर करते हैं, बोर्ड को हियर करने का कहीं प्रोविजन नहीं होता है। एन्क्वायरी हो जायगी और बोर्ड को मौका देंगे कि अगर वह उस टाइम में नहीं कर सकता है तो और टाइम मांग ले। गवर्नमेंट उसको सुनेगी।

श्री भैरूंसिंह—टाइम एक्सटेन्ड कैसे करेंगे? कहीं कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—और टाइम बढ़ा दें तो हो सकता है। बोर्ड को कहना चाहिए इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१८ पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९८ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ २९९

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं आपके एमेंडमेंट को मानता हूं ।

श्री भैरूंसिंह—मानेंगे आप तो मैं निवेदन कर देता हूं थोड़ा सा । मेरा संशोधन ..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं मान लूंगा आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह—मान लें तो ठीक है । इसमें मूव तो कर दूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९९ में मेरा संशोधन इस तरह से है :

"Add the following further proviso, namely;

'Provided further that no such officer shall be entitled to impose any new tax and to make bye-laws.' "

श्री उपाध्यक्ष—(स्वा० शा० मन्त्री से) स्वीकार है आपको ?

(स्वीकृति प्राप्त होने पर)

प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लॉज़ २९९ में श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९९, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९९, संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३००

श्री भैंरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३०० पर मेरा संशोधन है कि क्लॉज़ ३०० को लोप किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ ३०० में सरकार को यह अधिकार दिया आ रहा है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड कोई गलती करता है और उस गलती के कारण कोई खर्चा होता है सरकार की ओर से तो उस खर्चे को वसूल करने के लिए यदि म्युनिसिपल बोर्ड वह खर्चा देने को तैयार नहीं है तो सरकार उसे आदेश दे, म्युनिसिपल बोर्ड का जिसके पास खजाना है उसको कि पहले वह सरकार की जो रकम बाकी है उस रकम का भुगतान करे। "If a municipal board makes default in the payment of any amount due to the State Government, it may make any order directing the person having the custody of the municipal fund to pay it in priority to any other charge against such fund and such persons shall, so far as the funds to the credit of the board admit, be bound to comply with such order"

माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज़ दो बातों से बेकार है। पहले हमने एक क्लॉज़ पास किया है कि जिस क्लॉज़ के द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड को यहां अपने खर्चे में से किन २ बातों का पहले भुगतान करना पड़ेगा उसका उल्लेख किया है। उस धारा में जो हमने प्राथमिकता जिस शब्द को दी है वह प्राथमिकता है म्युनिसिपल बोर्ड की जो बकाया है उस बकाया की भुगतान करने की, उसके बाद में सर्विसेज़ की सेलेरीज़ को भुगतान करने की। इस तरह से इसका जो मतलब है कि उनकी भुगतान करने के लिए प्राथमिकता देने का विशेष प्रबन्ध करने के लिए एक धारा इस बिल के अन्दर पास की है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि म्युनिसिपल बोर्ड जो कोई भी उसके फन्ड्स में से बकाया भुगतान सबसे पहले करेगा। फिर बाद में ऐसी कौन सी आवश्यकता आई कि इस धारा को और रखें। यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड गलती करता है तो जिस व्यक्ति के पास म्युनिसिपल बोर्ड का खजाना होगा उसको हुक्म दिया जाकर वह रकम सरकार उस तरह से छीन लेगी।

Page No 85

[श्री भैंरूसिंह]

अब यह प्रश्न आता है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर भी सरकार की बकाया है तो वह बकाया किस ढंग से वसूल करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने कई प्रकार की बातें आती हैं। कई दफा काश्तकारों पर हम इन कारण से लगान को सस्पेन्ड करते हैं कि अकाल पड़ गया, वर्षा ज्यादा हो गई, फसल अच्छी नहीं हुई, पैदावार में कमी हुई है और इन कारणों को लेकर हम लगान में छूट भी नहीं देते हैं लेकिन लगान को कुछ अरसे के लिए सस्पेन्ड कर देते हैं, और उस सस्पेन्शन पीरियड में और भी लगान ही नहीं बल्कि तकावी के रूप में यदि कोई हमने मदद दी है या और किसी प्रकार की रकम दी है कांश्तकार को अपनी समुचित व्यवस्था करने में सहयोग दिया है तो उस रकम को भी वसूल करने के लिए हम सस्पेन्शन के आर्डर्स इशू करते हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई सहायता दी जाय म्युनिसिपल बोर्ड को ऐसी व्यवस्था रखने वाली कोई धारा हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हम यदि यह मानकर चलें कि सरकार का कौन सा बकाया होगा, सरकार कौन सा रुपया म्युनिसिपल बोर्ड से मांगने वाले होंगे, सरकार की कौन सी रकम म्युनिसिपल बोर्ड पर ड्यू होगी, इसके बारे में हमारे सामने स्पष्ट नहीं आया। आवश्यकता है इस बात की तो हमने पहले की धारा के अन्दर विचार रख कर प्रस्तुत की थी कि सरकार कोई काम करवाना चाहती है और म्युनिसिपल बोर्ड नहीं करे तो डिफाल्ट में वह रकम सारी म्युनिसिपल बोर्ड से वसूल करें। लेकिन उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर दी है कि सरकार के हुक्म की कोई तामील में काम नहीं हो और सरकार वह तामील अपने खर्चे से कराये तो म्युनिसिपल बोर्ड से खर्चा वसूल किया जाय, तो उस खर्चे को वसूल करने के लिए अलग धारा रख कर यह व्यवस्था कर दें कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड खर्चा नहीं दे तो जिस आदमी के पास उसकी रकम है उसको आदेश देकर रकम ले ली जाय। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार की कौन सी बकाया होगी? अब किस विशेष सहायता के रूप में किसी म्युनिसिपेलिटी को कुछ रकम देगी तो उस विशेष सहायता की वसूली के लिए विशेष प्रकार का प्रबन्ध करना पड़ेगा। म्युनिसिपेलिटी को अगर आयन्दा धनराशि की आवश्यकता नहीं है, म्युनिसिपल बोर्ड के बजट में सरप्लस है, म्युनिसिपल बोर्ड कोई गलत काम पर पैसा खर्च करता है कि जिस पैसे को बचाया जाकर सरकार की जो रकम है उस रकम में जमा कराया जा सकता है, यदि इस प्रकार की सूरत हो तो वह म्युनिसिपल बोर्ड जिसके पास कि धनराशि है और जिसके पास सरकार का बकाया है तो उस बकाया की भुगतान के लिए म्युनिसिपल बोर्ड की धनराशि जमा कराये। लेकिन यदि आम तौर पर जिस तरह का यह क्लॉज है उसको लागू किया गया तो उसका मतलब एक होगा और वह मतलब यह होगा कि म्युनिसिपेलिटी को सहायता सब को दी जाती है। किस किस काम के लिए दी जाती है, पानी के लिए सहायता दी जाती है सडकों के लिए सहायता दी जाती है, चिकित्सा के लिए सहायता दी जाती है और किसी न किसी रूप में म्युनिसिपेलिटी को सहायता दी जाती है और अगर इसको इस प्रकार रखें तो उसका मतलब यह होगा कि सरकारी पक्ष के जितने म्युनिसिपल बोर्ड हैं उनके साथ तो रियायतें होंगी। एक नगर में एक नगरपालिका काम कर रही है वह यह टालमटूल कर सकती है कि बकाया का भुगतान इस समय नहीं होगा और वह बात

[श्री भैरूं सिंह]

उसकी मंजूर होगी क्यों कि उस नगरपालिका और सरकार का एक ही राजनैतिक दृष्टिकोण है, उसकी सरकार के दृष्टिकोण में एक विशेषता है और अगर वह भुगतान नहीं करती है तो उसको तोड़ने की न तो सरकार की स्थिति है और न नगरपालिका की। लेकिन जहां दूसरी स्थिति है, दूसरी नगरपालिका है, दूसरी पार्टी की है उसके प्रति सरकार का वैसा दृष्टिकोण नहीं है, उसको सरकार अलग दृष्टिकोण से देखती है, यदि कार्य पूरा न हो, जनता की सेवा नहीं हो सके, जनता विरोधी हो जाय तो हमारी सरकार हुक्म देगी कि जितनी बकाया है उसका भुगतान पहले करो, आयन्दा कुछ करना है, नये टेक्स लगाना है, हड़ताल करवा, अर्थियां निकलवा, मुंह काला करवा, और दूसरी तरफ लोगों को खुली छूट हो, जिस प्रकार सरकार चाहे आज्ञा देगी। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वे स्वयम् अनुभव करते हैं, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा लेकिन सरकार बदलती रहती है, मंत्रीगण बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति इस पद पर रहे कि इन धाराओं का खुला दुरुपयोग हुआ, विरोधी दल को कुचलने की कोशिश की, विरोधी दल को जमींदोज़ करने की कोशिश की। आप कह सकते हैं कि विरोधी दल की संस्था के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन पहले का रेकार्ड उठा कर देखें अन्याय ही नहीं हुआ, लेकिन जमींदोज़ करने की चेष्टा की। पंचायत एक्ट बनाया, पंचायतों का निर्माण किया चुनाव कराये, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव नहीं कराया और एक विशेष प्रकार से व्यवस्था कर रहे है। इन सब चीजो से सबक लें और इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि किसी विशेष गुट को प्रोत्साहित करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी विशेष गुट को परेशान करने की चेष्टा करें तो कर सकते है। इस धारा में सीधे पावर्स सरकार को दिये हैं...."power of government to direct person in custody of municipal fund to pay Government dues:-If a municipal board makes default in the payment of any amount due to the State Government, it may make an order......" सरकार यह ऑर्डर दे सकती है : "......directing the person having the custody of the municipal fund to pay it in priority to any other charge against such fund and such person shall os far as the funds to the credit of the board admit, be bound tocomply with such order."

सरकार का केवल आदेश होगा। म्युनिसिपल बोर्ड की दिक्कतें जो कुछ हों, म्युनिसिपल बोर्ड के जो कुछ फन्ड्स हैं, रेकरिंग एक्सपेन्डीचर पर्याप्त है या नहीं, लेकिन सरकार चाहे किसी म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर जिस तरह से कुर्की भेजी जाती है उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के खजाने पर कुर्की भेज कर अपना संतोष करेगी। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इससे खास तौर पर डर है, आज डेमोक्रेसी इतनी स्वस्थ नहीं है कि विरोधी दल की रेस्पेक्ट करे, हमारी यही चेष्टा होगी कि विरोधी दल को जितना कुचला जा सके कुचला जाय। जितनी धारायें रखी है उनके द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के हर काम में हस्तक्षेप किया है, हर प्रकार से अधिकार लिये हैं। सारा एक्ट बनाया है, हर जगह सरकार ने म्युनिसिपेलिटी के अधिकार पर हस्तक्षेप किया है, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका सरकार के हुक्म की तामील करे, एक प्रकार से सरकार की एजेन्सी है जो सरकार के हुक्म को डिटो करे। कोई नई बात करे और इस एक्ट द्वारा ऐसी एजेन्सियों का निर्माण न करे। ऐसे म्युनि--

[श्री भैरूंसिंह]

सिपल बोर्ड भी हैं जो सरकार के इस प्रकार के हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, सरकार की निगाह में इस के विपरीत काम कर रहे हैं, उनका काम जनता को दृष्टि से जायज है, जनता उनके कार्यों से खुश है, वे सरकार की तामील नहीं कर रहे हैं, सरकार हरवक्त उन पर अधिकार जमायेगी, उनको जो अधिकार हैं उनको वह आजमायेगी, उनको सुपरसीड करेगी, मेम्बर्स को हटाने का अधिकार है, उनको हटायेगी, या किसी तरह से उनको वह म्युनिसिपल बोर्ड अधिकार में नहीं हैं तो यदि उस म्युनिसिपल को सरकार ने मदद दी हैं तो जल्दी से उनकी बकाया की भुगतान करें नहीं हमें अधिकार है कि हम वारन्ट लाकर, कुर्की करके तुम्हारे खजाने पर कब्जा कर सकते है, इसत रह से वह कब्जा करेगी और उनके फन्ड्स को वह अपने खजाने में शामिल कर लेगी। उस म्युनिसिपेलिटी की उस वक्त क्या हालत होगी ? निर्वाचित हुई म्युनिसिपेलिटी की क्या हालत होगी जो जनता की सेवा कर रही है, जनता का कार्य अच्छी तरह से कर रही है, जनता की सेवा करने का उसूल रखा हुआ है।

यह जो आम तौर पर अधिकार लेने की जो धारा रखी है वह धारा अनडेमोक्रेटिक है, जनता के अधिकारों का हनन करने वाली है, विरोधी पार्टियों की जो संस्थाये हैं उनके प्रति इसको बुरे ढंग से काम में लाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस धारा को बिलकुल लोप कर दिया जाय। इस प्रकार के जो अधिकार हैं कि सरकार चाहेगी तो रकम वसूल की यह उचित नहीं है, पहले की जो धारायें पास की है उनके द्वारा यह रकम वसूल की जा सकती है। मंत्रीजी बतावेंगे कि सरकार की रकम कैसे वसूल नहीं होगी। बजट हमारे सामने आयेगा, सरकार उसमें मोडिफिकेशन कर सकती है, अगर कोई रद्दोबदल करना उसमें जरूरी है तो सरकार उसमें रद्दोबदल कर सकती है। सरकार की रकम भुगतान करने के सम्बन्ध में वहां संशोधन हम कर देंगे कि इस प्रकार से भुगतान कर दे। उस वक्त म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर्स को पता होगा कि सरकार के आदेश से इतना उनको भुगतान करना है। इतनी तो हमारे पास बचत है और इतनी हमारी आमदनी हुई है, इतना खर्च करना है। इस तरह से बारह महीने का नक्शा उनके सामने आ जायगा। सरकार को रकम देने के बाद नक्शा बना लिया, लेकिन जहां सरकार को रकम न देने की बात हो, सोचा जाय कि इस वर्ष में इतना खर्च करना आवश्यक है और इतनी आमद होगी, लेकिन अगर सरकार आदेश देती है कि रकम दो नहीं तो कुर्की होगी, वारन्ट जारी होगा, सरकार को बीच में ही रकम देनी पड़ेगी उनका सारा बजट अपसेट हो जायगा और जो कार्य करने हैं वे सारे के सारे अपसेट हो जावेंगे। उसका नतीजा क्या होगा ? उसका नतीजा होगा भयंकर प्रकार का असंतोष, उसका नतीजा होगा भयंकर प्रकार की म्युनिसिपेलिटी को असुविधा। इस प्रकार के असंतोष को, असुविधा को दूर करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं, है इसलिए इस धारा को डिलीट कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के अन्दर जो एतराज की खास बात नजर आती है वह तो यह है कि: "The Government may meake an order directing the person having the custody of municipai fund to pay it in priority to any other charge..."

[श्री गोपीलाल यादव]

मुझे निवेदन यह करना है कि अगर वह पर्सन जिसके पास कि फन्ड्स हैं, अगर कोई डिफॉल्ट करें तो क्या होगा ? इस क्लॉज़ में यह चीज़ नहीं है। क्लॉज़ में यह है कि बोर्ड न दे, डिफॉल्ट करे, लेकिन जिस पर्सन के चार्ज में मनी है अगर वह परसन न दे तो क्या करें गवर्नमेंट ? Government may make order directing the person...' जो काम उस पर्सन के न देने पर कर सकते हैं उसे सदन चेयरमेन के साथ क्यों न करें ? पर्सन को मिलने को क्या जरूरत है। इसमें पर्सन नहीं रखते हैं तो यह धारा इस प्रकार से हो जायगी :

"If a municipal board makes default in the payment of any amount due to the State Government, it may make an order directing the Board....... वहां having the custody को छोड़ दीजिये to pay it in priority to any other charge against such fund and such board shall so for as the funds to the credit of the boord admit, be bound to comply with such order." तो मुझे निवेदन यह करना है कि बोर्ड्स के फन्ड्स हैं, कि बैंक्स में रुपये हैं, या तो बैंक को ऑर्डर भेजे, अफसर को ऑर्डर करें कि तुम मेम्बरों के पास भेजो, यह ऑर्डर ही गलत है। वह आदमी कैसे दे सकता है, इसमें यह प्रोविजन कर दीजिये कि बोर्ड से सीधा ले लीजिये। इसमें यह हो जायगा कि "as fund to the credit to the board admit,"

"Excepting the amount required for the salaries of the services and otheworks undertaken by the Board." इसमें यदि आप इस क्लॉज़ को ऐसा कर देते हैं कि सरविसेज़ के लिये रुपयों की जरूरत है, जो काम चल रहा है उसका पेमेन्ट करना है इसके अलावा बोर्ड के पास रुपिया है तो पहले गवर्नमेंट को दिया जायगा। यदि सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नमेन्ट का कर्जा चुकाने के लिये रख देते हैं तो नतीजा यह होगा कि कर्मचारियों को तनख्वा नहीं मिलेगी। गवर्नमेन्ट के ड्यूज़ को यदि बोर्ड पे नहीं करे तो उस पर इन्ट्रेस्ट पे कर सकता है। आप यह कर सकते हैं "Government will charge interest on such and such rate." यदि इसके अलावा भी पे नहीं करे तो इन्कोम्पोटेन्सी of the board में लें और the Board may be superseded नहीं देंगे तो He will be arrested and the funds will be seizedby. theGoverment, जब तक ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ मायने नहीं रखता। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो सीधा करिये। Why other person.

श्री शंभुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के अंतरगत गवर्नमेन्ट को यह पोवर है कि यदि गवर्नमेन्ट ड्यूज़ जिसको पे करने का जिम्मा बोर्ड पर है वह अभी तक तय नहीं हो पाई है तो वह उस व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वह अपनी बकाया में से सबसे पहले गवर्नमेंट के ड्यूज़ देदे। यह अनावश्यक क्लॉज़ प्रतीत होता है, क्योंकि पहले पेमेंट का जो क्लॉज़ इसमें रखा है उसमें भी गवर्नमेंट ड्यूज़ को पे करने के वास्ते प्रायोरिटी रखी है। नेक्स्ट पेमेन्ट ऑफ सेलेरी। और उसके बाद बोर्ड का जो बजट बनाता है उसमें आमद और खर्च जो साल भर में होनेवाला है वह गवर्नमेंट

[श्री भैरोंसिंह]

के सामने पेश होता है और उस वक्त गवर्नमेंट के सामने सारी चीजें पेश होती हैं कि बोर्ड को इतनी आमद होगी और उसको इतने रुपये खर्च करने हैं और इतने रुपये लोन के देने बाकी हैं। बजट पास करते समय मुनासिब इन्स्ट्रक्शन्स गवर्नमेंट दे सकती है, क्यों कि जो बजट पास होगा उसके मुताबिक ही पेमेन्ट करना पडेगा। मान लीजिये कि गवर्नमेंट ने बजट पास किया, गवर्नमेंट ने पेमेन्ट के लिये अधिक प्रोविजन नहीं रखा और गवर्नमेंट फिर कहती है कि इतना पेमेन्ट कर दो तो बोर्ड कहाँ से पेमेन्ट करेगा, गवर्नमेंट जबर्दस्ती उस व्यक्ति से जिसके पास बोर्ड के रुपये हैं वसूल करलेगी तो नतीजा यह होगा कि बोर्ड जो काम कंपलसरिली चलाना चाहता है वह नहीं चलेगा और कन्ट्रोल के अध्याय में जैसा दिया है उसके अनुसार डिफाल्ट करार दे दिया जायगा। इस वास्ते मैं मुनासिब समझता हूं कि यह जो क्लॉज़ है उसमें संशोधन करना आवश्यक है और यह क्लॉज़ जैसी है उस रूप में स्वीकार नहीं होनी चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २९६ में जिस तरह का क्लॉज़ आया है उस क्लॉज़ को बिल्कुल हटा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने पहले भी आपके सम्मुख निवेदन किया था कि सरकार हर तरह से हर क्लॉज़ में हस्तक्षेप करना चाहती है और इस क्लॉज़ में जो इस तरह से हस्तक्षेप करदिया कि जिसके कारण म्युनिसिपेलिटीज़ बिल्कुल चल ही नहीं सकती। जब म्युनिसिपेलिटीज़ को इतना अधिकार दिया है कि वह टैक्स लगावे और उसको यह भी अधिकार दिया है कि म्युनिसिपेलिटी किसी कारण से कोई भी काम कर सकती है और किसी तरह का टैक्स लगा सकती है तो माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार को यह अधिकार कैसे दे दिया है कि म्युनिसिपेलिटी का रुपया किसी में बकाया है तो सरकार अपने रुपयों के पेटे में डाईरेक्ट उस आदमी से रुपया वसूल कर सकेगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने पहले भी इस बात के लिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि जब आप इस तरह के अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो फिर इस एक्ट को पास करने की क्या आवश्यकता है? सरकार ही राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ को चलावे। सरकार ही कर्जा देगी और म्युनिसिपेलिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह भी सरकार का होगा और सरकार ही बजट को बनायेगी और सरकार के हाथ से ही वह पास होगा और सरकार के ऑफिसर ही सारे को मेनटेन करेंगे। जब जनता को अधिकार दिया है तो सरकार को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि सरकार बीच में ही पैसे वसूल कर लेगी तो स्वीपर्स की तनख्वा रह जायगी। सरकार चाहेगी तो सरकार के रुपये पहले वसूल होंगे। जैसा कि श्री भैरूसिंहजी ने उदाहरण के बतौर बताया था कि आज अपोजिशन के मेम्बर्स म्युनिसिपेलिटीज़ में चुनकर आजाते हैं, तो मंत्रीजी ऐसा नहीं चाहते हैं। सारा हाउस जानता होगा। मैं उनको १५, २० वर्ष से जानता हूँ लेकिन सारे आदमी ऐसे नहीं होते, हर आदमी में अपनी कमजोरी होती है। तो सरकार को इस तरह के अधिकार नहीं दें। सरकार ऐसा क्लॉज़ पास नहीं करावे। यदि पास कर देंगे तो म्युनिसिपेलिटीज़ की आज तो हालत है उससे भी खराब हालत हो जायगी, क्यों कि कर्जा लेने के बाद सरकार उसको वापिस वसूल कर लेगी जो म्युनिसिपेलिटी को पैसे नह मिल सकेंगे और जनता को जो असुविधा है उसे नहीं मिटा सकेंगे और क्यों कि म्युनिसिपेलिटी यह सोचेगी कि सरकार से यदि कर्जा ज्यादा ले लिया और किसी कारण से

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रुपिये इकट्ठे नहीं हो सकेंगे तो जो भी रुपिये लोगों में लेने बाकी हैं उनको सरकार तुरन्त लेलेगी तो स्वीपर्स की तन्ख्वा रह जायगी और क्लर्कों की तन्ख्वा भी रह जायगी और कई तरह के दूसरे काम जो चल रहे हैं वे भी नहीं चलेंगे। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिये यह सोचने की बात है। ऐसा क्लाज़ बना देंगे तो जो पंचायतें और तहसील पंचायतें हैं उनकी जैसी खराब दशा है, क्यों कि उनको सरकार कर्जा नहीं देती है, वैसी ही दशा म्युनिसिपेलिटीज़ की हो जायगी। कर्जा नहीं लेने की हालत में जितना टेक्स जनता से वसूल किया जाता है उतना ही खर्चा करना पडेगा और सरकार न तो लोन देगी और न लोन लेने का सवाल पैदा होगा। राजस्थान सरकार ने भी कई कामों के लिये भारत सरकार से लोन लिया है और लेती ही रहती है। उस लोन को धीरे धीरे चुकाती रहती है। या तो इस बिल में यह कर दिया जाय कि इतना लोन देंगे और इतने समय में वापिस लौटाना पड़ेगा। ६ महीने का या १२ महीने का या और ज्यादा प्रोविजन कर दीजिये कि इतने दिनों में लोन वापिस लौटाना पडेगा जैसा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया करती है। ग्रामोद्योग बोर्ड जो बनाया गया है उसको सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने भी कइयों को मकान बनाने के लिये भी लोन दिया है वह इसी तरह की शर्तें लगाकर दिया है कि इतने समय में वापिस देना पडेगा। इसी तरह की शर्त म्युनिसिपेलिटीज़ को दिये जाने वाले लोन के बारे में लगानी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जिनमें टेक्स के रुपिये बाकी हैं उनसे ही सीधे वसूल कर लें। यह प्रोविजन बिल्कुल नहीं होना चाहिये। इस क्लॉज़ को खत्म कर देना चाहिये। सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये। म्युनिसिपेलिटी को स्वतंत्र रूपसे कोई अधिकार नहीं दिये। हर क्लॉज में सरकार ने किसी न किसी रूप में अपना अंकुश रखा है। कोई क्लॉज ऐसा बाकी नहीं है जिसमें सरकार ने अपने हाथ में कोई चीज नहीं रखी हो।

हर क्लॉज़ के अन्दर एक दो क्लॉजेज़ में नहीं हैं, इसके बाद पांच सात क्लॉजेज़ में नहीं हैं फिर एक क्लॉज ऐसी आ जाती है जिसमें सरकार कोई न कोई बात अपने हाथ में रखती है। माननीय उपाध्यक्ष, जब ऐसा एक्ट पास हो रहा है और जनता के हित में हो रहा है तो ऐसा क्लाज नहीं रखना चाहिये। पंचायत एक्ट, तहसील पंचायत एक्ट में लोन देने का प्रोविजन नहीं रखा है तो इसमें भी लोन देने का प्रोविजन नहीं होना चाहिये। जितना रुपया म्युनिसिपेलिटियां अपनी आय अगर टैक्सेज़ के रूप में वसूल करेंगी उतना ही खर्च करेंगी, इस तरह की दूसरी धारा बना दीजिये या फिर दूसरी धारा में इस तरह का संशोधन ले आइये और इस धारा को बिल्कुल हटा दिजीये जिसमें लोन देने का सवाल नही आयेगा। जितना रुपया म्युनिसिपेलिटियां वसूल करेंगी उतना ही खर्च करेंगी।

इस क्लॉज़ में तो बहुत डिफिकल्टी है, इस लिये इसे डिलीट कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक अमेंडमेंट इसमें मूव करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की मंशा यह मालूम होती है कि जो रकम बजट में प्रोवाइड हैं उससे गवर्नमेंट की मंशा है। इसलिये 'एनी' और 'अमाउन्ट' के बीच में 'बजेटेड अमाउन्ट' और एड कर दिया जाय।

[श्री गोपाललाल यादव]

"If municiqal board makes a default in the payment of any budgetted amount due to the State Government, it may make an order directing the person......"

श्री अवनि कुमार मुकर्जी— माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी इस संबन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ और दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

इस क्लॉज़ में सब से बड़ी एतराज की बात यह है कि इस क्लॉज़ का बड़ा भारी दुरुपयोग किया जायेगा। किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया जायगा यह मैं बताना चाहूंगा।

यह संभव सी बात है कि हमारे राजस्थान में जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें से कुछ नगरपालिकाओं में विरोधी दल का बहुमत हो जाय और कुछ नगरपालिकाएं ऐसी हो जहां सरकारी पक्ष का बहुमत बन जाय। अगर इस क्लॉज़ को इसी रूप में रख दियाँ जाता है तो नगरपालिकाओं में सरकारी पक्ष का बहुमत हैं उनसे, उनमें जो रकम बकाया हैं उसको वसूल करने में और तरीका काम में लिया जायगा और जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल का बहुमत हैं वहां और तरीका उनसे उनमें जो बकाया है उसे वसूल करने के लिए में काम में लिया जायगा। जिन नगरपालिकाओं में सरकारी पक्ष का बहुमत है उनसे बकाया वसूल करने में ढ़िलाई बरती जायगी और जहां विरोधी दल का बहुमत बना है, उसके साथ सख्ती की जायगी, यदि इस क्लॉज़ को इसी रूप में पास कर देते हैं तो यह संभावना बनी रहती है। अगर इस आशंका का समुचित प्रबन्ध सरकार कर देती है तो हम इसे पास कर सकते हैं। इस आशंका को मिटाने का प्रबन्ध किये बिना यदि इसको इसी रूप में पास कर दिया गया तो इसका बड़ा व्यापक प्रभाव विरोधी दल पर पड़ने वाला हैं। मैं भी इससे शंका करता हूँ और विरोधी दल को भी इसमें बड़ी शंका है। इस लिये या तो मंत्रीजी इसमें ऐसी व्यवस्था करे कि इस शंका का निराकरण हो जाय या इसको फिर डिलीट कर दिया जाय। क्यों कि आज जो हमारे मंत्री जी हैं वह बहुत सोच विचार करने के बाद जो उचित होता है वही करते हैं किन्तु हमेशा तो वह इस पद पर नहीं रह सकते, संभव है कल को दूसरी पार्टी की सरकार आ सकती है, और वैसी अवस्था मेंयह आशंका बनी ही रहती है कि वह सरकार इस क्लॉज़ को सही रूप में लागू करेगी या नहीं। इसलिये इस क्लॉज़ को पास करते समय यह व्यवस्था करनी होगी कि इस क्लॉज़ का दुरुपपयोग न हो सके। हमारी इस आशंका का समाधान हो जाय ऐसी व्यवस्था अगर कर दी जाय तो हमें इस क्लॉज़ को पास करने में कोई एतराज नहीं होगा, अगर बहुमत के आधार पर इस क्लॉज़ को पास करना चाहते है तो यह दूसरी बात है। पर हम लोगों का अधिकार हैं कि हमारे विचार आपके सामने रखें और आपको मनाने की कोशिश करें। आप मान जायं तो इसमें सब की भलाई है।

[श्री अवनिकुमार मुखर्जी]

जहां तक बकाया वसूल करने का सवाल है वह कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने इस कानून में ऐसी व्यवस्था की हैं कि हर नगरपालिका को अपना बजट एप्रूवल के लिये सरकार के पास भेजना होगा, इससे हर एक नगरपालिका की आर्थिक स्थिति गवर्नमेंट को मालूम हो जायगी और म्युनिसिपेलिटीज़ के spokesmen सरकार को बतायेंगे कि कितना आवश्यक खर्चा इस साल के आवश्यक कामों में खर्च होने वाला है। इन सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए सरकार जो बकाया है उसे वसूल कर सकती है। इसलिये इस क्लॉज़ को इस रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है, या तो इसे अभी डेफर कर दिया जाय और आज शाम को जो मीटिंग होने वाली है उसमें इस पर विचार किया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, यह धारा वैसे देखने में तो सीधी सादी धारा है। अगर म्युनिसिपल बोर्ड में किसी प्रकार की सरकार की बकाया हो तो उस बकाया को सरकार एक हुक्म बोर्ड के खजानची को दे कर उस बकाया को वसूल कर सकती है। देखने में यह उचित बात लगती है, माननीय उपाध्यक्ष, क्या यह न्यायोचित नहीं है कि सरकार को बोर्ड से अपनी बकाया वसूल करने का हक हो? लेकिन यह धारा अमल में लाई जायगी तो इतनी इन्नोसेंट नहीं रहेगी जितनी कि दिखती है। वर्तमान मन्त्री जी जब तक इस पद पर रहेंगे इस धारा का किसी भी प्रकार दुरुपयोग नहीं होगा। पर हमने देखा है कि पोर्टफोलियोज़ बदलते देर नहीं लगती। इस लिये अगर हमें अगर यह आशा हो कि पांच सात वर्ष तक हमारे वर्तमान मन्त्रीजी इसी पद पर कायम रहेंगे और यह पोर्टफोलियो भी इन्हीं के पास रहेगा तो इस धारा को पास करने में हमें कोई एतराज नहीं, पर यह दोनों बातें राजस्थान में संभव नहीं! संभव यह है कि अगर वे न्याय से काम करते रहेंगे तो यह महकमा उनके हाथ से निकल कर दूसरे के पास चला जायगा, क्योंकि आज कल न्याय से काम चलता नहीं भ्रष्टाचार से काम चलता है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आगे जाकर इस धारा का बहुत बुरा असर होने वाला है, आप चाहे इसे भविष्यवाणी समझ लें। राजस्थान में सरकार बदलते देर नहीं लगती, मैं कोई कॉंग्रेस पार्टी के लिये नहीं कहता, कोई भी पार्टी आ सकती है। राजस्थान में नये चुनावों के बाद यह भी संभव है कि राजस्थान के एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मन्त्री श्री कुंभाराम आर्य के मातेहत किसान मिनिस्टरी बन जाय, कम्युनिस्टों की मिनिस्टरी हो सकती है, जनसंघियों की बन सकती है! तो वे कोई भी पॉवर में आयेंगे तो मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि उनकी विरोधी पार्टियां जितनी म्युनिसिपलिटीज में मेजोरिटी में होगी, उन पर यह हथियार आजमाया जायगा। क्या होगा कि जहां पार्टी इन पावर का म्युनिसिपल बोर्ड होगा वहां बकाया वसूल करने की नाम मात्र भी कार्यवाही नहीं होगी, उल्टे उनके गुर्गे आकर कहेंगे कि हमारे पास फलां फलां आवश्यक काम हैं और हमारे पास पैसों की कमी है, अगर यह काम नहीं करेंगे तो वहां की जनता हमारे खिलाफ हो जायगी। इस पर उनसे बकाया वसूल नहीं की जायगी और उल्टे उनको सबसिडी दी जायगी।

[श्री मानसिंह महार]

पर हमारे जैसा कुरकट आदमी म्युनिसिपल बोर्ड में मेजोरिटी से आ जावे तो फिर क्या किया जावेगा ? उस समय यह देखा जावेगा कि जिस समय बोर्ड के खजाने में ज्यादा रकम है उसके खजान्ची को हुक्म दिया जावेगा कि रुपया बकाया में जमा करा दिया जावे। कूंचियें खजान्ची के पास होगी ही और आदेश सरकार का उसके पास जावेगा ही कि रुपया सरकारी बकाया में जमा करा दिया जावे। रुपया आदेशानुसार बकाया में जमा हो जावेगा और नतीजा यह होगा कि म्युनिसिपेलिटी के दूसरे कामों के लिये कोई पैसा नहीं बचेगा। बोर्ड के सदस्यों के पास सिवाय अपनी बदनामी के कोई रास्ता नहीं होगा। उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसा नहीं रहेगा और सिवाय असंतोष के कोई दूसरा चारा ही नहीं रहेगा। उस सूरत में यह जो बड़ी इन्नोसेन्ट क्लॉज़ बताई जाती है और वाजिब क्लॉज़ बताई जाती है घातक क्लॉज़ के रूप में बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। अभी भरतपुर की तरफ से आये हुए माननीय मेरे मित्र ने एक संशोधन दिया कि कुछ शब्द रखे कि ये शब्द वाजिब हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब तक ये जो एक्शन लिया जावेगा वह युनिवरसली प्रत्येक म्युनिसिपेल्टी के लिये लागू नहीं होगा तब तक हम यह नहीं मान सकते कि यह धारा किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकेगी। इसलिये मेरी राय यह है कि इस धारा को हटा दी जानी चाहिये। लेकिन यदि माननीय मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि इस धारा को रखी जावे तो मेरा सुझाव यह है माननीय उपाध्यक्ष, की इसके अन्दर कई शब्दों का समावेश ऐसा होना चाहिये कि अगर बकाया वसूल की जावेगी तो वह प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड से वसूल की जावेगी और अगर इस प्रकार की बात नहीं होती है तो जैसा मैंने पहले बताया था उसी प्रकार कार्यवाहियें होंगी और म्युनिसिपेल्टी के सदस्यों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पडेगा और दिक्कत का ही नहीं मैं तो यह मान कर चलता हूं कि यह बहुत अन्यायकी बात होगी और ऐसे कानून से म्युनिसिपल बोर्ड कोई अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकेगा और उसके अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करने से शहर और कस्बों के नागरिकों को बडी कठिनाइयें भोगनी पडेगी।

आज माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे लिये यह कहा जावेगा कि तुम्हारे दिमाग में शंकाए भरी रहती हैं। यह लांछन मैं मानता हूँ हम पर लगाया जा सकता है। मगर मैं यह कहूंगा कि हम शंका नहीं करें तो फिर करें क्या ? आज तक हमारी सरकार, जिसको मैं यह एक आदर्श सरकार के रूप में देखना चाहता हूं उसके एक्शन ऐसे हैं कि मुझे उसका एक अंग बन कर बैठने के बाद वहां से ठोकर खा कर वापिस आना पड़ा, तो इस आदर्श सरकार से मुझे इस प्रकार की शंका न हो तो क्या हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—मेरी खुद की इसमें नीति भी दिखती है। लेकिन करूं क्या मेम्बरों को कन्विन्स करने के लिये कहना पड़ता है।

[श्री मानसिंह महार]

श्री उपाध्यक्ष, दूसरी बात यह है कि जो सरकार कि तरफ से हुक्म जावेगा वह डाइरेक्ट खजान्ची के पास जावेगा कि यह पैसा दे दो और वह उस हुक्म के माफिक रकम दे देगा और चैक काटने के बाद कहेगा कि रकम दे दी गई। मैं यह कहूँगा कि अगर सरकार को इस संबन्ध में हुक्म देना ही है तो रकम के लिये बोर्ड के चेयरमेन को हुक्म देना चाहिये। सरकार चेयरमेन को लिखे कि इतनी रकम तुम्हारे में बकाया है। जमा कराओ अगर जमा नहीं कराओगे तो इस प्रकार का नादिरशाही हुक्म होगा और उस समय यदि इस प्रकार का यह नादिरशाही हुक्म दिया जावे तो वह ठीक है। मगर जहां तक मैं समझता हूं कि यहां पर हुक्म पहले खजान्ची के पास ही जावेगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। हुक्म तो बोर्ड के चेयरमेन के पास ही जाना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, यदि खजान्ची मेरे जैसा वफादार हुआ तो यह कह देगा कि आप बोर्ड के हुक्म बगैर रुपया नहीं ले सकते हैं। अगर वह रुपया देने से मना कर देगा और आपके हुक्म को नहीं मानेगा तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। अगर बोर्ड का चेयरमेन आपको नट जाता है तो फिर भी आपकी इज्जत रहती है लेकिन खजान्ची नट जाता है तो आपकी क्या इज्जत रहती है। वह दो तीन दिन में रकम को इधर उधर कर देगा। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की इज्जत रहे और सरकार ऊंची उठे। हम हमारी सरकार की इज्जत गवांना नहीं चाहते। अगर हमारी निगाह में सरकार कोई गलती करती है तो हमारा तो यह परम कर्तव्य है कि हम हमारी सरकार के नोटिस में उसे लावें और हमारी सरकार को एक आइडियल सरकार बनावें। अब तो हमारी सरकार आइडियल सरकार बनने जा रही है। इसमें से बुरे आदमी तो निकल रहे हैं और योग्य आदमी आ रहे हैं। कुछ तो किसान नेता बन कर निकल रहे हैं और कुछ इलेक्शन पिटिशन से खारिज हुए हैं। अब तो हमारी सरकार में योग्य आदमी रहेंगे। इस बिल को हमारे योग्य स्वायत्त शासन के मंत्री पायलोट कर रहे हैं और जब इस प्रकार की धारा रहती है तो यह बात दुःख पूर्ण मालूम होती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह कहूंगा कि धारा ३ में जो खजान्ची को हुक्म की बात है उसे हटा दी जावे। जिस प्रकार का हुक्म सरकार खजान्ची को दे सकती है वैसा का वैसा हुक्म सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन को दे सकती है। खजान्ची रुपया नहीं दे सकता है। अगर चेयरमेन नहीं देता है तो उसको बोन्ड डाउन आप अपने हुक्म से कर सकते हैं।

दूसरी बात यह कि सब बोर्डों के लिये युनिवर्सल पोलिसी अख्तयार करें, आप ऐसा करें कि प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड की जो इन्कम हो उसके हिसाब से बकाया रकम उसी इनकम के प्रपोरशनेट के हिसाब से वसूल करें। जैसे किसी बोर्ड की ३० हजार की इन्कम है उसमें से सालाना आप ५ हजार रुपया वसूल कर लें। इस प्रकार आमदनी का २५ परसेन्ट या २० परसेन्ट या ५० परसेन्ट या ५ परसेन्ट जिस प्रकार की बात आप चाहें इसमें समावेश करें कि बोर्ड की इनकम का इतना परसेन्ट सालाना बकाया में सरकार वसूल करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी बोर्ड से कम और किसी बोर्ड से ज्यादा वसूल कर लिया जावेगा। जैसे किसी की लाख की आमदनी है उससे कुछ हजार रुपया ही वसूल किया जावेगा और जिसकी आमदनी २० हजार की है उससे ५ हजार रुपया वसूल कर लिया जावेगा, मैं यह कहूंगा कि अच्छा तो यह हो कि धारा (३) को डिलीट

[श्री मानसिंह महार]

कर दी जावे तो सारा झगड़ा ही मिट जावेगा। मैं यह कहूंगा कि सरकार के पास पचासों हथियार हैं रकम वसूल करने का। वह पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत में रकम वसूल कर सकती है। मगर एक प्रश्न है कि बकाया होगी किस प्रकार ? इसके होने के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह तरीका होगा कि जिसकी तहत में म्युनिसिपेल्टी को कोई कर्जा दिया हो। अगर कर्जा दिया गया है और उसको वसूल करना है तो मैं इस बात को न्यायोचित मानता हूं कि पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत में उसको वसूल करे।

दूसरा बकाया होगा जैसे एक क्लॉज़ पहले भी मंत्रीजी ने हमारे कथन को अस्वीकार करते हुए पास किया है। अगर बोर्ड किसी भी प्रकार से सरकार की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगी किसी काम को सरकार अपने खर्च से जबरदस्ती करायेगी और उस जबरदस्ती के काम के पैसे इस प्रकार से वसूल करेंगे मैं यह अनुचित मानता हूं।

तीसरा बकाया होगा पब्लिक प्लेसेज़ में बिजली की बत्तियों का जो रात्रिको जलती हैं उनका होगा। इस बकाया के बारे में हमको देखना है आया इसको वसूल करने का कहां तक हक है, क्या यह बकाया सरकार म्युनिसिपल बोर्ड से वसूल कर सकती है। मेरी निश्चित धारणा है कि इस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड का जो बकाया है वह राइट ऑफ होना चाहिये। जब कि सरकार वाटर वर्क्स और पॉवर हाउस अपने हाथ में रखना चाहती है तो ऐसी हालत में पब्लिक प्लेसेज को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर तो देना ही चाहिये। यह मेरी निश्चित धारणा है उपाध्यक्ष महोदय, देखने की चीज तो यह है कि सरकार इन दोनों चीजों को म्युनिसिपेलिटी को क्यों नहीं सौंप देती। मेरा यह मत है कि सरकार को बिना हिचकिचाहट के ये दोनों चीजें म्युनिसिपल बोर्ड को दे देनी चाहिये। लेकिन अगर नहीं देते है तो म्युनिसिपल बोर्ड के साथ सरकार को इतनी रियायत जरूर करनी चाहिये कि पब्लिक प्लेसेज़ में जितना भी पानी और बिजली का खर्च हो उसका सरकार को एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये, सरकार इन दोनों चीजों से काफी पैसा कमाती हैं जवाब यह मिलेगा कि हम तो इन दोनों में वाटर वर्क्स में और बिजली घर में घाटे में जाते हैं। घाटे में जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इनकी अयोग्यता है, अगर यह म्युनिसिपल बोर्ड में दिया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता।

अब जो बकाया होगा वह वसूल किस तरह से होगा मैं यह समझता हूँ और बड़े अदब के साथ प्रार्थना करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से जो इस प्रकार की बकाया है उसके लिये आपको इस प्रकार की क्लॉज़ लाना शोभाजनक नहीं हैं। इस क्लॉज ३०० की तहत में यदि वसूल करेंगे तो यह जो बिजली आदि दी जाती है वह गलियों के अन्दर देते हैं जनता के आराम के लिये देते हैं उनका पैसा वसूल करना कोई शोभा की बात नहीं हैं, । यह हमारा हक है, जब कि आप एक तरफ तो पावर हाउस और वाटर वर्क्स अपने हाथ में रखते हैं इस प्रकार से जो छोटी छोटी एमीनिटीज़

[श्री मानसिंह महार]

हैं वह आप नहीं दे सकते। यह हमारी उचीत मांग है, इस धरा के तहत में जो पैसा वसूल करने की बात रखी गई है उसको हटा देना चाहिये। यह तो हमारा बुनियादी हक रियासतों के जमाने से इस हक के लिये हम लडते आये हैं मैं यह आज को बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है आज से करीब दस वर्ष पहले इसी भवन में जयपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल में जो सदस्य थे आज उनमें से कई उस तरफ बैठे हैं, सरकार से उस समय यह मांग की थी कि वाटर वर्क्स और पॉवर हाउस सरकार को मिलने चाहिये, आज वे लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। आज सरकार को अगर आप यह हक देते हैं कि वह वाटर वर्क्स और पावर हाउस अपने हाथ में रखे तो जो इस प्रकार की बकाया म्युनिसिपेलिटीज़ में हो वह रकम बालाबाल खजान्चियों से वसूल करे यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्या आप इस प्रकार के जनतन्त्र को यहां कायम करना चाहते हैं, जनतंत्र में इन कुरसियों पर बैठने के बाद आप जनता को भूल जाते हैं। आज चाहिये तो यह कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करें, हमें जनता के लिये सब कुछ करने को तैयार रहना चाहिये, अगर इसमें लाख दो लाख रुपया सरकार को घाटा जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार यदि अपने कर्मचारियों पर थोडी सी सख्ती कर दें तो यह रुपया ऐसे ही वसूल हो सकता है। आज होता क्या है कि जिस बंगले में या जिस घर में सौ रुपया मासिक का पानी खर्च होता है वहां सरकार के कर्मचारी २५ रुपया लेकर उसके मीटर को बन्द कर देते हैं और कह यह दिया जाता है कि मीटर तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। या यहां यह होता है कि मीटर वापिस फेर देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं, इस प्रकार की बातें हो रही हैं हमारे यहां और यही कारण सरकार के घाटे में जाने का, यह चीज आज इस विभाग में जड़ कर चुकी है आप इन चीजों को रोकिये इससे लाखों रुपयों का फायदा होगा। उधर आप म्युनिसिपेलिटी का लाख दो लाख रुपये के लिए गला घोटना चाहते हैं आप इस तरफ ध्यान दीजिये और म्युनिसिपेलिटी के साथ और जनता के साथ उदार बनिये। आप जनता को कन्सेशन देते हैं तो जनता भी आपका झंडा उठायेगी और जो इस प्रकार की बेईमानियां करते हैं उनको पकड़ेगी जो आज खुले आम हो रही हैं आप जांच कर सके हैं। आज जो इस प्रकार का अन्याय हो रहा है कि सौ रुपया जहां पानी का खर्चा होता है वहां २० रुपये लेकर और जहां पचास रुपये का पानी खर्च होता है वहां पंद्रह रुपये लेकर छोड़ दिया जाता है, यह जो अन्याय हो रहा है उसे रोकिये आप अपनी मशीनरी को स्ट्रेंग्थन कीजिये। जितना आप म्युनिसिपल बोर्ड से इस प्रकार का पैसा वसूल करने के उत्सुक हैं उससे अधिक उत्सुक आप इसमें होइये तो आपको पता चलेगा कि आपका पावर हाउस और वाटर वर्क्स किन कारणों से घाटे में चल रहा है। आज हम देखते हैं लाखों रुपया बड़े बड़े सेठ साहूकारों में, राजा महाराजाओं में पानी और बिजली के बाकी हैं उनसे आप पैसा वसूल नहीं कर सकते, अगर आप उनसे ही वसूल कर लें तो आपका घाटा कमी का पूरा हो जाय। आज आपको तो यह सौभाग्य मानना चाहिये कि आप जनता को सहूलियतें दे रहे हैं पानी और बिजली की। आपने जबकि पावर हाउस और वाटर वर्क्स अपने हाथ में रख रखा हैं तो यह सहूलियतें आपको देनी ही होंगी आप इस संबन्धी कोई पैसा न लें। ऐसी सूरत में मैं धारा २०० के बारे में निवेदन कर रहा

Page No 97

[श्री मानसिंह महार].

हूं जिसमें यह बताया गया है कि सरकार नगरपालिकाओं की बकाया किस प्रकार से वसूल करेगी। वह बकाया इस प्रकार की नहीं होगी कि जो चीज बहुत बड़ी हो ज्यादा से ज्यादा हजार रुपया, दो हजार या ज्यादा से ज्यादा लाख दो लाख रुपया होगी इसकी वसूली के लिए इस प्रकार के अधिकार देना उचित नहीं मानता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक कोंक्रीट उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जमवा रामगढ़ का।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड में ही खत्म करता हूं। जमवा रामगढ़ को म्युनिसिपल बोर्ड के समय से ही बिजली फ्री सप्लाई की जाती है। जमवा रामगढ़ में जो मीटर था वह म्युनिसिपल बोर्ड जयपुर के नीचे था। जयपुर म्युनिसिपेलिटी को कभी पैसा नहीं दिया जाता था, जमवा रामगढ़ फ्री लाइट यूज़ करता था, अब क्या हुआ जयपुर म्युनिसिपेलिटी से सरकार ने कहा कि तुम अपना अलग मीटर लगाओ और इस प्रकार से इनको मीटर अलग लगाना पड़ा, तो इस तरह से क्या हुआ जयपुर म्युनिसिपेलिटी से जो लाइट जमवा रामगढ़ को मिला करती थी उसका कनेक्शन काट दिया गया, इसलिए करीब छः महीने तक जमवा रामगढ़ अन्धेरे में रहा। मैंने इस बारे में कोशिश की इधर उधर हाथ जोड़े तो जवाब मिला कि अगर आप बिजली के बिल को चुका दें तो फिर से बिजली चालू कर सकते हैं। आज के युग में जयपुर रियासत के समय से जो एमीनीटिज़ मिलीं हुई थीं उसको भी आप कम करते हैं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं हम जनता को हर प्रकार की सुविधा देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुविधा रियासतों के समय से मिलती आ रही है सरकार उसको बन्द कर रही है। मान लीजिये किसी सड़क से लाइट जाती है अगर उससे दो बत्तीं किसी गली में दे दी जाती हैं तो उससे क्या खर्चा जाने वाला है, दो चार रुपये मासिक से क्या ज्यादा हो सकता है। ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य रखते हुए मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि या तो इस धारा को डिलीट कर दिया जाय या इसमें मूलभूत परिवर्तन कर दियें जांय तभी उचित होगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसकी बाबत बेटर लेंग्वेज यह हो सकती है "in place of 'any budgetted amount' it maybe done like this :

'any amount due to the State Government for which a provision exists in the sanctioned budget." यह लेंग्वेज का फर्क है, उसके बजाय यह ले लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, दफा ३०० के संबन्ध में जो आपत्तियां की गई उसमें खास आपत्ति यह है कि गवर्नमेन्ट इस प्रकार के अधिकारों का

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दूसरी पार्टीज़ को दबाने में मिस यूज़ कर सकती है। मैं इस संबन्ध में यह निवेदन करूं यह धारणा माननीय सदस्यों की निराधार है। इसी प्रकार का एक क्लॉज़ टाउन म्युनिसिपेलिटी एक्ट की दफा २०२ पर है, उस की लैंग्वेज भी इसी प्रकार की है, वह राजस्थान में लागू है उसी प्रकार का यह क्लॉज़ है.....

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—एक दफा अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या दूसरी दफा उसको नहीं सुधारा जाना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(जारी रखते हुए) आप जरा सुन तो लीजिये। आप कहें तो मैं बैठ जांऊ और आप बोलते रहिये ?

मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि आपके दिमाग में शंका है कि इसको मिसयूज़ किया गया है, इसके लिये कहता हूँ कि पहले जो कानून की दफा लागू थी उसमें भी यह मौजूद है। मैंने दुबारा एन्क्वारी की है और यह पाया है कि आज तक २०२ क्लॉज़ के अन्डर में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और मैं नहीं समझता कि यह कहां के लिये बात कही गई है।

दूसरी बात यह निवेदन करूं कि इस प्रकार के प्रोवीजन सारी म्युनिसिपलटिज़ में हैं और आज गवर्नमेन्ट का ५० लाख रुपया इनमें ड्यू है, जिनमें जयपुर, जोधपुर खास हैं। और आज भी ये गवर्नमेन्ट के द्वारा चलाई जा रही हैं। इस पर भी आजतक उन्होंने ड्यूज़ का एक पैसा अदा नहीं किया। सरकार बार बार कहती है कानून मौजूद है, पर फिर भी हम उनको हालत देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहते, हम उनको पनपाना चाहते हैं बरबाद करना नहीं चाहते। सरकार की यह मंशा कतई नहीं कि उनकी सुविधाऐं खतम कर दी जावें, उनकी सुविधाओं का मतलब है जनता की सुविधाऐं। इसलिये हम उल्टा उनको लोन देकर चलाते हैं और जो कुछ सुविधाऐं हैं उनको जारी रक्खे हुए हैं और और सुविधाऐं बढाने का प्रयत्न करते हैं। सोलह सोलह लाख रुपया एक एक म्युनिसिपलटी में बकाया है। फिर भी हमने उनको मजबूर नहीं किया है और इस सैक्शन का एप्लीकेशन नहीं हुआ है। कोई ज्यादती नहीं हुइ है। यह भ्रम इसलिये भी निराधार है। किसी पार्टी को दबाने के लिये कुछ किया गया हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। हमने १७ म्यु० को लोन दे रखा है, बीस बीस लाख का लोन दिया जा रहा है नेक्स्ट प्लान में। एक तरफ आप यह मानते हैं कि उनको लोन देना चाहिये हर म्यु० की डिमान्ड है कि उनको लोन देना चाहिये, उनके प्रस्ताव भी हमारे पास आते हैं। पर दूसरी तरफ कहते हैं कि इन्स्टालमेन्ट में देंगे, खैर इन्स्टालमेन्ट में ही सही, देने का इरादा करते हैं, बजट में भी प्रोवाइड करते हैं पर अपने पास रुपया होते हुए भी और बजट में प्रोवाइड करते हुए भी नहीं देते और डिफाल्ट करते हैं बोर्ड तो उनके लिये यह प्रोवीजन रखना जरूरी है। आप लैंग्वेज का भी मुलाहिजा फरमा लीजिये:—

" If a municipal board makes default in the payment of the amount due..."

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

म्यू० बोर्ड नही देता है, कहता है कि हमारे पास पैसा होते हुए भी नहीं देते हैं तो इसके लिए क्या रेमेडी है ? फिर भी यह बात हुई नहीं है। कभी ऑपरेट हमने इस क्लॉज़ को किया ही नहीं है और न इससे म्यू० की प्रोग्रेस बन्द हो होने वाली है। इसलिए यह कहना कि यह म्यू० के खिलाफ ज्यादती करने वाला क्लॉज़ है सही नहीं है। मैं कहूँगा कि आज के युग में जब कि म्यू० भी इलेक्टेड है और गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है तो आज कोआपरेटिव का जमाना है कोआपरेट करके ही चलना पड़ेगा। इस प्रकार की संशय की भावना रखना उचित नहीं है।

मैं मथाई कमीशन की रिपोर्ट के पार्ट III है उसके ३३६ पेज पर रिवीजन किया है उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने इस बारे में डेफीनीट राय दी है। पहले अंग्रेजों के समय में हालत दूसरी तरह की थी उस समय हमारे बहुत से लीडर इलाहाबाद म्यू० के चेयरमेन भी थे। उनकी धारणा थी उस समय ज्यादा पावर लेने की म्यू० कोशिश करती। मगर आज मथाई कमीशन ने कहा है कि आज वक्त आ गया है यहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वहां भी वर्किंग में डिफेक्ट हो सकता है, पर हरेक इन्सान जो जिम्मेदारी पर बैठेगा आखिर इन्सान ही तो होगा और इन्सान गलती कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं भी कर सकता हूँ और बहुतों ने की होगी। पर मैं यह भी कहूँगा कि आप भी गलती कर सकते हैं। पर इसका अर्थ यह कदापि नही कि म्यू० का और सरकार का जो सहयोग होने वाला है उस सहयोग की भावना को खत्म करके सारी बातें म्यू० पर छोड़ दी जावें। और फिर कहा जावे कि म्यू० को रुपया दिया है तो आपको लेने का अख्तियार नहीं। इससे हमारी प्रगति रुक जाने वाली है। इसलिए इस भावना को सामने रखना चाहिए कि मिल कर म्यू० का काम हम चलाना चाहते हैं।

बिजली, पानी विभाग देने की बात कही गई और यह कहा गया कि इससे जनता को लाभ होगा, उसका भला होगा। यह दलील दी गई। सरकार यह भी उनको ट्रान्सफर कर दे। पर आपने यह कानून बनाया है इसमें भी ऐसी कोई धारा प्रोवाइड नहीं की कि ट्रान्सफर सरकार कर देगी। यह ऐसे नहीं हो सकता न किसी सरकार ने इस प्रकार से किया है। इसके बाद भी हम चाहते हैं कि म्यू० की तरक्की हो। सरकार हर तरह से उनकी तरक्की करना चाहती है। लेकिन इसके बाद में भी यदि म्यू० सरकार से सहयोग नहीं करे और डिफाल्ट करे यह बात न्यायसंगत नहीं होगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि जो आशंकाएं प्रकट की हैं वे सही नहीं हैं। सहयोग की भावना होनी चाहिये, इसी भावना से यह सारा कानून बनाया गया है। सिलेक्ट कमेटी ने भी इस पर काफी सोचा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप न हो इस बात का उसने काफी ध्यान रखा है। आप अब भी जो चाहें वह प्रोविज़न कर सकते हैं पर गवर्नमेंट के पोइन्ट आफ व्यू को ध्यान में रख कर बात करेंगे तो उचित होगा। इन शब्दों के साथ जो यादवजी ने अमेन्डमेंट रखा है उसको मन्जूर कर लेने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं और दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कि इसको डिलीट कर दिया जावे इसमें मुझे आपत्ति है और इसलिए इन ऊपर बताये कारणों से वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ बशर्ते कि आपकी आज्ञा हो तो। यह स्पष्टीकरण मिल जावे तो ठीक है।

मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों में नगरपालिकाओं के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनमें क्या ऐसी व्यवस्था है, पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट का जिक्र आया है। इसके जरिये भी यह काम हो सकता है। यह बात इसलिये कही गई कि इसमें एक प्रोसीजर प्रेस्काइब किया गया है और इसके अनुसार ही बकाया वसूल होती है। और जहां तक आपका इस क्लॉज़ का सवाल है इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए इसमें यह अड़चन पैदा हो जाएगी।

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इन बातों का जवाब देंगे ताकि सदन को सन्तोष हो जावे।

बम्बई में ऐसा प्रोवीजन मौजूद है। मुझे अभी बतलाया गया है। फिर जो आपने पी. डी. आर. के लिए कहा तो मैं आपसे निवेदन करूं कि लोन दिया और बजट में प्रोवाइड कर दिया फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसको डिफाल्ट किया तो उनसे कहने की बात है। मान लें कि बजट में प्रोवाइड कर देने की बात है फिर भी नहीं देते हैं तो फिर ट्रेजरी आफिसर से कहा जायगा कि म्युनिसिपेलिटी के फन्ड में से इसमें जमा करा दें। प्रोसीजर की बात नहीं है यह तो डिफॉल्ट का है। गवर्नमेंट ने लोन दिया है उसकी बात नहीं है। उनके डिमांड करने पर लोन देती है तो उस तरह की बात नहीं है। पी. डी. आर. में तो नोटिस दिया जाता है कि तुम्हारी तरफ इतना ड्यू है तो उसमें उसको डिस्प्रूव करने का राइट है। वह तो डिस्प्रूव होता नहीं है क्यों कि गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया है। किंतु यदि वे गवर्नमेंट के लोन को रिफ्यूज़ कर देते हैं तो देवर विल बी नो पब्लिश गवर्नमेंट कि उनको लोन दे अगर वह इस तरह से इंकार कर दे। मैं निवेदन कर रहा था कि वह सद्भावना के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसमें म्युनिसिपेलिटी को हैरेस करने की बात नहीं है। बिलीव इट। इसकी कोई शिकायत नहीं है कि आज तक इसका कोई दुरुपयोग किया गया है। कोई हैरासमेंट नहीं किया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि कोई संकोच और शंका की बात नहीं है। मैंने इसे खूब कन्सीडर कर लिया है यह इमरजेन्सी प्रोटेक्शन है, बहुत एक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकम्सटान्सेज़ में जाकर एप्लाई होता है। आज तक इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन वापिस ले लिया जाय और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री हिम्मत सिंह— अब टाइम होगया है, कल लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आप उत्तर देना चाहेंगे ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—देना तो चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—तो समय हो गया है । सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल ८ बजे सुबह तक ।

(सदन की कार्यवाहीं मध्यान्ह १२ बजकर ४३ मिनिट पर दिनांक ३ मई, १६५६, के प्रात: काल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २ मई, १६५६ .

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

Page No 102

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तोर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

७६७ (१३०।एम. एल. एल) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल. ए., डिविजन नंबर ४५—

क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार का चित्तौड़गढ़ जिला के छोटी सादड़ी करबे में सन् १९५७ में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जच्चाखाना (प्रसूति-गृह) खोलने का विचार है? यदि हां, तो किस सन् में खोल दिया जायगा?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त जच्चा खाना हेतु एस. डी. ओ. निम्बाहेड़ा ने इसी वर्ष भवन लेने के प्रयत्न करने शुरु कर दिये हैं? ये प्रयत्न सरकार की कौनसी आज्ञा के अनुसार किये और उस आज्ञा का नम्बर क्या है?

उत्तर

१. सरकार ने इस कस्बे में कोई प्रसूतिगृह खोलने का निश्चय नहीं किया है। वहां की भारत सेवक समाज कुछ जनता से चन्दा करके पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा प्रसूति गृह निर्माण की इच्छा प्रकट की है। उनको ऐसटीमेट व प्लान्स दिये जाने का आदेश दिये जाचुके हैं।

२. ऐसी कोई सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं है।

प्रश्न

770. (132 M.L.M.) Shri Abani Kumar Mukerji, M. L. A., Div. No. 1
Will the Minister for Medical and Public Health Please state:-

(1) What amount was spent on the transfer of the officers of this department during each of the following financial years 1951-52, 52-53, 53-54, and 54.55?

(2) How many officers of this Department were transfer.ed to each of the following financial years:-1951-52, 52-53, 53-54 and 54-55.?

(3) Whether relevant rules for transfer framed by the Govt. were strictly followed in the transfer of the officers of this department. If not, why not ?

उत्तर

१९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ के वर्षों में क्रमशः ७५४८ रुपये १५ आने, १४६२५ रुपये १४ आने ६ पाई, ११६५९ रुपये ११ आने ६ पाई, १८०६१ रुपये २ आने ६ पाई का खर्चा डाक्टरों के ट्रान्स्फर पर हुआ। १९५१-५२ व १९५२-५३ के अक्टूबर मास तक के आंकड़ों में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि उस समय तक इस प्रकार के आंकडे विभाग में रखने की प्रथा नहीं थी।

२. १९५१-५२ में ५७, १९५२-५३ में ८९, १९५३-५४ में १११ तथा १९५४-५५ में १६१ ट्रान्स्फर हुए।

३. सरकारी अधिकारियों के ट्रान्स्फर के मुतालिक कोई कानून नहीं है, केवल यही एक कानून है कि जिस अधिकारी का वेतन २५० रु० मासिक से कम हो उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह जहां तक हो सके ट्रान्स्फर न किया जावे। जहां तक सम्भव है इस कानून पर अमल किया जाता है, परन्तु कुछ एक केसेज़ में ऐसा करना भी असम्भव हो जाता है।

प्रश्न

७७१. (१३४। एम. एल. एम) श्री नारायण चतुर्वेदी. एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०६—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या जयपुर जिला बोर्ड की जांच के लिये पिछले दिनों सरकार ने किसी अफसर की नियुक्ति की थी ?

(ख) यह जांच किस शिकायत पर शुरू की गई थी ?

(ख) जांच की रिपोर्ट का क्या विवरण है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) हिसाब के आडिट के सम्बन्ध में कुछ अनियमितायें पाई गई थीं व कुछ शिकायत सरकार के समक्ष लाई गई।

(ग) जांच की रिपोर्ट आचुकी है, किन्तु अभी सरकार के विचाराधीन है। बोर्ड से प्रस्ताव मांगा गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ। जब तक सरकार किसी निर्णय पर न पहुँचे जांच की रिपोर्ट का विवरण बताना उचित नहीं।

परिशिष्ट २

(कृपाया प्रश्न संख्या ७४८ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the number of arrests under P. D. Act and other offences of I. P. C. reported up to 13th. March, 1956 in connection with the 2nd B. S. S. agitation in Rajasthan.

S. No.	Name of district.	Name of centres.	Date of starting agitation	ARRESTS Under P.D. Act	Other offence.	REMARKS-
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jaipur	Jaipur	16-12-55	3	386	1 Released from detention.
2.	Sikar.	Sikar.	20-12-55	1	361	-do-
3.	Jodhpur.	Jodhpur.	17-12-55	5	365	-do-
4.	Jalore.	Jalore.	20-12-55	1	280	-do-
5.	Sirohi.	Sirohi.	31-12-55	7	255	2 released from detention.
6.	Churu.	Ratangarh	21-12-55	1(Churu)	503	1 released from Detention
7.	Alwar.	Alwar.	6-1-56	1	109	
8.	Bundi.	Bundi.	12-1-56	15	15	1 released from detention.
9.	Barmer.	Barmer.	23-1-56	-	26	
10.	Chittorgarh.	Chittorgarh	2-1-56	-	57	
		Nimbahera	29-12-55		5	
		Kapasin.	31-1-56		5	
		Rashmi.	-2-2-56		5	
		Gangrar.	25-1-56		3	
		Begun.	7-2-56		13	
		Bhadesar.	1-2-56		13	
11	Udaipur.	—	—	1	—	1 released from Detention.
		Kanore.	18-2-56	-	32	
		Bhindar	25-2-56		19	

		Amot	2-1-5		23	
		Deogarh	28-12-55		39	
12.	Bhilwara	Bhilwara	2-1-56	-	53	
		Mandalgarh	30-12-55	-	37	
		Mandal	27-12-55		61	
		Katri	29-12-55		38	
		Nurda	2-1-56		18	
		Shohpura	2-1-56		27	
		Banera	1--1-56		36	
		Raipur	6--1--56		25	
		Hamirgarh	6--1--56		7	
		Jahazpur	30--12--55		15	
		Gangapur	31--1--56		19	
13.	Pali			3	-	
		Sojat	6--1--56		110	
		Bali	4--2-56		60	
14.	Nagaur	Nagaur	12--1-56	4	154	3 released from detention.
		Parbatsar	29--12--55	1	58	
		Deedwana	24--12--55		346	
15.	Jaisalmer	Jaisalmer.	10--3--56		16	
		Total:		27	3594	12 released from detention.

GRAND TOTAL OF ARRESTS INCLUDING P.D. ACT.
3594 plus 27 3621.

(1) Total No. of centres where arrests have been made as reported upto 13--3--56 is 37 only.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न

१. (६।यू. एस.) श्री भोला नाथ (१६) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कोंपर निम्नलिखित शीर्षकों में जिलेवार कितना रुपया खर्च हुआ है, पूरी विगत देने की कृपा करें ;—

१	२	३	४	५
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के अनुसार खर्च का अनुपात क्या होना चाहिये।	प्रतिशत आबादी के अनुसार खर्च कम हुआ अथवा अधिक।

उत्तर

(अ) पूरे खर्च का विवरण अभी प्राप्त नहीं है फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो संचालित खर्च है वह पूरे ब्योरे के साथ संलग्न सूची में दिया गया है।

Statement showing the expected expenditure districtwise on roads in First Five Year Plan.

District.	Expenditure in thousands.	Population in Lacs.	Expenditure % per Capital	Percentage. Increase or Decrease on average of Col. 4.	
1	2.	3.	4.	5.	
1. Jaipur Distt.	46,00	16,56	278	16%	Decrease.
2. Sawaimadhopur.	24,00	7.65	314	6%	-do-
3. Tonk.	10.00	4,01	249	25%	-do.
4. Jhunjhunu Distt.	7,00	5,89	118	64%	-do-
5. Sikar. "	20,00	6,78	295	11%	-do-
6. Alwar "	49,00	8,62	568	70%	Increase.
7. Bharatpur "	37,00	9,07	408	22%	-do-
8. Kotah. "	30,00	7,86	390	17%	-do-
9. Bundi. "	9,00	2,81	320	4%	Decrease.
10. Jhalawar. "	12,00	3,74	32	4%	-do-
11. Jodhpur "	31,00	6,92	448	34%	Increase.
12. Nagur. "	16,00	7,64	210	37%	Decrease.
13. Pali. "	24,00	6,61	363	9%	Increase.
14. Jalore. "	8,00	4,60	274	47%	Decrease.
15. Sirohi. "	8,00	4,41	181	45%	-do-
16. Barmer. "	8,00	2,37	337	2%	Increase.
17. Jaisalmer. "	6,00	1,03	573	7%	-do-

1.		2.	3.	4.	5.	
18. Bikaner.	„	2,00	3,30	60	82%	Decrease.
19. Ganganagar.	„	35,00	6,30	555	67%	Increase.
20. Udaipur.	„	35,00	11,91	294	11%	Decrease.
21. Churu.	„	13,00	5,23	249	25%	-do-
22. Chittor.	„	25,00	5,27	477	43%	Increase.
23. Bhilwara.	„	25,00	7,27	344	4%	-do-
24. Banswara.	„	15,00	3,57	420	26%	Increase.
25. Dungarpur.	„	13,00	3,08	422	27%	-do-
		508,00	153,00	152,98		

N. B.

The expected expenditure as above on roads is according to Ist Five Year Plan which was prepared in consideration of administrative. economic, Industrial, Stategic etc., needs of each district and not on Districtwise distribution.

प्रश्न

२. (११/यू एस.) श्री भोलानाथ—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—क. प्रथम पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण में जिलेवार निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुये हैं ? कृपया पूर्ण विगत के साथ सूचना देने को कृपा करें—

१	२	३	४
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के अनुसार कितना खर्च होना चाहिये।

५
प्रतिशत आबादी के अनुसार कम या ज्यादा खर्च।

उत्तर

There had been no regular First Five Year Building Plan but only schemes of Rs. 20 lacs and 150 lacs have been sanctioned by the Central Goverment. These schemes were prepared acoording to the requirements of buildings at various places and not districtwise. A statement showing the districtwise expenditure booked upto January, 1956, under these schemes is enclosed. Total expenditure incurred on these schemes upto the end of First Five Year Plan period can only be given after the March, 1956, final and supplementary accounts are finalised.

Statement showing the Districtwise upto date expenditure on the Building works against the 20 Lacs and 150 Lacs grants for Building works.

S.No.	Name of Distts.	Expdtr. Booked against the 20 lacs grant upto Jan. 56	Expdtr. Booked against the 150 Lacs grant. upto Jan. 56	Total of Colum No. 3 & 4	Population in Lacs	Expdtr. per 100 Capitas	Over & below the average.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Jaipur Distt.	17,120	6,22,328	6,39,448	16 56	38.6	2. Decrease.
2.	Sawai-Madhopur Distt.	4,454	15,298	19,752	7.65	2.6	36,22 „
3.	Tonk Distt.	850	56,167	57,017	4.01	14.21	24.61 „
4.	Jhunjhunu Distt.	--	33,147	33,147	5.89	5.62	33.20 „
5.	Sikar Distt.	162	4,374	4,536	6.78	.67	38.15 „
6.	Alwar Distt.	1,03,499	38,002	1,41,501	8.62	16.42	22.40 „
7.	Bharatpur Distt.	7,745	62,325	70,070	9.07	7.72	31.10 „
8.	Kotah Distt.	64,096	1,67,312	2,31,408	7.66	30 21	8.61 „
9.	Bundi Distt.,	1,941	32,619	34,560	2.81	12.29	26.53 „
10.	Jhalawar Distt.	58,189	15,006	73,195	3.74	19.57	19.25 „
11.	Jodhpur Distt.	13,620	99,181	1,12,801	6.92	16.30	22.52 „
12.	Nagour Distt.	1,21,530	2,14,949	3,36,469	7.64	44.04	5.22 Increase.
13.	Pali Distt.	1,12,988	1,33,539	2,46,527	6.61	37.29	1.53 Decrease.
14.	Jalore Distt.	1,19,606	1,06,898	2,26,504	4.60	49.24	10.42 Increase.
15.	Barmer Distt.	1,42,660	2,67,781	4,10,441	4.41	93.07	54.25 „

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	Sirohi Distt.	16,037	44,611	60,648	2.37	25.59	13.23 Decrease
17.	Jaisalmer Distt.	22,894	84,045	1,06,939	1.03	103.82	65.00 Increase.
18.	Bikaner Distt.	9,087	3,14,236	3,23,323	3.30	98.00	59.18 ,,
19.	Ganganagar Distt.	1,40,948	4,22,144	5,63,092	6.30	89.38	50.59 Increase.
20.	Churu Distt.	13,009	48,290	61,299	5.23	11.72	27.10 Decrease.
21.	Udaipur Distt.	2,34,504	5,76,222	8,10,726	11.91	68.07	29.25 Increase.
22.	Chittor Distt.	1,28,166	87,961	2,16,127	5.88	36.75	2.07 Decrease.
23.	Bhilwara Distt.	4,06,818	4,03,674	8,10,492	7.27	111.49	72.67 Increase.
24.	Banswara Distt.	62,955	70,064	1,33,019	3.57	37.26	1.56 Dewrease.
25.	Durgapura Distt.	27,377	1,89,181	2,16,553	3.08	70.31	31.49 Increase.
	total	18,30,245	41,09,354	59,39.599	152.98	38.82	

प्रश्न

३. (१२।यू. एस) श्री भोलानाथ (१६)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलेवार बिजली लगाने में निम्न लिखित शीर्षकों में कितना खर्च हुआ, कृपया पूर्ण विवरण के साथ सूचना देने का कष्ट करें।

१	२	३	४	५
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के अनुपात से कितना खर्च होना चाहिये।	प्रतिशत कम या ज्यादा खर्च हुआ।

उत्तर

सूची सलंग्न है

S. No.	Name of District	Expenditure incured	Population	Amount per Capita in rupees	% increase or decrease from the average figure.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. BHAKRA-NANGAL HYDRO-ELECTRIC SUPPLY TO RAJASTHAN.				
1.	Sri Ganganagar.	Rs. 74,549/-	6,30,130	0.118	(—) 90%
2.	Sikar.	Rs. 60,915/-	6,77,782	0.090	(—) 91%
	II. CHAMBAL HYDRO-ELECTRIC SUPPLY TO RAJASTHAN.				
	Expenditure.		—NIL—		
	III. POWER SCHEMES.				
	(1) Development of Tharmal Power Station's schemes (II) Urban and Rural Electrification and (III) State Plan				
1.	Sawai Madhopur.	Rs. 70,520/-	7,65,172	0.086	(–) 91.5%
2.	Jaipur.	„ 41,42,110/-	16,56,097	2.50	(+) 145%
3.	Tonk.	„ 3,15,873/-	4,00,947	0.78	(–) 23.5%
4.	Alwar.	„ 4,47,998/-	8,61,993	0.520	(–) 49%
5.	Bhilwara.	„ 2,32,226/-	7,27,356	0.320	(–) 68.6%
6.	Jodhpur.	„ 12,72,651/-	6,91,786	1.83	(+) 79.4%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Dungarpur	„ 98,816/-	3,o8,243	o.32	(-) 68.6%
8.	Kotah.	„ 1,31,466/-	7,66,198	o.17	(-) 83.3%
9.	Bharatpur.	„ 3,26,797/-	9,o7,399	o.36	(-) 64.7%
1o.	Sri Gangangar.	„ 5,28,565/-	6,3o,13o	o.83	(-) 18.6%
11.	Bikaner.	„ 17,52,135	3,o3,836	2.12	(+) 1o8%
12.	Churu.		5,23,276		
13.	Jhalawar.	„ 1,56,688	3,73,81o	o.41	(-) 59.8%
14.	Jaisalmer.	„ 17,585	1,o2,743	o.17	(-) 85 %

N. B. The total population of all the above mentioned districts is 94, 39, 5o9 and the total expenditure for all the districts is Rs. 96, 11,355/-. Hence average amount per capita for all the districts served Rs. 1. o2, average amount per capita considering whole of Rajasthan population 15, 29o, 297 Rs. o.628.

प्रश्न

४. (२१। यू. एस.) श्री भोलानाथ (१६)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं पर कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

	१	२	३
(१) चम्बल	सड़क	बिजली	मंडी
(२) भाखरा	,,	,,	,,
(३) हरीके	,,	,,	,,

१, २ वा ३ शीर्षकों में अलग अलग रकम बताने का कष्ट करें।

उत्तर

The figures of expenditure incurred on Roads, Electricity and Mandies inconnection with the following projects are given below:-

	Roads.	Mandies.	Electricity.
.1 Chambal.	-	-	-
	270, 111/-	15, 475/-	
2, Bhakra.	Upto the end of Feb. 1956,		3, 34, 270/-
3. Harike.	-	-	-

प्रश्न

५. (१५।यू. एस) श्री भोलानाथ (१६)—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिले वार (१) सामुदायिक विकास योजना (२) एन. ई. एस. ब्लाक्स में निम्नलिखित शीर्षकों में कितने रुपये खर्च हुए, पूरी विगत देने की कृपा करें—

१	२	३
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी

४	५
आबादी के अनुसार खर्च का अनुपात क्या होना चाहिये।	खर्च आबादी के अनुपात से कम हुआ या अधिक।

उत्तर

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास खंडों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर जो खर्चा हुआ उसकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(ख) जिले की आबादी के अनुसार खर्च का अनुपात क्या होना चाहिये अथवा आबादी के अनुसार से खर्च कम है या अधिक इस सम्बन्ध में कोई अनुपात निर्धारित किया हुआ नहीं है।

परिशिष्ट

क्र० सं०	जिले का नाम	विकास खंड	खर्च की रकम	आबादी
१	जयपुर	सामुदायिक विकास (बस्सी, जोबनेर)	५,९५,१८७	१६६
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (सांगानेर, जयपुर)	१,३२,७६७	१३६
२.	अलवर	सामुदायिक विकास (किशनगढ़ वास)	१०,५३,१८५	५५
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (गोविन्दगढ़)	१,००,१००	६६
३	भरतपुर	सामुदायिक विकास (डीग)	८,७२,८६१	७४
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (बसेरी)	६७,०६०	६६
४.	डूंगरपुर	सामुदायिक विकास (डूंगरपुर, सिमलवाड़ा)	१२,१५,४१०	१७७
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (सागवाड़ा)	१,७४,६३१	६६
५	गंगानगर	सामुदायिक विकास (रायसिंहनगर)	१०,४७,०१२	७४
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (श्री करनपुर)	७७,८०५	६६
६.	उदयपुर	सामुदायिक विकास (आमेट, राजसमन्द)	१७,२४,८६७	१५२
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (कुम्भलगढ़ गिरया, कोटरा)	२,७४,२०८	२०२
७.	पाली	सामुदायिक विकास (सुमेरपुर, बाली)	१८,६२,६०२	१५२
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (देसूरी)	२,०८,१४८	११३
८.	नागौर	सामुदायिक विकास (भोलासर)	८,३८,०२७	८२
९.	कोटा	सामुदायिक विकास (अन्ता, बारां)	१७,४५,१८७	१८४
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (लाड़पुरा, शाहबाद)	५,२३,६६४	१४८
१०.	सवाईमाधोपुर	सामुदायिक विकास (हिन्डौन)	२४,२२,३४७	९१
		राष्ट्रीय विस्तार सेवा (महुआ, करौली, सवाई माधोपुर, टोड़ाभीम)	६,३०,६४८	२७५
११.	जोधपुर	राष्ट्रीय विस्तार सेवा (बिजारा)	७२,८०८	८६
१२.	बांसवाड़ा	,, ,, ,, (बटहोर) गढ़ी	७६,६१३	६५

Page No 119

१३.	जालोर राष्ट्रीय विस्तार-सेवा	(आहोर)	६४,७२७	७२
१४.	टोंक ,, ,,	,, (मालपुरा)	६२,११७	८०
१५.	सिरोही ,, ,,	,, (पिन्डवारा)	६६,०६७	६२
१६.	जैसलमेर ,, ,,	,, (सांकड़ा)	४३,२४७	४३
१७.	बाड़मेर ,, ,,	,, (सिवाना)	१,५३,७०६	६१
१८.	बूंदी ,, ,,	,, (तलेरा)	सूचना प्राप्त नहीं हुई	६६
१९.	झुंझुनूं ,, ,,	,, (चिड़ावा)	२,१३६	१०३
२०.	चित्तौड़ ,, ,,	,, (बेगूं)	१,१७१ १,०७८	११५
२१.	झालावाड़ ,, ,,	,, (झालरापाटन)	२,२१६	८८
२२.	बीकानेर ,, ,,	,, (नौखा)	१,६६८	७१
२३.	सीकर ,, ,,	,, (नीमका थाना)	सूचना प्राप्त नहीं हुई	६६
२४.	भीलवाड़ा ,, ,,	,, (मांडलगढ़)	१,०७८	७५

Page No 120

प्रश्न

६. (६७ पी. डब्ल्यू. एम) श्री हंसराज आर्य (५१)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितने कितने मील लम्बी सडक बनी और इन पांच सालों में जिलेवार कितने कितने हजार रुपये खर्च हुए ?

(ब) सड़कों का यह भी व्यौरा दिया जावे कि कितने मील अब तक वर्क हुआ और कितने मील कंकरीट की सड़क बनी और कितने मील डामर रोड़ बनी ? यह जिलेवार बताया जावे ?

(स) इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा रुपया किस डिवीजन में खर्च हुआ और सबसे ज्यादा सड़कों की लम्बाई किस डिवीज़न की है ?

(द) सबसे कम सड़कें कौन से जिले में बनीं और उसका क्या कारण है ? इसकी एक मुकम्मिल सूची देने का कष्ट करें।

उत्तर

(अनुपलब्ध)